खण्ड-220, अंक-9
सोमवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1883
(27 मार्च, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २७ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३८

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान ,श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद जाटव, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धोतासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
सब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां , श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २७ मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों को मैजिस्ट्रेट के अधिकार

**१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राज्य सरकार ने राज्य के अन्तर्गत हाई स्कूल और इंटरमीएडिट परीक्षाओं के अधीक्षक सुपरिन्टेंडेंटों (प्रिंसिपलों) को १४ मार्च, १९६१ से २५ अप्रैल, १९६१ तक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये हैं?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। बोर्ड की परीक्षाओं के केन्द्रों के अधीक्षकों को अपने केन्द्रों की सीमा के अन्दर किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार १४ मार्च से २५ अप्रैल, १९६१ तक की अवधि के लिये दिये गये हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रण और व्यवस्था बनाये रखने के लिये दूसरे उपाय काम में नहीं लाये जा सकते थे?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५८ में यह प्रयोग शुरू हुआ और इसका फल अच्छा ही हुआ है। दूसरे उपाय भी काम में लाये जा सकते थे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस व्यवस्था से लाभ के बदले हानि हुई क्योंकि इससे अध्यापकों और छात्रों के सम्बन्ध बिगड़े हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जो परीक्षा अधीक्षक इन अधिकारों का प्रयोग करेंगे उनके लिये क्या यह है कि वे जिले के किसी अन्य अधिकारी से परामर्श करके उनका प्रयोग करेंगे या उसे सूचना देंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—तीसरी श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के अधिकारों का प्रयोग वे विधि के अनुसार स्वयं कर सकते हैं। दूसरों से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जो अधिकार इन सुपरिंटेंडेंटों को दिये हुए हैं वे क्या सरकार ने इनके पास लिख कर भेज दिये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—अधिकार तो उनको मालूम ही होंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी सीमा के अन्दर किये जाने वाले अपराधों की विस्तृत व्याख्या करने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--साफ है कि परीक्षा सेंटर की सीमा के अन्दर अगर कोई गड़बड़ी करे तो वे अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। बाहर वे मजिस्ट्रेट नहीं रहते हैं।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री ऊदल--[२३ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २५-२६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

कानपुर में श्रमिक बस्तियों के क्वार्टर्स

*३--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि कानपुर की श्रमिक बस्तियों में कुल कितने क्वार्टर्स हैं, कितने श्रमिकों को ऐलाट हैं और कितने अन्य राजकीय कर्मचारियों को ऐलाट हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--कानपुर की श्रमिक बस्तियों में नवम्बर, १९६० तक १२,२६८ मकान बन कर गृह-आयुक्त को ऐलाटमेंट के लिये दिये गये हैं। इनमें से ६,७३१ क्वार्टर्स प्राइवेट कारखाने के श्रमिकों तथा ३,७१२ गृह राजकीय कारखाने के श्रमिकों को एलाटेड हैं। ९०६ क्वार्टर्स अन्य राजकीय कर्मचारियों को एलाटेड हैं।

*४--श्री मदन पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में कुल कितने क्वार्टर्स कानपुर की विभिन्न श्रमिक बस्तियों में थे तथा कितने श्रमिकों को ऐलाट किये गये थे?

श्री कैलाशप्रकाश--दिसम्बर, १९५९ तक कानपुर की विभिन्न श्रमिक बस्तियों में कुल १०,७२२ क्वार्टर्स बन कर गृह आयुक्त को ऐलाटमेंट के लिये दिये गये थे। इनमें से ५,६७९ क्वार्टर्स प्राडवेट कारखाने के श्रमिकों तथा ३,२९१ क्वार्टर्स राजकीय कारखाने के श्रमिकों को ऐलाटेड थे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ मकानों के ऐलाट न किये जाने का कारण क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश--खाली होने और ऐलाट होने के बीच में कुछ समय लगता है, इसलिये उस समय में खाली रहते हैं।

श्री मदन पांडेय--दिये गये आंकड़ों के हिसाब से ९१९ क्वार्टरों में, जिनके एलाटमेंट का जिक्र नहीं है, कौन रहता है या ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी जानकारी सरकार को नहीं है?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार को जानकारी सब की है। इनमें से ११,६११ क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, जिनमें ६,७३१ प्राइवेट कारखानों के श्रमिक, ३,७१२ केन्द्रीय और राजकीय कारखानों के श्रमिक हैं और ९०६ केन्द्रीय एवं राजकीय कर्मचारियों को दिये हुए हैं। २६२ में और लोग रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--उनका प्रश्न यह है कि जिन क्वार्टर्स का हिसाब नहीं दिया है उनकी क्या स्थिति है, उनमें क्या कोई रहता है?

श्री कैलाशप्रकाश--११,६११ के अतिरिक्त और खाली हैं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सूती मिल, लोहा मिल या जूट मिल मजदूरों के अलावा और भी राज्य मजदूरों को यह क्वार्टर दिये जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि हजारों की तादाद में वहां मजदूरों ने लिखकर वर्षों से इन क्वार्टरों के ऐलाट कराने की अर्जियां दे रखी हैं, फिर भी किन्हीं कारणों से ये खाली रखे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये क्वार्टर कितने दिनों से खाली हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---ये भिन्न-भिन्न कालोनीज में हैं। सूचना चाहिये।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या श्रमिकों ने एलाट करा के ये क्वार्टर गैर श्रमिकों को दिये हुए हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय सदस्य वहां के हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी होगी।]

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि १,००० से ऊपर क्वार्टर अभी तक खाली हैं और उनकी मांग होते हुए भी और प्रार्थना-पत्र आने पर भी उन्हें किन्हीं कारणों या अड़चनों से खाली रखा गया है, एलाट नहीं किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---कुछ ऐसे हैं जिनके लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होते, उनमें मजदूर जाना पसन्द नहीं करते। सम्भव है कि इनमें से कुछ ऐसे हों जो खाली करने और ऐलाट होने के बीच में खाली रहते हों।

*५---श्री मदन पांडेय---[हटा दिया गया।]

वाराणसी नगरमहापालिका पर ऋण

*६---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगरमहापालिका को सरकार ने १ अप्रैल, १९५३ से दिसम्बर, १९६० तक कितना रुपया कर्ज के रूप में प्रति वर्ष दिया है ? उसमें से कितना-कितना सूद व कितना मूलधन प्रति वर्ष नगरमाहपालिका ने सरकार को अदा किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८१ पर)

*७---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वक्त नगरमहापालिका के ऊपर कितना रुपया कर्ज का बकाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस समय महापालिका पर १,८२,२७,४५१.१७ रुपये कर्ज का बकाया है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में जो ५५,४०,००० पया दिया है वह किस काम के लिये दिया गया था और क्या नगरमहापालिका ने उसे इस्तेमाल कर लिया है या वह अभी भी पड़ा हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—१९५७-५८ में जो रुपया दिया गया वह इस प्रकार है—

		रुपया
१—अल्प आय आवास गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत भूमि विकास	.. ..	२,२०,०००
२—अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत	गृह निर्माण	५,००,०००
३—नगरपालिका भवन निर्माण	.. ..	१३,००,०००
४—मलप्रवाह उपयोग योजना	.. ..	६,५०,०००
५—नगरीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजना	.. ..	१७,५०,०००
६—नगरीय जलोत्सारण योजना	.. ..	८,००,०००
७—कम आय वालों की आवास योजना	.. ..	२,५०,०००
८—गन्दी बस्ती उपसारण योजना	.. ..	७०,०००

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १९५७-५८ में जो रुपया अल्प आय वालों को मकान बनाने के लिये नगरपालिका को दिया गया था उस रुपये से उन्होंने विजयानगरम् मारकेट को खरीद लिया और उन लोगों को नहीं दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य इसका नोटिस देंगे तो जानकारी प्राप्त कर ली जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महापालिका भवन निर्माण के लिये जो रुपया दिया गया है उसका भवन निर्माण हो गया है अथवा नहीं हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नगरमहापालिका की आय इस वक्त बहुत कम है और सरकारी कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या सरकार नगरमहापालिका को छूट देने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—नगरपालिकाओं को जिस वक्त उधार दिया जाता है उस वक्त इस बात की जांच-पड़ताल कर ली जाती है कि उन्हें उधार दिया जाय या नहीं। यह बात अलहदा है कि वहां की नगरपालिका ने इस बात की मांग की है कि कुछ छूट दे दी जाय। इस पर सरकार विचार करेगी।

अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद में फाइलों का गायब होना

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को पता है कि मुरादाबाद अन्तरिम जिला परिषद् के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लगभग बीस हजार रुपये के प्रावीडेंट फन्ड के हिसाब की २७५ फाइलें गायब हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कैलाशप्रकाश—अन्तरिम जिल परिषद्, मुरादाबाद ने अपने कर्मचारियों के प्रावीडेंट फंड से सम्बन्धित हिसाब का स्पेशल आडिट कराया। उक्त आडिट के सिलसिले में जो २४ अक्तूबर, १९६० से शुरू हुआ था पुरानी फाइलों की खोज की गई और २२७ फाइलों का पता नहीं लगा। अभी आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह ज्ञात नहीं कि उक्त फाइलों में कितनी रकम का हिसाब था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ये जो २२७ फाइलें गायब पायी गयीं उनको कौन मेनटेन करता था ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस सिलसिले में अन्तरिम जिला परिषद् के खजांची को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बातों की जांच की जा रही है कि और कौन-कौन जिम्मेदार है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि खजांची के अलावा उन फाइलों के लिये और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैंने निवेदन किया कि आडिट कराया गया है लेकिन अभी तक उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है। पुलिस भी इस संबंध में छानबीन कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। जो थोड़ी बहुत जानकारी खजांची के बारे में मिली उसी पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ये जो फाइलें गायब हुईं वे किस-किस विभाग से संबंधित थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है।

*९-१०—श्री लक्ष्मणराव कदम—[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११-१२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सैनिटरी इंसपेक्टरों का दौरा-भत्ता

*१३—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सैनिटरी इन्स्पेक्टरों को १९२२ से अब तक दौरे का २५ रुपया फिक्स्ड अलाउन्स मिल रहा है जो अभी तक कभी रिवाइज नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या वे इस पर पुनः विचार करने जा रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रदेश के सभी सैनिटरी इन्सपेक्टरों को तो नहीं केवल भूतपूर्व जिला बोर्डों (अब अन्तरिम जिला परिषद्) के सैनेटरी इन्सपेक्टरों को १, अप्रैल, १९४४ से दौरे का २५ रु० मासिक फिक्स्ड अलाउन्स मैदानी क्षेत्रों में तथा ३० रु० मासिक पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। उससे पहले १८ रु० मासिक मैदानी क्षेत्रों में तथा २२ १/२ रु० पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता था।

इस समय दौरे के भत्ते के संशोधन का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४४ से लेकर आज तक स्थानीय निकाय पे कमेटी रिपोर्ट बनाने के बाद बहुत बार वेतन पर पुनर्विचार किया जा चुका है ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि सन् १९४४ से लेकर आज तक जो फिकस्ड एलाउन्स २५ रु० मिलता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया और भविष्य में भी उस पर विचार करने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*१४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[१० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

रिक्शों की क्रमिक समाप्ति के लिए आदेश

*१५—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार के पास जनता की तरफ से हाल ही में ऐसे सुझाव आये हैं कि रिक्शों का चलाया जाना रोक दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*१६--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस सम्बन्ध में क्रमिक समाप्ति के लिये आदेश जारी हो चुके हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रिक्शे की कमी किस तारीख से शुरू हुई और रिक्शों का चलाना कब तक बिल्कुल बन्द हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार ने एक आदेश दिया और उपनियम बना कर भेजा कि प्रति वर्ष १० फीसदी रिक्शों की कमी हो जानी चाहिये । भिन्न-भिन्न नगरपालिकायें उसके ऊपर कार्य कर रही हैं लेकिन उन्हें कुछ अड़चन भी पैदा हो जाती है । कुछ लोग तो अदालतों में चले जाते हैं और उनकी वजह से कार्यवाही होने में देर लग जाती है । कहीं-कहीं नगरपालिका और कैन्टुमेंट बोर्ड की सीमा एक साथ मिली हुई है जहां नगरपालिका तो नियन्त्रण लगा देती है लेकिन कैन्टुमेन्ट बोर्ड के द्वारा उनको लाइसेंस मिल जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि नगरपालिका की लाइसेंस फी में तो कमी हो जाती है लेकिन रिक्शों में कमी नहीं हो पाती । इसलिये इस सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार का पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार से भी चल रहा है । इनके बीच में कभी अदालतें आ जाती हैं और कभी केन्द्रीय सरकार का मामला होने की वजह से इसके लिये कोई अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--यह देखते हुए कि रिक्शे से बहुत से गरीबों को मजदूरी मिलती है और रिक्शे चलाना रोक देने से वे बिना काम के हो जायेंगे । सरकार किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार करेगी कि उनको आल्टरनेटिव तरीके पर मजदूरी मिल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार का तो यह प्रयास रहता ही है कि जो बेकार हों उन्हें कोई काम मिल जाय ।

श्री देवनारायण भारतीय--नगरपालिकाओं तथा कैन्टूमेन्ट बोर्ड्स की हद के बाहर भी जो जिले की सड़कें हैं अब उन पर भी बहुत बड़ी तादाद में रिक्शे चलने लगे हैं, तो क्या सरकार ने उनके लिये भी यह आदेश दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--मुझे इस बात की अभी तो कोई जानकारी नहीं है, यदि माननीय सदस्य उस संबन्ध में जानकारी करायेंगे तो इस बात की देखभाल जरूर करूंगा ।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रिक्शे चलाना रोक देने के सम्बन्ध में किन-किन जिलों से सरकार के पास सुझाव आये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--असल में यह प्रश्न तो बहुत दिनों से चल रहा था और यह कहा जाता था कि रिक्शे चलाने का स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और रिक्शे का चलाना जनहित में बन्द हो जाना चाहिये । सन् १९५५ में सारे देश के श्रममंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने भी यह तय किया कि रिक्शे का चलाना बन्द होना चाहिये । उसके बाद केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी कुछ सुझाव आये और प्रदेश की सरकार ने उन पर विचार किया और उनसे सहमत हुई और इसलिये यह आदेश जारी किया गया ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब साइकिल रिक्शे का चलाना वे बन्द करने जा रहे हैं तो सरकार द्वारा स्कूटर रिक्शे चलाने का आदेश न देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--अभी तक तो वे बन्द हो नहीं हो पाये हैं ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कई बार इस हाउस में इस मसले पर बहस हो चुकी है कि कानपुर जैसे शहरों में जिन की आबादी इतनी बड़ी है और जहां पर कि मोटर रिक्शा आसानी से चल सकते हैं और जिन पर रिक्शा ड्राइवरों को लगाया जा सकता है, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था अख्तयार करेगी कि इतनी बड़ी आबादी वाले शहरों में जिनकी रिक्शा छूट जाय उन को मोटर रिक्शा चलाने की इजाजत दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस समय कानपुर के विषय में हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है जब कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली आदि शहरों में जिस तरह से यंत्रचालित रिक्शा चलता है उसी प्रकार यू० पी० के नगरों में भी सहकारी समितियों की सहायता कर के कोई यंत्रचालित रिक्शा चलाने की योजना सरकार चालू करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न तो रोकने का है, वह प्रश्न अलग है ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अभी मंत्री जी ने बताया कि सरकार का प्रयास रहता है कि बेकारों को काम मिले, तो क्या जितने लोगों से रिक्शा छुड़ाकर उन को बेकार कर दिया गया उन को सरकार ने कोई काम दे दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश---हर एक बेकार को काम देने की बात मैंने नहीं कही, प्रयास ऐसा सरकार का रहता है ।

*१७-१९---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---[स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष का त्यागपत्र

*२०---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो क्या वहां के जिला अधिकारियों ने सरकार से नगरपालिका को अपने हाथ में लेने के लिये सिफारिश की है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त इस्तीफे का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, फैजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्ताफा दे दिया है और उसमें कारण यह लिखा है कि बोर्ड की वर्तमान परिस्थितियों में वे अब और अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहना वांछनीय नहीं समझते । वहां के जिलाधिकारियों ने सरकार के पास रिपोर्ट भेजी है जो विचाराधीन है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अध्यक्ष ने जो लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिक समय तक वह अध्यक्ष नहीं रहना चाहते तो क्या उन्होंने उन परिस्थितियों के विषय में विस्तारपूर्वक कुछ सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो क्या क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश---जैसा कि मैंने उत्तर में कहा, उन्होंने कहा कि वर्तमान बोर्ड की जो परिस्थिति है उसमें वह अध्यक्ष नहीं रहना चाहते उनका लिखा हुआ जो आया है वह तो मैंने अभी नहीं देखा है लेकिन उन से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने अपनी बात के दौरान में कहा कि वहां के बोर्ड की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उस आर्थिक स्थिति में वह वहां नहीं रहना चाहते और जितने टैक्स आदि वह बढ़ाना चाहते थे उनमें उनको सहयोग नहीं मिलता इसलिये वह उस पद पर नहीं रहना चाहते । लेकिन बाद में कुछ यह भी खबर आई है कि उन की घरेलू परिस्थिति भी ऐसी है कि वह अब अध्यक्ष पद पर रहना उचित नहीं समझते ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---अभी उन्होंने कहा कि वहां के अध्यक्ष ने भी कुछ लिख कर भेजा है और कुछ वहां के अधिकारियों ने भी भेजा है, तो क्या मंत्री जी बतायंगे कि उन्होंने क्या मुख्य-मुख्य बातें लिखकर भेजी हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---जबतक अन्तिम निर्णय न हो जाय उसका बताना मुनासिब न होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यक्ष ने कब इस्तीफा दिया और जिला अधिकारियों ने कब इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस्तीफा दिया ३ फरवरी, सन् १९६१ को ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---और सरकार के पास अधिकारियों ने कब लिखा ?

श्री कैलाशप्रकाश---उसकी तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या आफिसर्स ने यह रिकमंडेशन की है कि इस बोर्ड को सुपरसीड किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो जिला अधिकारी से रिपोर्ट आती है जब तक उस पर अन्तिम निर्णय न हो जाय उसे बताना मैं मुनासिब नहीं समझता ।

मऊनाथभंजन नगरपालिका के अध्यक्ष का पद

*२१---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊनाथभंजन (आजमगढ़) नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---मऊनाथभंजन नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट का पद अभी रिक्त नहीं हुआ है। अतः उप-निर्वाचन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि मऊनाथ-भंजन नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं ।

गोरखपुर नगरपालिका में गबन

*२२---**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार दिनांक २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि गोरखपुर नगरपालिका के स्पेशल आडिट में कुल कितने रुपये का गबन पाया गया और इस गबन के लिये कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---गोरखपुर के विशेष आडिट में कुल लगभग ८२,००० रु० का गबन पाया गया जिसमें से लाइसेन्स विभाग में ३४,००० रु० का अपहरण हुआ है। इसके अतिरिक्त खत्ता महेवा, बिलन्दपुर और हुमायूंपुर के ठेकेदारों को बिना पट्टे लिखाये कब्जा दे देने व समय पर रुपये की वसूली न करने के कारण ४८,०००रु० की हानि बोर्ड को पहुंची । जो अधिकारी तथा कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये उनके विवरण प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर में दिये जा चुके हैं ।

श्री रामसूरतप्रसाद---क्या मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि ८२ हजार रुपये का गबन और ४८ हजार रुपये की जो क्षति हुई है इसमें एकाउन्टेन्ट तथा अन्य विभागीय लिपिकों का भी हाथ था और म्यूनिसिपिल बोर्ड के कुछ मेम्बरों ने उन पर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, जांच हो रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो एकाउन्टेन्ट है वह एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद पर कार्य कर रहा है और वह एकतरफा रिपोर्ट दे देता है? यदि हां, तो इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी जांच करायेगें और एकाउन्टेंट को सस्पेंड कराएंगे?

श्री कैलाशप्रकाश--मैंने निवेदन किया कि सभी बातों की जांच हो रही है ।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब ८२ हजार का गबन हो गया और जांच हो रही है तो क्या इसके संबंध में कुछ लोग पकड़े भी गये और उनके ऊपर मुकदमा भी कायम हो गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--एक्जीक्यूटिव आफिसर को सस्पेन्ड किया गया था लेकिन वह फिर अदालत में चले गये और अदालत में दोनों तरफ से मुकदमे चले हुए हैं, इधर से म्यूनिसिपल बोर्ड ने भी अपील कर रखी है और उधर से उन्होंने भी । लेकिन फिर उनके खिलाफ दूसरे चार्जेज है उसमें सस्पेंड किया गया ।

श्री रामसूरतप्रसाद--क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो वर्तमान समय में ई० ओ० सस्पेंडेड हैं और मुकदमा भी कोर्ट में दायर कर दिये हैं उसमें म्यूनिस्पिल बोर्ड के कुछ मेम्बर भी सहयोग कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--इसकी मुझे जानकारी नहीं है । माननीय सदस्य को अधिक जानकारी होगी ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो उस वक्त एक्जीक्यूटिव आफिसर से फिर से जवाब तलब किया गया है वह कब किया गया है और उसका उन्होंने कोई उत्तर दिया है और यदि दिया है तो वह क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--मेरे पास दिनांक नहीं हैं। इतनी सूचना है कि उसको सस्पेंड किया गया और चार्जशीट दी गई ।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की अपूर्ण योजनायें

*२३--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--विधान सभा के २० फरवरी,१९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी १० इम्प्रूवमेन्ट स्कीमें कौन-कौन सी हैं जिन्हें २० वर्ष से अधिक हो गये हैं और वे भी अभी तक पूरी नहीं हुई है?

श्री कैलाशप्रकाश--उत्तर प्रदेश के ३ कबाल नगरों में टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ के अन्तर्गत बनाई गई ऐसी १० स्कीमें हैं जिन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुए २० साल से अधिक हो गये हैं, किन्तु वे अभी तक पूरी नहीं हैं ।

कानपुर

१--फैक्टरी एरिया योजना ।
२--दक्षिणी नगर विकास योजना ।
३--गुटैया योजना ।
४--पँच बाग दलेलपुरवा योजना ।
५--राय पुरवा योजना ।

इलाहाबाद

६--जार्ज टाऊन एक्सटेंशन स्कीम ।
७--साउथ हाउसिंग स्कीम भाग २ ।

लखनऊ

८—६ सेक्शन सैनिटरी रोड स्कीम।

९—कैनिंग स्ट्रीट थर्ड (Third) स्कीम।

१०—कन्धारी बाजार सामान्य विकास योजना।

*२४—**श्री सजीवनलाल**—उक्त स्कीमों के अभी तक पूरा न होने के क्या-क्या कारण हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त स्कीमों की स्थिति तथा कारण इस प्रकार हैं:—

कानपुर

फैक्टरी एरिया योजना तथा दक्षिणी विकास योजना—कानपुर की पहली और दूसरी योजनायें हैं जो कि नगर विस्तार के नियन्त्रण के लिये घोषित की गई थीं और जिनका क्षेत्रफल प्रायः ४ हजार एकड़ था। इन क्षेत्रों में जैसे-जैसे विकास कार्य बढ़ता गया उसके साथ-साथ भूमि अर्जन भी बढ़ता गया। अब इन क्षेत्रों में भूमि अर्जन कार्य अन्तिम स्थिति में है और शेष बचे भागों का अर्जन कार्य इस वर्ष समाप्त हो जाने की आशा है।

गुटैया योजना—में भी काम प्रायः समाप्त हो चुका है केवल गुटैया कलां जो मेडिकल कालेज में आ गया है उसके कुछ अंश का अर्जन कार्य समाप्ति पर है, किन्तु रिट (writ) के कारण इस योजना में एक मामला रुका हुआ है।

पेंचबाग दलेलपुरवा योजना—काफी अंश से कार्यान्वित की जा चुकी है परन्तु इसमें कुछ बड़े-बड़े अहाते अभी एक्वायर हो रहे हैं। इनके एक्वीजीशन पिछले ४-५ साल से जारी हैं। हाई कोर्ट में रिट होने के कारण कई वर्षों तक योजना रुकी रही है।

रायपुरवा योजना—भूमि अर्जन तथा विकास कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है केवल १-२ छोटी-छोटी सम्पत्तियां बाकी हैं जो एक्वायर हो रही हैं और इस वर्ष पूर्णतः समाप्त हो जावेंगी।

इलाहाबाद

जार्जटाउन एक्सटेशन स्कीम—यह पूरी हो चुकी है और नियमानुकूल पूर्ण घोषित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

साउथ हाउसिंग की स्कीम—इसकी स्वीकृति १९३६ में की गई थी और इसमें बराबर कार्य हो रहा है। अभी इसमें कुछ मकानों तथा खेतों का भूमि अर्जन करना बाकी है। कुछ खेतों को जो हस्तान्तरित हो चुके हैं उनपर अभी विकास कार्य होना बाकी है। इन खेतों को अभी अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत एक साल के पट्टे पर दिया जाता है। यह स्कीम ट्रस्ट की सब से वृहत योजना है। इसका क्षेत्रफल साढ़े ३५५ १/२ बीघा है। इस योजना के अन्तर्गत शहर का अधिकतर दक्षिणी भाग आ जाता है। इसमें थोड़े से मकान हैं बाकी जोतने-बोने लायक खेत हैं।

जो भाग अच्छा था उस पर विकास कार्य हो चुका है परन्तु अब जो भाग बाकी रह गया है वह बहुत नीचा हिस्सा है जिस पर अभी विकास कार्य सुगमता से नहीं हो सकता अतः उसका धीरे-धीरे भूमि-अर्जन किया जा रहा है और विकास कार्य हो रहा है।

लखनऊ

६ सेक्शन सेनिटरी रोड स्कीम—यह १९२१ में स्वीकृति हुई थी। इसमें प्रापरटीज के अर्जित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना के अधिकांश भाग में विकास कार्य हो चुका है केवल बाग मिर्जा जुम्मा में विकास कार्य होना है परन्तु यह भी लगभग पूरा हो रहा है।

कैनिंग स्ट्रीट थर्ड स्कीम—यह १९२१ में स्वीकृत हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली प्रापरटीयों को अर्जित करने का कार्य भूतपूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ की आवश्यकतानुसार लगभग पूर्ण हो चुका है और विकास कार्य के लिये जिन प्रापरटीज की आवश्यकता थी उन्हें अर्जित किया जा चुका है। लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर द्वारा बहुत-सी प्रापरटीज का अधिकार

अभी तक नगरमहापालिका को इस कारण नहीं दिया जा सका है क्योंकि अभी तक विस्थापितों को पुनर्वासित करने का उचित प्रबन्ध नहीं हो सका है। तथा प्रतिकारियों (awardees) द्वारा दायर किये गये रिट पिटीशनों पर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। पुनर्वासन की सुविधा पाने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार हो रही है। जैसे ही यह सूची तैयार हो जायगी विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जावेगा तथा लैन्ड एक्वीजीशन के आफिसर से अनुरोध किया जावेगा कि वह भूमि का अधिकार नगरमहापालिका को दे दे।

कन्धारी बाजार सामान्य विकास योजना—यह १९३९ में स्वीकृत हुई थी तब से सन् १९४३ तक लैन्ड एक्वीजीशन आफीसर द्वारा बहुत सी प्रापरटीज अर्जित की जा चुकी हैं। कुछ कारणवश प्रापरटीज अर्जित करने का कार्य स्थगित कर दिया गया था। मास्टर प्लान में सरकार द्वारा यह स्थान सचिवालय के समीप होने के कारण इसको राजकीय कार्यालयों के हेतु सुरक्षित कर दिया गया था। इसके उपरान्त सरकार ने पी० डब्लू० डी० के प्रस्ताव को भेजते हुये राय दी कि ट्रस्ट के ले आउट में सचिवालय के क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में एक सड़क को बढ़ाया जाय जो ले आउट में सम्मिलित कर ली जाय। इसके उपरान्त न्याय तथा स्वास्थ्य मन्त्री ने ३—८—५९ को स्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरान्त सरकार द्वारा मांगी गई समस्त सूचनायें प्रेषित कर दी गईं। अन्त में सरकार ने अपनी राजाज्ञा पत्र दिनांक, २०—६—५९ द्वारा आदेश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत प्रापरटीज के अर्जित करने का कार्य प्रारम्भ किया जाय। कागजात लैन्ड एक्वीजीशन अफसर को आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दिये गये हैं।

नगरमहापालिका के स्थापित होने के बाद सभासदों के समक्ष एक सम्मलित प्रार्थना-पत्र आया जिसमें यह सुझाव दिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाली इमारतों तथा उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुये उसका संशोधन किया जाय। इस कार्य के लिये विकास समिति द्वारा एक उपसमिति नियुक्त की गई, जिसने स्थान का निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हुये यह सुझाव दिया कि लेआउट तथा इसके अर्जित व विकास करने की अनुमति लागत को raise किया जाय तथा अनुरोध किया कि इसे उपसमिति के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये रक्खा जाय। संशोधित लेआउट तथा तखमीना बनाया जा रहा है।

*२५—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार नगरमहापालिका के अधिनियम के अनुसार ऐसी स्कीमों से अपनी स्वीकृति वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री मदन पांडेय—मन्त्री जी बतायेंगे कि जो महापुराण में अभी पढ़ा गया इसके अनुसार यह ज्ञात होता है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की योजना को लागू करने के कारण बहुत से लोग विस्थापित होंगे, तो सरकार विचार कर रही है कि जो विस्थापित हो रहे हैं इस योजना के लागू होने से उन्हें सबसे पहले अवसर मिलेगा कि वे नक्शे के मुताबिक वहां अगर मकान बनाना चाहें तो बना सकते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं तो उत्तर में कह चुका हूं कि उनकी सूची बन रही है और उनके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ऐक्ट, १९१४ की दफा ४२ के मातहत यह उपबन्ध है कि सामान्य विकास योजना तुरन्त लागू की जाय? यदि हां, तो इन स्कीमों को तीस वर्ष होने पर भी क्यों रद नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—सरकार का विचार रद्द करने का नहीं है यह माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया। इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री ऊदल—जैसा माननीय मन्त्री ने बतलाया कि कंधारी बाजार योजना सन् ३९ में लागू की गई थी तो इस स्कीम के अन्तर्गत जिनके मकान पड़ते हैं उनको बसाने के लिये भी कोई योजना सरकार ने बनायी या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी स्कीम जब होती है तो हरएक विस्थापित को बसाने की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। उनके साथ सहानुभूति होती है।

जौनपुर जिले में प्रधान पद के उम्मीदवारों के अवैध नामांकन पत्र

*२६—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायतों के १९६१ के चुनाव के सिलसिले में जौनपुर जिले के विकास खंडों (मय छाया खंडों के) में अलग-अलग कितने-कितने पर्चे प्रधान पद के उम्मीदवारों के अवैध घोषित किये गये और इन अवैध हुये पर्चों में भारतीय दन्ड विधि संग्रह की धारा ३७९ के अन्तर्गत दन्ड पाने के कारण कितने-कितने पर्चे अवैध हुये?

श्री कैलाशप्रकाश—इस जिले में गांव पंचायतों के १९६१ के चुनाव के सिलसिले में विकास खंडों (मय छाया खंडों के) कुल ११५ नामांकन पत्र प्रधान पद के उम्मीदवारों के अवैध घोषित किये गये पर्चों में से २६ पर्चे भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा ३७९ के अन्तर्गत दण्ड पाने के कारण अवैध घोषित किये गये हैं। ब्लाक एवं छाया क्षेत्रवार स्थिति निम्न प्रकार है—

विकास क्षेत्र	प्रधान पद के उम्मीदवारों के अवैध घोषित किये गये पर्चों की संख्या	भारतीय दंड विधि की धारा ३७९ के अन्तर्गत दंड पाने के कारण अवैध घोषित किये गये पर्चों की संख्या
१	२	३
१—केराकत ..	४	१
२—डोभी ..	५	३
३—जलालपुर ..	२	..
४—बरसठी ..	११	२
५—मुफतीगन्ज ..	६	१
६—मछलीशहर ..	४	..
७—मूंगराबादशाहपुर	६	१
८—सुजानगन्ज ..	७	..
९—महराजगन्ज ..	१४	१०
१०—मड़ियाहू ..	४	..
११—रामपुर ..	२	..
१२—रामनगर ..	७	..
१३—सिकरारा ..	८	३
१४—धर्मापुर ..	२	..
१५—बख्श ..	१०	२
१६—करन्जाकलां	३	..
१७—शाहगन्ज ..	५	..
१८—सुइथाकलां ..	१२	२
१९—बदलापुर ..	३	१
२०—खुटहन ..	..	..

डी० सी० डी० एफ०, खीरी के कार्यालय में टीन की चादरों का गबन

*२७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के डी० सी० डी० एफ० के कार्यालय में १९६० में टीन की चादरों के स्टाक में जो गबन पकड़ा गया था उसमें कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—डी० सी० डी० एफ०, खीरी के तत्कालीन स्टोर कीपर श्री शांति स्वरूप मिश्रा दोषी पाये गये।

स्टोर कीपर को निलंबित कर दिया गया और मामला पुलिस में दे दिया गया। वह अभी पुलिस की जांच में है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह वाक्य किस तारीख का है और पुलिस की जांच कितने दिनों से पेंडिंग है ?

श्री मंगलाप्रसाद—पहले पहल यह मामला ५-५-१९६० को मालूम हुआ था और अभी तक पुलिस जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट कोई आई नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मामले को करीब एक साल होने आता है और इस बीच में कई कप्तान और कोतवाल बदल गये हैं, तो उसकी जांच कब पूरी हो जायगी और क्या मन्त्री जी इसपर कुछ आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरा खयाल है कि शीघ्र ही पूरी हो जायगी। बहुत-सी वाकफियत तो हमारे पास भी है लेकिन जो जांच पुलिस की हो रही है उसकी वाकफियत अभी नहीं है।

नगरमहापालिकाओं में गन्दे पानी की उपयोग-योजना

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्दा पानी, मूल-मूत्र नदियों में न गिराकर उसका उपयोग खेतों में जो करने की योजना पांचों नगरमहापालिकाओं में चालू थी उसमें अब तक कितनी और कहां-कहां कामयाबी हुई और कहां-कहां नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२९—श्री प्रतापसिंह—[स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले में उसैहता का नलकूप तथा ईंटों के सहकारी भट्ठे

*३०—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव सोसाइटी ने १९५५-५६ में ग्राम उसैहता, तहसील बदायूं के सिंचाई के कुओं पर कितना धन लगाया और उससे कितनी सिंचाई हुई ? यदि सिंचाई नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री मंगलाप्रसाद—ग्राम उसैहता के नलकूप के बनाने में कुल १३,१४२ रु० लगा है जिसमें १०,००० रु० सरकार से मिली तकावी का था और शेष ३,१४२ रु० नलकूप विभाग बदायूं ने लगाया ।

इस नलकूप से वर्ष ५६-५७ में २०० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई । उसके बाद इस नलकूप से सिंचाई नहीं हो सकी क्योंकि नलकूप की कच्ची गूलें नष्ट हो गई।

*३१—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा कितने ईंट के भट्टे १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में चलाये गये उनमें से कितने मास जनवरी, १९६१ में चालू थे और कहां–कहां के भट्टे बन्द पड़े हैं और उनके बन्द होने का क्या कारण है?

श्री मंगलाप्रसाद—जिला बदायूं में सहकारी समितियों द्वारा कथित वर्षों में चलाये गये भट्टों की संख्या निम्न प्रकार की थी—

वर्ष १९५७–५८	५
वर्ष १९५८–५९	१२
वर्ष १९५९–६०	९

जनवरी, ६१ में केवल एक भट्टा चालू था। जिन स्थानों के भट्टे बन्द पड़े हैं वे मेज पर रक्खी सूची में दिखलाये हुये हैं। बन्द होने का कारण कोयले का न मिलना है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७८२ पर)

श्री टीकाराम—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप ने कोआपरेटिव सोसाइटी को किन कारणों से सहायता दी?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। हमारे पास जो खबर है वह यह कि नलकूप डिवीजन ने सिर्फ ३,१४२ रुपये लगाये।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६–५७ में केवल २०० एकड़ की सिंचाई हुई और उसके बाद कच्ची गूलें खराब हो गईं? यदि हां, तो आज चार वर्ष से कोई प्रयत्न कोआपरेटिव सोसायटी की ओर से उन गूलों को पक्का करने का या कच्ची गूलों को फिर से साफ करने का किया गया या नहीं?

श्री मंगलाप्रसाद—नहीं किया गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि यह नलकूप अब सिंचाई विभाग के मातहत काम कर रहा है या जो कुछ उसके असेट्स हैं वह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत हैं या कोआपरेटिव विभाग के अन्तर्गत हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—यह सहकारिता विभाग में ही था और इस बात का प्रयास किया गया है कि इसको नलकूप डिवीजन ले ले। एक कायदा है कि नलकूप के पास बिजली हो तो सरकार को दे दिया जाय तो इसको देने की कोशिश की गई। लेकिन बिजली दूर है और गूलें बनाने में काफी पैसा खर्च होने वाला है इसलिये उन्होंने इसको अभी नहीं लिया है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दस हजार रुपये की तकावी इस ट्यूबवेल के बनाने में दी गई थी, वह माफ कर दी गई है या सरकार उसको वसूल करने की कोशिश कर रही है और यदि वसूल नहीं हुई है तो क्या कोआपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने जा रही है?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये आप फिर सवाल करेंगे। जहां तक तकावी का सवाल है वह माफ नहीं होती है।

श्री टीकाराम—यह जो जवाब में कहा गया है कि भट्टे कोयला न मिलने के कारण बन्द हैं तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह कब से बन्द हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—इसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि ५७–५८ में ५ चले, ५८-५९ में १२ चले और ५९–६० में एक चला तो फिर आप किसके बारे में पूछ रहे हैं?

श्री टीकाराम—उनके रुकने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो उन्होंने बताया कि कोयले की कमी के कारण।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन भट्टों के कामयाबी से न चलने का कारण यह है कि उनमें काफी गबन हुआ है जिसके कारण वह फेल हुये हैं और आगे नहीं चल सकते हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—माननीय सदस्य को मालूम है, लेकिन मुझे खबर नहीं है कि वहां कोई गबन हुआ है। नुकसान जरूर हुआ है।

आजमगढ़ जिला कोआपरेटिव फेडरेशन में गबन सम्बन्धी रिपोर्ट

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिला कोआपरेटिव फेडरेशन के गत वर्ष के १ लाख ७३ हजार रुपये के गबन के सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है? यदि हां, तो कब और क्या?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नही।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसके द्वारा जांच कराई जा रही है और अब तक रिपोर्ट न आने का क्या कारण है?

श्री मंगलाप्रसाद—इसमें कई दिक्कतें हैं। जो लोग पहले इसके चार्ज में थे श्री मूलचन्द उपाध्याय वह बाहर चले गये हैं। उनके बुलाने वगैरा में देर हुई है और पूरी जांच नहीं हो सकी। मैं खुद वहां गया था और एस० पी० से कह आया था कि आप इंटरेस्ट लेकर इसको देख लें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आजमगढ़ में कोआपरेटिव सोसाइटी में गबन हुआ है उसमें जिले के उच्च अधिकारियों का भी संबंध बताया जाता है और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने मांग की है कि सी० आई० डी० के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाय? यदि हां, तो सराकार ने इस संबंध में क्या उचित कदम उठाये हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है और न किसी ने कहा ही कि इसमें उच्च अधिकारी शामिल हैं। इसमें सिर्फ श्री मूलचन्द उपाध्याय जो इंस्पेक्टर थे और ५ साल तक वहां रहे और वह शायद इसके सेक्रेटरी भी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जांच हो रही है और डिप्टी रजिस्ट्रार को कार्यवाही करने का काम दे दिया गया है और इसके अलावा काफी कोशिश की जा रही है। इसके लिये स्पेशल आडिट भी बिठाया गया है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और न सी० आई० डी० की आई है। जब आ जायंगी तो बता दिया जायगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, मंत्री जी २० मार्च को आजमगढ़ गये थे तो क्या उन्होंने यह जानने की जहमत गवारा की कि जांच की प्रगति किस स्टेज पर है और इस बात की हिदायत दी कि उक्त तारीख तक रिपोर्ट दे दी जाय?

श्री मंगलाप्रसाद—निश्चित तारीख तो मुकर्रर करने की कोशिश नहीं की गई और न की जाती है। लेकिन यह कहा गया कि इसमें तेजी से काम करें और इंटरेस्ट लेकर काम करें।

उन्नाव जिले में गांव सभाओं के चुनाव में झगड़े तथा चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३३—श्री मुल्ला प्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में किन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध चुनाव में बेजा हस्तक्षेप करने व अनियमित कार्य करने की शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन्नाव जिले में केवल एक सहायक निर्वाचन अधिकारी व एक पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं । सहायक निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत पर जांच करने पर वह दोषी सिद्ध नहीं हुआ तथा पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत पर अभी जांच की जा रही है ।

*३४—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में पंचायत चुनाव में किन-किन ग्राम सभाओं में झगड़े व दंगे हुये ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन्नाव जिले में पंचायत चुनाव में जिन गांव सभाओं में मतदान के समय पोलिंग स्टेशनों पर झगड़े व दंगे हुये वे निम्न प्रकार से हैं—

१—गांव सभा, हसनपुर पश्चिम, थाना ओरास,
२—गांव सभा, किशनपुर टंडवा, थाना सफीपुर,
३—गांव सभा, नसिरापुर, थाना बांगरमऊ,
४—गांव सभा, लउवा सिंहनखेड़ा, थाना मोरावां,
५—गांव सभा, निस्फ पंसारी, थाना कोतवाली,
६—गांव सभा, सारूखेड़ा, थाना बारा सगवर ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद के विरुद्ध कथित शिकायतें

*३५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जब से नगरपालिका, फर्रुखाबाद का प्रबन्ध सरकारी अधिकारियों के हाथ में आया है तब से नगरपालिका में गड़बड़ी के सम्बन्ध में जनता द्वारा की गई शिकायतें शासन के पास आई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई शिकायत शासन के पास नहीं आई है ।

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद नगरपालिका में आढ़ती और ठेकेदार के बीच झगड़ा चल रहा है जिससे नगरपालिका को हजारों रुपये का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, फर्रुखाबाद नगरपालिका में आढ़ती और ठेकेदार का झगड़ा चल रहा है परन्तु उस झगड़े से नगरपालिका का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

शोहरतगढ़ ग्राम सभा को बाजार का प्रबन्ध देने की प्रार्थना

*३७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शोहरतगढ़ बाजार, जिला बस्ती को अन्तरिम जिला परिषद्, बस्ती के नियंत्रण से शोहरतगढ़ ग्राम सभा के नियंत्रण में देने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र वहां के शिष्टमंडल ने सरकार के पास १९६०-६१ में भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

जिलाधीश से रिपोर्ट प्राप्त की गई है जो विचाराधीन है ।

*३८—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह जानकारी है कि जन-कल्याण समिति शोहरतगढ़, बाजार, जिला बस्ती के सदस्यों ने जिलाधीश बस्ती से मिलकर कोई पत्रक उक्त बाजार के सम्बन्ध में पिछले ४ महीने के भीतर दिया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का मंहगाई भत्ता

*३९—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित) तथा श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री अथवा सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को सूचना है कि प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को उनका वेतन और महंगाई का भत्ता ठीक समय से नहीं मिलता है और क्या प्रति मास नियमित रूप से उसे दिलाने का प्रबन्ध सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्र की जा रही है ।

सम्पूर्णनगर कालोनी के कोआपरेटिव इंस्पेक्टर के स्थानान्तरण की मांग

*४०—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में इस समय कितने कोआपरेटिव इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिन्हें एक स्थान पर कार्य करते हुये ५ वर्षों से अधिक हो चुका है और उनका तबादला जिले के अन्दर कहीं पर किसी अन्य जिले में नहीं हो सका है ?

श्री मंगलाप्रसाद—खीरी जिले में इस विभाग का कोई कोआपरेटिव इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है जो एक स्थान पर ५ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहा हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को यह पता है कि खीरी जिले की सम्पूर्णनगर कालोनी की कोआपरेटिव सोसाइटी के कोआपरेटिव इंस्पेक्टर, श्री एम० आई० खान १९५५ से आज तक विराजमान हैं, और पिछले वर्ष कोआपरेटिव विभाग के माननीय मंत्री ने उनके तबादले का आर्डर दे भी दिया था, फिर भी अभी तक तबादला नहीं हो पाया ?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरा खयाल है कि आप को कुछ गलत खबर बता दी गई है । जिन इदरीस साहब का जिक्र किया गया वह इदरीस साहब खीरी कालोनाइजेशन स्कीम में मुकर्रर किये गये थे और वहां से १९५८ में फिर पीलीभीत में आये । इसलिये उनको अभी तीन वर्ष से ज्यादा नहीं हुये उस जगह काम करते हुये ।

मकनपुर सहकारी समिति

*४१—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ की मकनपुर भट्ठा सहकारी समिति कब रजिस्टर्ड हुई और १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में अब तक सरकार की ओर से उसे कितनी ग्राण्ट या ऋण दिया गया ?

श्री मंगला प्रसाद—जिला मेरठ की मकनपुर सहकारी समिति ६–१२–५२ को रजिस्टर हुई थी ।

कथित समय में सरकार ने इस समिति को कोई ग्राण्ट या ऋण नहीं दिया ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सोसाइटी में मकनपुर के कितने व्यक्ति हैं ? क्या उनका कोई भट्ठा भी है या नहीं ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसका कोई भट्ठा नहीं है ।

श्री तेजासिंह—जब सोसाइटी दर्ज करते हैं, तो उसमें मेम्बर होते हैं और मकनपुर एक गांव है, उसके निवासी तो होंगे ? इस लिये मैं चाहता हूं ।

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस चाहिये क्योंकि मकनपुर के बारे में सवाल नहीं किया था । यह बात सही है कि मकनपुर सहकारी समिति है । उसने कोई भट्ठा नहीं खोला है ।

गाजियाबाद के कोला मुहल्ले में गन्दे पानी के नियंत्रण के लिये प्रार्थना

*४२—**श्री तेजासिंह**—क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजियाबाद नगरपालिका का सब गंदा पानी कोला मोहल्ला में से खुले नाले में जाता है जिससे मच्छर और बीमारियां पैदा होती है ? क्या सरकार इस पानी को सीवेज द्वारा ले जाने का प्रबन्ध कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सही है कि नगर का कुछ गंदा पानी प्रयत्न करने के पश्चात् भी सीवर में न जाकर कोला ग्राम के कच्चे नाले में जाता है । इस विषय में अधिशासी अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, मेरठ ने एक योजना बनाने का, जिसके अन्तर्गत एक चेम्बर और बड़ा गलीपट का प्राविधान है, नगरपालिका, गाजियाबाद को सुझाव दिया और मुख्य अभियन्ता का शुल्क ५०० रु० अग्रिम जमा करने के लिये भी सूचित किया ताकि उक्त योजना बनाई जाय, परन्तु आर्थिक संकट के कारण नगरपालिका उक्त योजना कार्यान्वित कराने में असमर्थ है ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुझाव कब नगरपालिका को दिया गया था और उसको अगर आर्थिक संकट था तो आज कल भी वह आर्थिक संकट चल रहा है या आज उनकी दशा ठीक हो गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—क्योंकि आर्थिक संकट तो चलता ही रहता है और उस योजना पर काफी रुपया खर्च होना था इसलिये अब एक सुझाव और नगरपालिका को दिया गया है जिससे यह आशा की जाती है कि सम्भव है उस सुझाव को कार्यान्वित करने से यह पानी उसमें चला जाया करेगा ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कोला गांव में हरिजनों की आबादी ज्यादा है और इसलिये यह और जरूरी है कि अगर नगरपालिका के पास रुपया नहीं है तो सरकार नगरपालिका को ऋण दे और इस पानी का इन्तजाम किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—पहली बात तो मुझे मालूम नहीं है । माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम होगा कि कौन लोग उस गांव में रहते हैं । लेकिन ऋण तो उसको दिया जाता है जो ऋण मांगता है और जिसकी ऋण अदा करने की हैसियत हो । मैंने पहले बताया कि इतनी बड़ी योजना वह नहीं चला सकते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, इसलिये उनको और छोटे खर्चे का सुझाव दिया गया ।

जालौन जिले में गांव सभाओं के चुनाव का स्थगन

*४३—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में गत पंचायत निर्वाचन में किन-किन गांव सभाओं में अशान्ति व झगड़े होने के कारण यथासमय चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके थे और चुनाव की तिथियां बढ़ाई गई थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस जिले में गत पंचायत निर्वाचन में किसी भी गांव सभा में प्रधान पद का चुनाव अशान्ति व झगड़ा होने के कारण स्थगित नहीं हुआ और न चुनाव तिथि ही बढ़ाई गई परन्तु ग्राम सभाओं के सदस्यों के चुनाव में ५ ग्राम सभाओं भिटारी, बम्हौराकलां करमचन्दपुर, इंटौर और लोना में अशान्ति व झगड़ा होने के कारण चुनाव स्थगित हुये और मतदान के लिये दूसरी तिथि निश्चित की गई ।

*४४—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झगड़ा पैदा करने वालों और अशान्ति पैदा करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—उपरोक्त ५ ग्राम सभाओं के सदस्यों के चुनाव में ग्राम भिटारी में १४ व्यक्तियों का चालान पुलिस विभाग द्वारा बलवे में किया गया । शेष ४ ग्राम सभाओं में कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जिस पर शासन द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक होता ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव भिटारी में जहां १४ व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं वहां झगड़ा किस प्रकार से आरम्भ हुआ और क्या वहां किन्हीं घातक हथियारों का प्रयोग किया गया था ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसका पूरा ब्योरा मेरे पास इस समय नहीं है ।

गांव सभाओं के निर्वाचन

*४५—**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी गांव सभायें ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव नहीं हो सके, कितनी गांव सभायें ऐसी है जिनमें केवल अध्यक्ष चुने जा सके किन्तु सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका तथा कितनी गांव सभायें ऐसी हैं जिनमें अध्यक्ष नहीं चुने जा सके, केवल सदस्य ही चुने जा सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४६—**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन गांव सभाओं के चुनाव मुकम्मिल नहीं हो सके वे कब तक मुकम्मिल हो सकेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाकी गांव सभाओं के जिनके चुनाव मुकम्मिल नहीं हुये हैं उनमें किस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रह है ताकि चुनाव पूरा हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिन गांव सभाओं में चुनाव नहीं सम्पन्न हो पाये हैं उनके लिये प्राविधान यह है कि पहली दफा चुनाव होता है, उसमें जो स्थान रिक्त रह जाते हैं उनमें फिर दुबारा चुनाव होता है और दुबारा भी यदि स्थान नहीं भर जाते तो फिर उनमें नामजदगी होती है ?

अल्मोड़ा जिले की सहकारी समितियों में गबन

*४७—**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़े की किन-किन सहकारी समितियों में १९५९–६० में हुये आडिटों के अनुसार गबन व गलत हिसाब रक्खे गये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—एक सूची मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८३ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़े जिले की १५ सोसाइटीज में १९५९–६० के आडिट में गबन पाया गया है और ८ में गलत हिसाब पाया गया तो कितना रुपया इसमें इन्वाल्व्ड है और जिन आदमियों ने यह किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यदि आप कहें तो पढ़ दूं, काफी लम्बा चौड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष—काफी लम्बा है तो मैं पूरा पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता । क्या कार्यवाही की जा रही है वह आप बता दें ।

श्री मंगलाप्रसाद---जितने आइटम्स हैं सबका कम्प्लायेंस हो गया । ज्यादातर रुपया वसूल हो गया है ।

जहां कहीं भी बाकी है वह बहुत कम हिस्सा है । ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें कोई शक हो । जहां तक मैं देख पाता हूं वह ऐसा नहीं है कि वह वसूल नहीं होगा ।

जहां तक हिसाब किताब की गलती की बात है वह हिसाब-किताब देख लिया गया है और उस हिसाब-किताब को आइन्दा ठीक रखने की व्यवस्था की जा रही है । पहले होशियार आदमी नहीं थे इसलिये हिसाब-किताब में गलती हुई । इसमें पैसे की कमी वगैरा नहीं थी ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जिलें में यह २३ सोसाइटियां हैं जो पकड़ी गईं तो कुल कितनी सोसाइटी उस जिले में है यह मंत्री जी बतलायेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---आजकल सोसाइटी गांव-गांव में बन रही हैं । आपको बहुत परेशानी हो रही है वह जरा लम्बी लिस्ट है । माननीय सदस्य चाहें तो इसको आकर देख सकते हैं । वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हो रही है।

अन्तरिम जिला परिषदों का अनुदान

*४८---**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ब्रजनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने अन्तरिम जिला परिषदों को कितनी-कितनी रकम वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कर्ज अथवा अनुदान देने की व्यवस्था की और उसमें से कितनी-कितनी किस समय दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---अन्तरिम जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में ऋण देने के लिये धन का कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

अनुदान सम्बन्धी सूचना† तालिका के रूप में सदस्य महोदय की मेज पर रखी है ।

सम्पूर्णनगर कालोनी के कोआपरेटिव इंस्पेक्टर के विरुद्ध शिकायतें

*४९---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि खीरी जिले के खीरी पीलीभीत कालोनाइजेशन कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन लि०, सम्पूर्णनगर द्वारा कोआपरेटिव इन्सपेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व चरित्रहीनता की कितनी शिकायतें १ जनवरी, १९५४ से अब तक सरकार को प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मंगलाप्रसाद---खीरी-पीलीभीत कालोनाईजेशन कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन द्वारा ऐसी तीन शिकायतें कोआपरेटिव आफीसर कालोनाइजेशन के खिलाफ कथित समय में सरकार को प्राप्त हुई हैं । जांच करने पर शिकायतें निराधार पाई गईं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---मैं, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स के परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० टी०-आर, (ए-एम०,) ६--६२६-टी-एम-३०-बी-४३-एच-६०, दिनांक ९ फरवरी, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, यू० पी० मोटर टैक्सेशन वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३५ की धारा ३० की उपधारा (४) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

नोट---तारांकित प्रश्न ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

†तालिका छापी नहीं गई ।

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--मैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा को स्वीकृति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ की प्रतिलिपि, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८४–७८८ पर)

डाकुओं द्वारा जगम्मनपुर (उरई) के बाजार से पकड़े गये व्यक्ति के सम्बन्ध के नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग।

श्री उपाध्यक्ष--कई माननीय सदस्यों ने प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अनुसार कई प्रस्ताव मेरे पास भेजे हैं। उनमें से मैंने श्री गोविन्द नारायण तिवारी के प्रश्न को महत्वपूर्ण पाया है जो इस प्रकार है--

"दिनांक २३-३-६१ की शाम को श्री गोपीनाथ गुप्त वकील, उरई के छोटे भाई को कस्बा जगम्मनपुर के बाजार से डाकू लोग पकड़ ले गए और डाकुओं द्वारा उसकी वापसी के लिए ४० हजार रुपये की मांग की गई है। इसके पूर्व करीब पांच माह हुये डाकुओं ने पं० रामाधार तिवारी, क्लर्क, अन्तरिम जिला परिषद्, उरई के लड़के को थाना रामपुरा के अन्तर्गत एक ग्राम में डकैती डालकर पकड़ लिया था, जिसको रुपया लेकर एक महीने पूर्व छोड़ा। इस पृष्ठभूमि में दिनांक २३-३-६१ की उपर्युक्त घटना से सम्पूर्ण जिले में बेचैनी तथा असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। यदि शीघ्र ही डाकुओं के बढ़ते हुए आतंक का बड़े पैमाने पर मुकाबला न किया गया तो जिला जालौन के ग्रामों में सम्भ्रान्त व्यक्तियों का रहना असम्भव हो जायगा।"

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, इसकी इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। आप ३० तारीख यदि इसके लिये मुकर्रर कर दें तो उस रोज यह सूचना दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--उस रोज ३० तारीख को आप सूचना दे सकते हैं।

१९६१-६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद-- (क्रमागत)--

***श्री टम्बरेश्वरप्रसाद** (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस रोज मैं यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अलावा और भी प्रदेशों में बजट प्रस्तुत हो चुके हैं और पत्रिकाओं के द्वारा थोड़ी सूचना उनके सम्बन्ध में यहां पर है। आप उससे देखेंगे कि पंजाब में इस वर्ष के बजट में, उनको ५ एकड़ से कम जमीन से जो लगान प्राप्त होता था, वह पंचायतों के खर्चे के लिये दे दिया गया है। उसके साथ ही साथ आप उस बजट में यह भी देखेंगे कि जो नया टैक्स लगाया गया, उन टैक्सों में समुचित ध्यान इस बात का रखा गया है कि वह ऐसी जनता पर ही लगे जिसकी आमदनी बढ़ी हुई है।

आज के इस बजट को देखते हुए यह निर्विवाद रूप से मान लेना पड़ेगा कि आपके इस प्रदेश ने न तो कृषक की आमदनी में वृद्धि की है और न उद्योग में ही कोई वृद्धि हुई है। वार्षिक आंकड़ों के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो इंडेक्स नम्बर इस प्रदेश का था वह था १०२.६ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद वह हो गया १००.६।

जहां तक उद्योग में उत्पादन का सवाल है आपके इस प्रदेश में दो मुख्य उद्योग हैं--एक है कपड़े का और दूसरा गन्ने का। आपको यह जान कर अचम्भा होगा कि १० साल में इन दोनों उद्योगों में उत्पादन में कमी हुई है। कपड़ा १० साल पूर्व ३० मिलियन गज उत्पादित होता था वह घट कर २४ मिलियन गज रह गया है १९५८ में। यह आंकड़े डाक्टर बलजीत सिंह, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं उनकी एक पुस्तिका से पढ़ रहा हूं। तो इससे पता चलता है कि पिछले १० वर्ष के काल में हमारे राज्य ने कोई प्रगति नहीं की, बल्कि अवनति ही की है। यदि आप देखेंगे तो मालूम होगा कि प्रस्तुत वर्ष क बजट में हमारे वित्त मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२४ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

महोदय ने इस ओर ध्यान तो आकृष्ट किया है कि जनता की गरीबी बहुत अधिक बढ़ गयी है, और बजट भाषण पढ़ते समय उसके पृष्ठ १९ में यह स्वीकार किया कि वर्तमान पीढ़ी की आर्थिक अवस्था संतोषजनक नहीं है और उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हम ऐसी गम्भीर स्थिति पर पहुंच गये हैं कि जो आगे अधिक देर तक नहीं चलायी जा सकती। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रस्तुत बजट में उन्होंने क्या रूपरेखा अपनायी इस प्रदेश की गरीबी और दरिद्रता को मिटाने के लिये तो आपको मालूम होगा कि सिवाय टैक्स बढ़ाने के और कोई काम नहीं किया गया है।

कृषकों पर सिंचाई टैक्स बढ़ा दिया गया। मैं बम्बई के वित्त मंत्री का भाषण देख रहा था, उसमें लिखा था कि उन्होंने पिछले वर्ष ४४.९० करोड़, करीब-करीब बजट का ५० प्रतिशत, वहां की कृषि की उन्नति के लिये रखा। उनके सामने भी यह समस्या थी कि सिंचाई किस प्रकार से अधिक बढ़ायी जाय अपने प्रदेश में। हमारे प्रदेश में वित्त मंत्री जी ने जो फार्मूला शराब के लिये निकाला वही सिंचाई के लिये भी रख दिया। शराब का उपयोग टैक्स बढ़ाने से बढ़ सकता है तो उन्होंने सिंचाई पर भी टैक्स बढ़ा दिया। बम्बई में उन्होंने सिंचाई बढ़ाने के लिये सिंचाई की दरें घटा दीं, सेक्योरिटी भी किसानों से न लेना तय किया गया और ऐसा कर उन्होंने अपना सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की बात सोची और उसके लिये इस प्रकार प्रयत्न किया। हमारे प्रदेश में, इसके विपरीत, जो सिंचाई दरें घटना चाहिये थीं, उन्होंने उन्हें बढ़ा दिया। मैंने स्वयं उनके आंकड़े से यह दिखाया कि किस प्रकार कृषक की आय इस प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद घटी है।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने इस प्रस्तुत बजट भाषण में यह भी स्वीकार किया है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने वह जा रहे हैं उस योजना के बाद भी इस प्रदेश में स्वतः उत्पादक अर्थ व्यवस्था नहीं निर्माण हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जो इस प्रदेश के सामने आ रहा है वह इसलिये कि पिछले चार वर्ष में इस कांग्रेसी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी भी क्षेत्र में कोई निश्चितता आ सकती, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो अथवा उद्योग का, किन्तु किसी भी क्षेत्र में निश्चितता लाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। जो प्रयास उन्होंने किया उसकी कुछ झलक आप स्मृति-पत्र में दख सकते हैं। इस वर्ष के स्मृति-पत्र में उन्होंने कृषि में यह दिखाया कि वास्तविक आंकड़ों की प्रगति के आधार पर कृषि अभियन्त्रण के अन्तर्गत कर्मशाला सम्बन्धी प्राप्तियों में ५० की कमी होने की संभावना है। उस कमी का क्या असर पड़ा? गन्ना विकास सम्बन्धी प्राप्तियों में भी ९० प्रतिशत की कमी होने की सम्भावना है और उस हिसाब से उन्होंने आगे कृषि के बजट में भी कमी कर दी है। आप देखेंगे कि उद्योग में भी प्रगति नहीं हुई। सहकारिता में भी कमी की गयी है। जो स्मृति-पत्र हमारे सामने है उसको देखने से पता चलेगा कि उद्योग सम्बन्धी सभी योजनाओं में प्रोडक्शन की जितनी हम आशा करते थे, उतनी प्रगति नहीं हुई, उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। हर कार्य में घाटा दिया गया। कृषि में घाटा दिया गया, उद्योग में घाटा, हर योजना में घाटा ही दिखाया गया है।

श्रीमन्, एम्प्लायमेंट की जो समस्या है वह भी आप जानते हैं। इस प्रस्तुत बजट को देख कर किस आधार पर हम यह समझें कि हमको लाभ होने वाला है हमारी योजनायें सफल होने वाली हैं, अन–एम्प्लायमेंट की समस्या भी हल होने वाली है। एक ही आधार उनका है और वह यह कि टैक्स बढ़ा दिया जाय। सरकार को टैक्स बढ़ाने का कोई भी अधिकार नहीं है और उसकी कोई भी उपादेयता नहीं है और उस समय जब कि यह सिद्ध हो जाये कि किसी भी उद्योग में आय नहीं हो रही है।

आप दूसरी ओर भी देखिये। जहां तक प्रदेश की सुरक्षा की बात है, दो प्रकार की सुरक्षा होती है। एक तो आन्तरिक सुरक्षा होती है और दूसरी वाह्य सुरक्षा कही जाती है। जहां तक वाह्य सुरक्षा की बात है, यह सरकार कह देती है कि यह तो केन्द्रीय सरकार से

सम्बन्धित है। मेरे सामने समाचार पत्र भी रखे हैं, यहां पर सदन में जब यह पूछा कि दो बार चीन के हवाई जहाज हमारी सीमाओं पर उड़े, तो यह कहा गया, इस सरकार की ओर से, कि यह तो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है। जब डकैतों के बारे में कहा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि ऐसा तो होता ही चला आया है और डाकू तो सदा लूटते ही रहेंगे।

प्रजातंत्र की ओर देखिये, श्रीमन्। इस सरकार का कहना है कि प्रदेश में छोटे स्तरों पर प्रजातंत्र कायम करने जा रहे हैं, यानी ग्रामीण प्रजातंत्र। आप देखें कि आज ५ वर्ष कहते-कहते हो गये लेकिन आज तक अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव नहीं हो पाया है। आज तक उसकी नौबत नहीं आई है। इस बजट में भी उसका रोचक ढंग से वर्णन है। यह कहा गया है कि सम्भव है कि अगले जून तक क्षेत्र समितियां स्थापित हो जायं। किन्तु उन महीनों में इस सरकार को.....

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे थोड़ा सा समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनट का समय अभी है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—तो अगले महीनों में इसकी कुछ सम्भावना बतायी गयी है और यह कहा गया है कि क्षेत्र समितियां स्थापित की जायेंगी। लेकिन उन दिनों में सरकार के सामने एक दूसरी समस्या टिकट आदि बांटने की होगी क्योंकि सरकार की दोहरी जिम्मेदारी है, इधर की भी और उधर की भी। ऐसी सूरत में हो सकता है कि यह कार्य भी न हो, चुनाव न किये जायं।

इसमें इसके बारे में यह भी लिखा है कि परिषदें जब बन जायेंगी तो हमारी योजनाओं का काम भी अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन वह कब बनेंगी इसकी कोई आशा दिखाई नहीं देती।

यह भी कहा गया है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा कर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, किन्तु मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि एक कृषक की आमदनी प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के बाद भी नहीं बढ़ सकेगी, जब तक कि उस कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य न मिले। जब कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा तभी उसकी आय कुछ बढ़ सकती है।

गन्ने के सम्बन्ध में आप देखें कि गन्ने का उत्पादन कृषक करता है, आपने उसके लिये एरिया सुरक्षित कर रखा है। पूंजीपतियों की सुरक्षा हेतु यह आपने कर रखा है किन्तु इससे कृषक को कुछ फायदा नहीं है। आज अगर एक मिल एरिया का गन्ना बच जाता है तो उसे यह पाबन्दी होने के कारण वह दूसरी मिल में नहीं ले जा सकता। इस तरह से लाखों मन गन्ना पड़ा रह जाता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मिल मालिकों की कोई बपौती हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को हर कार्य करने से पूर्व उसे इस दृष्टि से देखना चाहिये कि उससे कृषक को कुछ लाभ पहुंचता है या नहीं। अगर किसान को इसमें लाभ है कि उसको दूसरे मिलों में गन्ना ले जाने में बाधा न डाली जाय, तो ऐसा करने में सरकार का क्या हर्ज है? दो-दो महीने तक गन्ना सुखाने से क्या फायदा?

इसके अलावा आप देखें, श्रीमन् कि आज तक यह सरकार कृषि में न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं कर सकी। आज तक इस सरकार ने कृषि मजदूरों के लिये कोई भी स्थान नहीं रखा है। इस सरकार ने जो अध्यापकों को मुफ्त इलाज देने का वायदा किया था उसकी भी व्यवस्था नहीं कर सकी। सब प्रकार के अड़ंगे, उसमें लगाये जाते हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट का बहाना लेकर वर्षों से सरकार द्वारा किया हुआ वायदा टाला जा रहा है।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

जहां तक बेरोजगारी दूर करने का प्रश्न है, मैंने मद्रास के बजट में देखा है, उन्होंने अपने यहां ५० प्रतिशत एम्पलायमेंट पोटेंशियल बढ़ाने का प्राविधान किया है लेकिन हमारे मंत्री महोदय, इस तरफ सांस तक नहीं लेते हैं। इस बजट में जहां पर उद्योग को बढ़ावा देने की बात है वहां पर घाटा दिखाया गया है। चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में घाटा है क्योंकि वहां पर उत्पादन कम है। दूसरी ओर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि नेता जनसंघ दल ने साल भर पहले यहां पर यह बात रखी थी कि शिक्षा मेगजीन सरकार द्वारा लाखों रुपया कमाती है और सरकार को धोखा देती है और आज के समाचार-पत्र में छपा है कि ४२० धारा के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से उस शिक्षा मैगजीन का कार्यालय सील कर दिया गया है। मगर दुख की बात है कि सरकार हमारे ऐसे सुझावों पर ध्यान नहीं देती है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मुझे दुःख है कि जिस समय सदन में सदस्यों का वेतन भत्ता विधेयक प्रस्तुत था मैं यहां पर उपस्थित नहीं था। मेरा निवेदन यह है कि सदस्यों को जो एक प्रकार से यह राइट है कि तृतीय श्रेणी में यात्रा करके फर्स्ट क्लास का टी० ए० ले लें, इस सम्बन्ध में सरकार को यह संशोधन करना चाहिये कि जिस श्रेणी में यात्रा करें उसी का भत्ता लें।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया कि जो बजट इस वक्त हमारे सामने है, मैं भी उस पर अपनी राय का कुछ इजहार कर सकूं।

माननीय वित्त मंत्री ने हमारे सामने जो बजट पेश किया है उसकी एक खास अहमियत है और वह यह कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का यह पहला बजट है। मैंने बजट के पन्नों को इधर-उधर करके देखा और मुझे यह भी मालूम हुआ कि इस बजट के अन्दर तर्तीब में कुछ ऐसी तरमीम की गई है जिससे प्लान और नान-प्लान के अखराजात को ज्यादा वजाहत के साथ देखा जा सके। मैं समझता हूं इससे उसके समझने में काफी आसानी मिलेगी। यह बात तो मानी हुई है कि आजकल का युग, प्लानिंग, नियोजन या विकास का युग है इसलिये इसी नुक्तेनजर से हर चीज को हमें देखना होता है।

यूं तो जब कोई भी सरकार बजट पेश करती है तो उसके अन्दर एक साल की तमाम कोशिशों की झलक नजर आती है और आगे साल भर में क्या करने जा रही है, उसके सामने क्या कठिनाइयां हैं और उन प्राब्लम्स को हल करने की उसने क्या सूरत निकाली है, यह मालूम होता है। लेकिन खास तौर से जब हम प्लानिंग के युग में होते हैं तो उस वक्त सरकार की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और वह इसलिये बढ़ जाती हैं कि जिस जमाने में एक इन्सान की तमाम जिन्दगी कंट्रोल्ड तरीके पर चल रही हो तो कुदरतन हर इन्सान की नजर सरकार की तरफ जाती है कि उनकी तमाम प्राब्लम्स को हल करने की क्या सूरत सरकार ने निकाली है। अगर जमाना कंट्रोल या नियोजन का न हो तो शायद इन्सान को खुद इस तरफ तवज्जह करनी पड़े कि वह कैसे प्राब्लम्स को हल करे लेकिन जब हम प्लानिंग या कंट्रोल के जमाने से गुजरते हैं तो कुदरतन इन्सान को इस बात की फिक्र होती है कि अपनी नजर सरकार की तरफ डाले और सरकार उन दिक्कतों का हल निकाले। इस कसौटी पर जब हम बजट पर नजर डालते हैं तो हमें बहुत-सी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे हमें तसल्ली होती है लेकिन अगर मैं यह जिक्र करूं तो वह नामुनासिब नहीं होगा कि बहुत-सी चीजें उसमें ऐसी हैं जिनको देख कर यह खयाल पैदा होता है कि काश अगर इस उसूल पर बजट न बनाया जाता तो बेहतर होता। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्लानिंग के जमाने में २ चीजें मानी हुई हैं और उनकी तरफ से तवज्जह हटायी नहीं जा सकती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली चीज़ ऐग्रीकल्चर है और दूसरी चीज़ उसके बाद अगर सब से ज्यादा एम्फैसिस दी जा रही है तो वह इंडस्ट्री है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क के अन्दर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसे ऐग्रीकलचर के बिना पर करना पड़ेगा और इस बिना पर भी ऐग्रीकल्चर पर सब से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

एक ऐसे जमाने में जब दुनिया के सामने बड़े खतरनाक प्राब्लम्स आ रहे हों, जब आबादी के बढ़ने के प्राब्लम्स आ रहे हों तो यह मसला और भी ज्यादा अहम हो जाता है। आज हम क्या देखते हैं? दुनिया में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हमारा हिन्दुस्तान भी एक्सेप्शन नहीं है बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारे मुल्क के सामने इस वक्त जो दो बड़े खतरे हैं उनमें से एक बड़ा खतरा बढ़ती हुई आबादी का है और दूसरा खतरा मुल्क के डिसइंटिग्रेशन का है।

जहां तक आबादी के बढ़ने का ताल्लुक है न सिर्फ हमारे मुल्क की आबादी तेजी से बढ़ रही है बल्कि उसके बढ़ने की रफ्तार भी तेज से तेजतर होती जा रही है। सन् १९५१ में जो मर्दुमशुमारी हुई थी उसमें ४१ की मर्दुमशुमारी के मुकाबिले में १० फीसदी आबादी ज्यादा बढ़ी थी लेकिन जो १९६१ की मर्दुमशुमारी के आदादो शुमार हमारे सामने आये हैं उसको देखकर यह खतरा पैदा हो रहा है कि बहुत से हिस्से में तो २४-२४ और २५-२५ फीसदी आबादी बढ़ रही है और अगर हम ऐसा मानें कि तमाम हिन्दुस्तान में १५, १६ या १८ फीसदी बढ़ेगी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी।

ऐसे जमाने में जब हर चीज पर कंट्रोल है और जब हमारी चीजें विकास और नियोजन के उसूल पर चल रही हैं और उस जमाने में आबादी तेजी से बढ़ती जाय तो यह बड़ी खतरनाक बात है। मैंने देखा कि बजट के अन्दर कोशिश की गयी है कि कुछ फेमिली यूनिट्स खुलें। रूरल एरिया में १५ सौ और ५० शहरी रकबे में इसके क्लिनिक्स खोलने का इन्तजाम किया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो जो हमारी मौजूदा योजना चल रही है उसके आखिर में इस किस्म के क्लिनिक्स बनेंगे लेकिन मुझे अन्देशा है कि हम शायद उतनी प्रायरिटी इस काम को नहीं दे रहे हैं जितनी इसको देनी चाहिये। इसलिये कि अगर इस मसले को हल करने के लिये कोई ऐक्टिव कदम हमने इन तीन-चार सालों में नहीं उठाया तो यह मुमकिन है कि यह मर्ज लाइलाज हो जाय और इसको खत्म करने की ताकत हम में बाकी न रह जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जराअत का जिक्र किया था और उसके साथ साथ यह भी अर्ज किया था कि हमारे सूबे के लिये और न सिर्फ सूबे के लिये बल्कि सारे मुल्क के लिये ऐग्रीकल्चर के अलावा जिस पर हम सबसे ज्यादा एम्फैसिस दे रहे हैं और जो मुनासिब भी है वह इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का जहां तक ताल्लुक है उसके कई हिस्से हैं। मैं इस वक्त बिलखसूस काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में कहता हूं।

जहां तक हमारी काटेज इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है उसकी तरफ हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस वक्त जब आज हम तमाम मुल्क को ब्लाक्स में तकसीम कर रहे हैं और उन ब्लाक्स में काम जोरों से हो रहा है तब उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि काटेज इंडस्ट्रीज के इंतिजाम को भी एसोशियेट करें ताकि हमारा काम ठिकाने और अच्छी तरह से चलता जाय। इसके माने यह नहीं है कि ऐसा काम हमारे यहां नहीं हो रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे यहां कलेक्टर्स हैं, हमारे यहां ऐग्रीकल्चर के इंस्पेक्टर्स हैं और काम हो रहा है लेकिन मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि यह काम जितना जरूरी है, जितनी इसकी इम्पार्टेंस है और जितनी प्रायरिटी इसको मिलनी चाहिये मैं समझता हूं कि उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। अगर काटेज इंडस्ट्री के साथ इसको मिलाने की कोशिश करें तो इसमें ज्यादा तेजी आ सकती है और मसला हल हो सकता है।

[श्री सुल्तान आलम खां]

जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, गोकि यह शिकायत की जाती है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, लकिन आन दि होल प्रोडक्शन हमारा बढ़ा ह, चाहे उस बढ़ने की रफ्तार उतनी तेज न हो जितनी हम चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है । हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारी इनकम बढ़ी है लेकिन उसके साथ-साथ उतनी ही आबादी भी बढ़ी है उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन घटता ही नजर आता है । यह हमारा असल मर्ज है । इसलिये हमारा जो यह प्रोडक्शन का मसला है इसमें हमें प्लानिंग की आवश्यकता है । मैं यह नहीं जानता कि मौके पर कहां तक प्लानिंग एग्रीकल्चर के सिलसिले में हो सकती है और लेजिस्लेशन के जरिये क्या कोई कानूनी बंदिश आयद की जा सकती है या नहीं या उसके सिलसिले में क्या क्या दिक्कतें हो सकतीं हैं । लेकिन मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा हूं और खयाल करता हूं कि अगर कानूनी तौर पर फूडग्रेन्स के सिलसिले में कुछ मुमकिन न हो सकता हो तो हमें एक्जीक्यूटिव्स के जरिये, ब्लाक्स के जरिये और ग्राम पंचायतों के जरिये इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये कि हमारी फसलें किस तरह की हों ।

हमारे बजट में जो स्कीम्स हैं उनमें शुगर केन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पोटेटो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, टुबेको बढ़ाने की जरूरत हो रही है, ये तमाम चीजें ठीक हैं लेकिन हमारी सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि हम फूडग्रेन्स की तरफ तवज्जह दें ताकि हम बढ़ती हुई आबादी का मुकाबला कर सकें, अपने यहां के रुपये को बाहर जाने से रोक सकें । इस खयाल से हमने जो फूडग्रेन्स को बढ़ाने की कोशिश की है वह नाकाफी रही है । यह बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हमेशा फारेन एक्सचेंज के जरिये गल्ला मंगाते नहीं रह सकते और आजकल दुनिया के जो हालात चल रहे है उनमें ज्यादा दिन तक न तो यह मुमकिन ही हो सकता है और न मुनासिब ही । इसीलिये मैंने यह सुझाव जो मेरे सामने था, पेश किया ।

दूसरी चीज जिसके मुताल्लिक मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि हमारा मुल्क और यह सारी दुनिया एक मुसीबत के रास्ते से गुजर रहे हैं । हमारे सामने बड़े-बड़े प्रश्न हैं जिसमें सबसे बढ़ा प्रश्न एक तो यह है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके लिये हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरी चीज, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, वह यह है कि हमारे यहां डिसइन्टीग्रेशन की भावना बढ़ रही है । ऐसे मौके पर हमें इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हमें छोटी-छोटी चीजों से ऊपर उठना है । हमें ऐसी सूरत पैदा करनी है जिससे ये चीजें पैदा ही न होने पायें ।

इस बजट को देखने से बहुत-सी चीजें मालूम हुईं । यूनिवर्सिटी का बिल आया है । उसके सिलसिले में मुझे अपनी राय जाहिर करने का मौका नहीं मिला। उसके मुताल्लिक बहुत सी रायें हो सकती हैं, लेकिन जिस बात को मैं मानता हूं वह यह है कि इसमें इस बात की तरफ तवज्जह की गयी है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर इलेक्शन को कम से कम किया जाय और सेलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय । मैं इस चीज से हमदर्दी रखने वालों में हूं । यूनिवर्सिटी बिल के ऊपर अपनी मुझे राय इजहार करने का मौका नहीं मिला, उसके मुताल्लिक मुझे बहुत-सी बातें कहनी थीं, मौका आने पर फिर मैं कहूंगा, लेकिन एक बात जो इसमें पालिसी के मुताल्लिक की गयी है उससे मैं बेशक सहमत हूं कि एलेक्शन कम से कम और सेलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हों । लेकिन इसी आधार पर मैं यह बात कहूंगा कि जहां तक मुमकिन हो सके, हर जगह एलेक्शन को दूर करना चाहिये । सुनने में आया है कि जिला परिषदों, पंचायतों और ब्लाक्स के मेम्बर्स का चुनाव पार्टी बेसिस पर होगा । मेरा अपना यह जाती खयाल है कि अगर उनका चुनाव पार्टी बेसिस पर हुआ तो यह बड़ी ही अफसोसनाक बात होगी ।

जहां तक लेजिस्लेचर्स के एलेक्शन का ताल्लुक है, वहां पोलिटिकल इश्यू होता है और पोलिटिक्ल इश्यू पर ही, पार्टी बेसिस पर ही वह मसला तय होता है । लेकिन जहां पर लोकल

मसला हो, जिला परिषद्, पंचायत व ब्लाक्स का सवाल हो, मैं समझता हूं कि वे मुकामात ऐसे हैं जहां पर कि एलेक्शन कम से कम होने चाहिये और उनके लिये और कोई तरीका ऐसा अपनाया जाना चाहिये जिससे कि वहां सही चुनाव हो सके । यह मेरी भावना है और मेरा यह खयाल है ।

इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि कई कमेटीज, जो गवर्नमेंट ने बनायी थीं और जो फंक्शन कर रही थीं वे एबालिश कर दी गयीं, जैसे यू० पी० जेल रिफार्म्स कमेटी, सेकेंडरी एजूकेशन कमेटी । मुझे मालूम नहीं कि उसके असबाब क्या थे और क्यों वे कमेटीज एबालिश की गयीं लेकिन मैं समझता हूं कि इस किस्म की कमेटीज की हमेशा जरूरत है और खास कर आजकल प्लानिंग के जमाने में हर इन्सान जो काम करता है उसका एक वेल्यूएशन किया जाता है, चाहे ब्लाक के अन्दर हो, चाहे प्लान्ड आइटम के अन्दर हो, चाहे नान-प्लान्ड आइटम के अन्दर हो । उसके लिये इस किस्म की कमेटी की जरूरत होती है ताकि पीरियडिकली तमाम काम का जायजा लें और उसकी रिपोर्ट पेश करें, इससे हम यह अन्दाजा कर सकेंगे कि जो काम हुआ वह ठीक हुआ या नहीं, एफिशिएंटिली हुआ या नहीं और कहीं वेस्टेज तो नहीं हुआ । इस किस्म की कमेटी वक्तन-फवक्तन बैठती है तो उससे पब्लिक ओपीनियन भी मालूम होती है । साथ ही यदि सरकार कोई ऐसा स्टेप लेने जा रही हो जिसके मातहत नया लेजिस्लेशन लाने की बात हो, उस वक्त पब्लिक ओपीनियन मालूम कर ली जाय तथा उसे भी कांफिडेंस में ले लिया जाय तो वह ज्यादा अच्छा और मुनासिब मालूम होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं टैक्सेशन के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस बजट में हमारे सूबे को ४९७ करोड़ रुपये का प्लान मिला है उसमें १४७ करोड़ रुपये का इन्तजाम टैक्सेशन के द्वारा करना है । इसका हिसाब बहुत लम्बा-चौड़ा है, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बजट में सब दिया हुआ है । करीब साढ़े ५ करोड़ रुपये का टैक्सेशन हमारे यहां किया गया है और यह दो-तीन चीजों पर हुआ है । एक तो मोटर स्पिरिट टैक्स की शरह बढ़ायी गयी है, कुछ फारेन शराब पर भी टैक्स बढ़ाया गया है और दो-एक चीजों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है और उसके साथ ही साथ इर्रीगेशन रेट पर जो रिबेट था वह जाता रहा है । अगर शराब का टैक्स बढ़ा कर दुगना भी कर दिया जाता तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होता और मैं इस बात की ताईद करता, भले ही कुछ क्लास के लोगों को इस पर भी एतराज हो सकता है । लेकिन इर्रीगेशन रिबेट को हटाना नहीं चाहिये था । रिबेट हटाने की दलील यह दी गयी है कि गल्ले का रेट काफी बढ़ गया है इसलिये किसान के पास आमदनी ज्यादा आयेगी । लेकिन सरकार की नजर उस तरफ नहीं रही कि जहां निर्ख बढ़ गया वहां मजदूरी भी बढ़ गयी है, । काश्तकार को उतना भी प्राफिट नहीं होता जितना कि पहले होता था । तो इस आर्गूमेंट की बेसिस पर इर्रीगेशन रिबेट को हटा लेना मेरे खयाल में सही और मुनासिब नहीं है ।

मैं तो वित्त मंत्री से फिर अपील करूंगा कि अगर हो सके तो वह सोचें और गौर करें और इस रिबेट को कायम रखने पर विचार करें । मेरी राय में यह रिबेट रहना चाहिये टैक्सेज और भी हो सकते हैं, १४७ करोड़ के टैक्सेज यह हो गये और अगर हिसाब से देखा जाय तो साढ़े २९ करोड़ का हिसाब आता है । मैं टैक्सेज की हिमायत ही करता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि उनके बगैर काम नहीं चल सकता । अगर एक साल कम हो जायगा तो बजाय ५ साल के ४ साल पर बेस करना होगा और उस सूरत में ज्यादा हो जायगा । आखिर में, मैं एक बार फिर मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह एक बार फिर इस रिबेट के मामले पर नजरसानी करें और मेरा खयाल है कि हाउस इस मामले में पूरा एग्रीड होगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो अभी कुछ और चाहता था लेकिन आपने बत्ती बुझा दी इसलिये मैं अब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इन अल्फाज के साथ इस बजट की ताईद करता हूं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं और कुछ निवेदन करने के पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूत वह जो सिर पर चढ़कर बोले । जो बात दिल की थी या जो उनके हृदय के अन्तरतम की थी, वही माननीय मंत्री जी के अभिभाषण में प्रकट हो गई । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को भी उनकी स्पष्टवादिता के लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसको प्रकट कर दिया । अपनी भावना, अपने राज्य की भावना और अपने दल की भावना को उन्होंने अभिभाषण के पृष्ठ १९ पर व्यक्त किया है कि—"हम देश की आर्थिक नींव सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे और जनता तथा हमारे बच्चे सुखी, समृद्ध और सम्पन्न हों"। तो यह 'जनता तथा हमारे' इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जनता से, मंत्री जी, उनका राज्य और अधिकारी और उनकी पार्टी कोई अलग चीज है, उनको जनता से संबंध नहीं है, वह जनता से अलग हैं । वह चाहते हैं कि 'हमारे' बच्चे सुखी और समृद्ध हों जैसे वह जनता से अलग हैं....

श्री उपाध्यक्ष—अगर यह अर्थ मान लिये जाय तो जो मंत्री क्वारे हैं उनका क्या होगा ? (हंसी)

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—उनकी जबरदस्ती शादी करवाई जायगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—तो यह सारी चीजें जनप्रिय कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये हो रही हैं । जनता के माने दूसरे होंगे और 'हमारे' में कोई दूसरे खास लोग हैं जिनकी समृद्धि वह चाहते हैं लेकिन इस प्रदेश की ८६ प्रतिशत जनता कृषक है और देहात में रहती है, उस के प्रति जो सरकार की भावना है और जिस नीयत से सरकार उसको देखती है उससे भी यह सिद्ध होता है कि जनता को मंत्री जी अपने से कुछ भिन्न समझते हैं । आप यह देखें, विषयांतर तो अवश्य होगा लेकिन चूंकि यह चीज उससे संबंध रखने वाली है इसलिये में निवेदन करूंगा कि अभी केन्द्रीय बजट में जिन चीजों पर टैक्सेज बढ़ाये गये हैं उनका सीधा संबंध उस जनता से है जो जनता देहात में रहती है । मिट्टी का तेल है, दियासलाई है या और चीजें हैं, कत्था, तम्बाकू और सुपारी है जिसको लोग कहेंगे कि लक्जरी की चीज है मगर हल जोतने वाले के लिये वह नेसेसरी है । जब तक वह तम्बाकू नहीं पियेगा काम नहीं कर सकता । उन पर टैक्सेशन हुआ ।

यहां सिंचाई–कर बढ़ाया गया । सन् ५३ में जबकि माननीय पंत जी यहां पर मुख्य मंत्री थे उस समय सिंचाई कर में एक रुपया पर छः आने की वृद्धि की गई थी । उसके विरुद्ध एक बड़ा भारी आन्दोलन हुआ । उसका नतीजा यह हुआ कि छः आने के तीन आने कर दिये गये यानी आधे कम कर दिये गये । कम हुआ किसके समय में ? पन्त जी के समय में । पूज्य बापू का वह सिद्धांत कि जनता के माने समस्त राष्ट्र की जनता है, उसका हनन तो इस प्रकार हुआ कि उसमें 'हमारे' शब्द जोड़ दिया गया और पन्त जी ने उस सिंचाई कर को कम किया था और केवल जिनकी मेहरबानी की वजह से आज यह सरकार अपने स्थान पर आई है और सरकार में कुछ मंत्री लोग तो निरी पंत जी की कृपा से ही मंत्री हो पाये हैं अन्यथा उन्हीं के दल की तरफ से उन्हें सन् ५७ में टिकट तक नहीं दिया गया, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया ? उनके द्वारा छोड़े गये तीन आने फिर से लागू कर दिये । यह है कृतज्ञता का प्रकाश । तर्क यह है कि इस वक्त किसान की आमदनी उस वक्त से बढ़ गई है । कृषि की चीजों का दाम बढ़ गया है इसलिये टैक्स लगा देना उचित है । इसके बारे में मैं थोड़े-से आंकड़े पेश करना चाहता हूं कि कृषकों की आय किस प्रकार से बढ़ी है और कृषकों को जो सामान खरीदना पड़ता है उसका उस बढ़ी हुई आमदानी से क्या समन्वय है ?

एक पत्रिका सरकार की तरफ से आंकड़े वाली निकलती है उसी का उद्धरण है । इसमें दिया है "कृषि की आय-विक्रय समता के सूचनांक" । यानी कृषि से जो आय होती

है उसको लेते हुए कृषक के काम में आने वाले सामानों का जो सामंजस्य हुआ है उसका सूचनांक है । सन् ५५ में ९१·६ था जो होना चाहिए था ७०·७ । सन् ५६ में ९८ ८ था जो होना चाहिए था ८३·७ । सन् ५७ में १०३ ३ था जो होना चाहिए था ८८·१ । सन् ५८ में १०३.५ था जो होना चाहिए था ९९.४ । सन् ५९ में १०७·५ था जो होना चाहिए था ९९·४ । ६० में ११३ था जो होना चाहिये था ८०·६ । यह सूचनांक इस बात को सूचित करते हैं कि कृषक की आय बढ़ी नहीं क्योंकि जो सामान कृषि के अलावा जो उसके इस्तेमाल में आने वाला था उसके भी दाम बढ़ गये और उनके दामों के बढ़ने की वजह से जो पैरिटी थी उसकी पैदा की हुई चीज में, और उसके इस्तेमाल में आने वाली चीज में, उसमें बराबर इस सूचनांक से सिद्ध होता है कि तनिक भी फर्क नहीं आया कि जिसको देखकर यह टैक्स बढ़ा दिया जाता ।

श्रीमन्, एक चीज और इसी बात के पक्ष में मैं निवेदन करना चाहता हूं । एक शब्द और कहा गया है 'ग्रामीणों को किफायतशारी सिखायी जायगी' । आजकल की सरकार पर किफायतशारी का भूत सवार है, मालूम नहीं उसके नाम पर क्या कुछ नहीं करना चाहती है सरकार, भगवान जाने । किफायतशारी किसको सिखायेंगे, गांव वालों को ? उसकी हालत क्या हुई है ? सन् १९५६ जो सबसे ज्यादा गांव की आमदनी का साल माना जाता है उसमें प्रति व्यक्ति गांव की आमदनी १९५·४ रुपया थी जो १९६० में १९१·१ रु० प्रति व्यक्ति रह गई, ३ रुपया आमदनी घट गई । इनको किफायतशारी सरकार सिखाना चाहती है । किफायतशारी शब्द से प्रचार तो अच्छा जरूर होता है मगर उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है ।

श्रीमन्, जो आडिट रिपोर्ट हमको मिली है उसको मैंने देखा कि कितना अपव्यय होता है, सरकारी आय की वसूली नहीं हुई, जिसका कुल जोड़ ७,१४,५२,२४९ रुपया होता है । घाटा है सरकार का ८ करोड़ कुछ का । अगर इस अपव्यय को ही महज रोक ले सरकार तो किसी किफायतशारी की जरूरत नहीं है । यह मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं बल्कि सरकारी आंकड़े हैं ।

किफायतशारी के सिलसिले में एक चीज और कहना चाहता हूं । सरकार सुख सुविधा का ध्यान किसका करती है ? उन सरकारी कर्मचारियों का जो १,००० रु० से भी ज्यादा तनख्वाह पाते हैं और आसानी से किराये के बंगले में किराया दे कर रह सकते हैं । इनके लिये तीन कालोनीज बनायी गई, (१) रिवर बैंक कालोनी, (२) गौतम पल्ली और (३) पार्क रोड कालोनी जिन पर लाखों रुपये खर्च किया गया । सरकार के उच्चाधिकारी रहते हैं । लेकिन जो मामूली दर्जे के सरकारी नौकर हैं, जैसे चपरासी, ड्राइवर या और अन्य मुलाजिम उनके लिये सरकार के पास कोई जरिया नहीं, कोई ध्यान नहीं है । चपरासियों को २ रुपया मासिक भत्ता शहर में मकान ले कर रहने का मिलता है । मैं जान सकता हूं कि वह कौन सा मकान है लखनऊ में जो २ रु० किराये पर मिल सकता है और कौन उसमें रह सकता है ? सरकार खाली आंसू पोछने के लिये २ रुपये देती है । जितने रुपये में यह तीन कालोनीज बनी हैं जिनमें मुश्किल से २५, ३० अफसर रहते हैं उतने ही रुपये में हजारों आदमियों के रहने के लिये मकान बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनवाये गये ।

मैं अब थोड़ी-सी बातें अपने जिले की बाबत निवेदन करना चाहता हूं । आप देखें कि यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसमें भी सीधे-सीधे पक्षपात की गंध आ रही है । जौनपुर जिले की एक तहसील है केराकत, उस तहसील से जो माननीय सदस्य एम० एस० ए० होकर आये हैं वहां जिला कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं । पी० डब्ल्यु० डी० में जो काम जौनपुर जिले में सड़कों के मुताल्लिक लिये गये हैं वे केवल केराकत तहसील के लिये किये गये हैं । जौनपुर जिले में चंदवकओड़िहार सड़क का निर्माण, यह सड़क केराकत तहसील में ही है । जौनपुर जिले में बनारस-आजमगढ़ सड़क पर चन्दबक के समीप गोमती नदी के ऊपर स्थायी ऊंचो सतह के पुल का निर्माण, यह भी केराकत तहसील में है और जौनपुर में केराकत-चन्दबक

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

सड़क का निर्माण यह भी केराकत तहसील में हैं। तो जौनपुर जिले में भी काम किया जा रहा है, खाली केराकत में किया जा रहा है क्योंकि माननीय सदस्य वहां के जो हैं वे कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं। बाकी जौनपुर जिले के रहने वाले और जो निवासी हैं खास कर मेरे क्षेत्र के वे तो बागी हैं और उस बगावत का नतीजा उन्हें भुगतना है। लिहाजा ऐसी कोई चीज नहीं हो रहीं है जिसमें पक्षपात न समझा जाय।

इस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर दूं कि इस योजना पर जब विचार हो रहा था तो डी० डी० अग्रवाल, पी० डब्ल्यु० डी० के जो हैं उनके यहां मीटिंग हुई, उसमें बातचीत हुई और मेरे अपने क्षेत्र की एक सड़क है जो बदलपुर से गैरवाह होते हुए बिलवाई तक जाती है, उसको सैकेंड प्राइरिटी पर रखा गया। फर्स्ट प्रायरिटी एक अन्य सड़क को दी गयी थी। फिर अन्तरिम जिला परिषद् की रिपोर्ट आई, उसमें भी हमारी सड़क सेकेंड प्रायरिटी पर थी। लेकिन बजट में मैं देखता हूं कि उसका कहीं नामोनिशान नहीं है, यह इसी कारण कि वहां की जनता कांग्रेस विरोधी है और उसने मुझे यहां भेजा जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार से यह जो भावना काम कर रही है इससे देश का उपकार होने वाला नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, जरा थोड़ा-सा टाइम और मिल जाय तो बड़ी कृपा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे सामने जो बजट प्रस्तुत है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है और यह स्वाभाविक है कि इस बजट पर हमारे सभी साथियों की यह आशायें केन्द्रित हों कि इस बजट के अन्दर नई नीतियां निर्धारित की गयी होंगी। यह हमको स्पष्ट हो जाना चाहिये इस बजट के द्वारा कि हमारे इस प्रदेश की क्या आवश्यकतायें है और क्या हमारे सामने साधन हैं और किन अन्य साधनों को हमें प्राप्त करना है और उनके प्राप्त करने के कौन-कौन से तरीके हैं? तो हमें इस बजट को इस पृष्ठभूमि में देखना है।

मान्यवर, मैं यह बात जानता हूं कि जिस समय हमारे इस सदन में तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप उपस्थित हुआ था तो उस पर बहस हुई थी। उस समय हमको यह बतलाया गया था कि बावजूद इसके कि हमारे प्रदेश की आवश्यकतायें बहुत हैं और यदि हम ९०० करोड़ की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनायें तो भी वह हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से कम ही होगी। लेकिन फिर भी केन्द्र की आर्थिक सीमाओं को देखते हुए हमारे इस प्रदेश की सरकार ने ७२४ करोड़ के लगभग का एक ड्राफ्ट पेश किया था जिसको काट कर प्लानिंग कमीशन ने सिर्फ ४९७ करोड़ की धनराशि स्वीकार की है। तो यह स्वाभाविक है कि सदन को यह बात स्पष्ट रूप में बतलाना चाहिये था कि यह जो करीब-करीब २०० करोड़ से ज्यादा रुपया काटा गया है, हमारी इस मौजूदा सरकार ने उसको किन मदों में, किस तरह से ऐडजस्ट किया है, उसका एक ड्राफ्ट और एक प्रारूप इस हाउस के सामने आना चाहिये था। मैं अब भी यह आशा करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात की चेष्टा करें कि इसी दौरान में वे इस तरह का एक ड्राफ्ट हमारे सामने पेश कर दें। मैंने बहुत से पन्नों को उलट कर देखा। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कहीं-कहीं 'नीति' शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह भी ठीक है कि इसको पढ़ने के बाद हमारे सामने एक धुंधली सी पिक्चर आ जाती है लेकिन जो स्पष्ट चित्र तृतीय पंचवर्षीय योजना का होना चाहिये वह सामने आता नहीं है।

एक बात और है। दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकीं। उनके अनुभव, उनकी कामयाबी और नाकामयाबी और उनके अन्दर जो जो लीकेजेज हुए, जो बाटलनेक्स थे वे हमारे सामने हैं। हमको यह भी देखना है कि तीसरी योजना में जब हम पदार्पण करने जा रहे हैं तो उन अनुभवों से हमने कहां तक सबक सीखा है और किस प्रकार से हमने अपना बजट बनाया है जिससे हम यह आशा कर सकें कि हमारा काम पहले के मुकाबले में अधिक सुचारु रूप से हो सकेगा।

जहां तक पिछले दस वर्षों के काम का ताल्लुक है उसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे उद्योग धन्धों का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे सिंचाई व विद्युत का हो, चाहे सहकारिता का हो और यह होना भी चाहिये था क्योंकि आखिर तो हमने इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत लगभग ४०० करोड़ रुपये इस प्रदेश के अन्दर खर्च किये हैं। हमको देखना यह है कि जो हमारी प्रगति हुई है वह उसी अनुपात में है जिस अनुपात में हमने धन को व्यय किया है। इसमें शक नहीं कि हमने प्रगति की है लेकिन यदि हर क्षेत्र का मुकाबला सारे भारत से किया जाय तो आप पायेंगे कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने उस अनुपात में प्रगति की हो जिस अनुपात में हमने धन व्यय किया है। अगर हम ऐग्रीकल्चर की बात लें तो हमारे प्रदेश में इस में १५ फीसदी की प्रगति हुई है जबकि बाकी हिन्दुस्तान में २८ फीसदी की प्रगति हुई। इसी तरह इंडस्ट्री को अगर हम लें तो हमारे यहां सिर्फ ९ फीसदी की प्रगति हुई जब कि सारे भारत में २६.४ फी सदी की प्रगति हुई। नेशनल इन्कम को अगर हम देखें तो वह १,६३२ करोड़ से बढ़ कर १,८६४ करोड़ हो गयी यानी २३२ करोड़ बढ़ गई जबकि मध्य प्रदेश की आय इसी समय में ३५१ करोड़ बढ़ गई है यही नहीं इसको यदि हम हिन्दुस्तान के अनुपात में देखें तो इसकी वृद्धि संतोषजनक नहीं हुई है।

सन् ५०–५१ में जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी हमारे प्रदेश की आय भारत की आय को १८.४ फीसदी थी जो अब घट कर १५.९ रह गयी है। इसी तरह से पर–कैपिटा इनकम जो सन् ५०–५१ में २५८ थी वह ५८–५९ में बढ़कर सिर्फ २५९ हुई और ५९–६० में घटकर २५५ रह गयी। इसके मुकाबले में हिन्दुस्तान में पर कैपिटा इनकम २४६ से बढ़कर २९३ हो गयी। इस हिसाब से जहां सन् ५०–५१ में इस प्रदेश की पर–कैपिटा इनकम का परसेन्टेज १०४·९ था वह सन् ५९–६० में घटकर ८८.२ रह गया। अब अगर हम पर–कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट को लें तो जैसा कि वित्त मंत्री ने स्वतः शुरू में कहा, सारे भारत का स्टेट सेक्टर में ५६ था और अपने प्रदेश का ३७.२७ था। और सारे भारत का औसत पब्लिक सेक्टर में जहां १२० रुपया पर–कैपिटा है वहां अपने प्रदेश का औसत केवल ३७ रुपया है। तो यह बात हमको जरूर देखनी पड़ती है कि हमने प्रगति तो की लेकिन दूसरे प्रदेशों और देश के मुकाबले में हमारी प्रगति बहुत कम हुई है।

मेरा यह निश्चित मत है जितना हमने इन्वेस्टमेन्ट किया है उसके अनुपात में हमारा एचीवमेन्ट नहीं हुआ है, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के वित्त मंत्री ने इस बात को पार्लियामेन्ट में स्वीकार किया कि इन ो योजनाओं के अन्तर्गत जितनी प्रगति होने की सम्भावना थी और जितना इन्वेस्टमेन्ट किया गया है उतना एचीवमेन्ट नहीं हुआ है। मैं इस बात को मान सकता हूं कि हमारे सामने बहुत-सी कठिनाइयां थीं। मिसाल के तौर पर हमको बताया गया कि हमारे सामने फारेन एक्सचेंज की कठिनाई थी, केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति काफी देर में आती थी, कांस्ट्रक्शन का मैटीरियल मिलने में देर होती थी। प्रदेशीय स्तर पर बहुत-सी कठिनाइयां हैं उनको कहां तक दूर किया गया है। जनता का कितना सहयोग मिला है इसको जानने के लिए दो कमेटियां भी बिठायीं गयीं, एक गोविन्द सहाय कमेटी प्रदेशीय स्तर पर और दूसरी बलवन्तराय मेहता कमेटी, सारे हिन्दुस्तान भर के लिये। उन्होंने एक स्वर में कहा है कि बावजूद इतना पैसा खर्च करने के आज प्रदेश की जनता के अन्दर आप इन योजनाओं के प्रति वह उत्साह पैदा नहीं कर सके जो आप को पैदा करना चाहिये था। उसके जो भी कारण रहें हों, मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई है तो हमारा फर्ज है कि जो हमें अनुभव हुए हैं उनसे सबक सीखकर हमें दिखाना है कि हम उन गलतियों की पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते है। यही नहीं, मान्यवर, अगर हम इस प्रगति को देखें तो इसमें असन्तोष का एक कारण और भी है कि हमारा जो विकास हुआ है, प्रगति हुई है वह हैफजार्ड वे में हुई है।

[श्री नवलकिशोर]

हमारे यहां ऐजूकेशन तो बढ़ी है लेकिन हम पढ़ेलिखे को इम्पलायमेन्ट नहीं दे सके। मुझे तो श्रीमन्, ऐसा लगता है कि हमने जो विकास किया है, जो उन्नति की है उसका परस्पर ठीक से समन्वय नहीं हो सका। हमने इंडिवीजुअली उन्नति की, हर विभाग का विकास हुआ है लेकिन वेल कोआर्डीनेटेड तथा इन्टीग्रेटेड तस्वीर नहीं बना सके, यह सबसे बड़ी कठिनाई रही है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय था कि हम नियोजन इसलिये कर रहे हैं और इसीलिये किया भी जाता है कि जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है उनके अन्दर से गरीबी के कुचक्र को तोड़ कर स्वचालित व्यवस्था की स्थापना करें, इस तरफ मैं देखता हूं कि हमारा कदम नहीं उठ सका है। जहां यह सही है कि हमारी स्टेट को धन कम मिला, समय पर नहीं मिला पर जितना मिला वह भी हम खर्च नहीं कर सके, इसके अलावा जो कुछ हमने इन्वेस्ट किया और जो इस संबंध में हमारी नीति थी वह अपनी जगह पर साउंड नहीं थी, इकोनोमिक नहीं थी और फाल्टी थी।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इर्रीगेशन विभाग, इंडस्ट्री विभाग और एग्रीकल्चर विभाग, जिनके ऊपर हमने काफी पैसा खर्च किया है, अगर हम देखें तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद जितना पैसा हमने अनप्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्च किया है उतना प्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्च नहीं किया है। जिन स्कीमों के लिये कहा भी गया था कि यह स्कीम प्रोडक्टिव हैं लेकिन जब तक उनका एक्जीक्यूशन हुआ वह अन प्रोडक्टिव हो गईं। मैंने मांग की थी कि सरकार एक कमेटी बिठाये जो इस बात की जांच करे कि क्यों यह स्कीमें, जिन स्कीमों के लिये कहा गया था कि यह प्रोडक्टिव हैं, बाद को अनप्रोडक्टिव हो गई और संबंधित अधिकारियों से जवाब पूछा जाय कि ऐसा क्यों हुआ। सरकार ने कुछ कमेटियां बिठाईं, जैसे माताटीला बांध, शारदा पावर हाउस, लखनऊ में बांध टूटने पर बिठाई, अर्जुन व सपरार बांध पर बिठाई, लेकिन सदन अभी तक अंधकार में है कि इन कमेटियों का क्या परिणाम हुआ और इसके अन्तर्गत किसी के ऊपर जिम्मेदारी आई और क्या दण्ड दिया गया? यह मालूम होना चाहिये था ताकि हमें उम्मेद हो कि आगे चलकर हम अधिक सजगता से कार्य कर अधिक उन्नति कर सकेंगे।

मान्यवर, हाइडिल की बात लीजिये, जहां तक शारदा पावर हाउस का संबंध है यह कोई इकोनामिक चीज नहीं है और मुझे विश्वास है कि शारदा पावर हाउस हमेशा सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी बना रहेगा। इसी प्रकार से मान्यवर, रिहन्द बांध में हमने ४६ करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन जब तक केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध नहीं किया जायगा कि दस करोड़ रुपया बिहार सरकार को जिसकी इसके पानी से सिंचाई होगी डेबिट किया जाय तब तक इसकी इकोनोमिक पोजीशन बन ही नहीं पायेगी।

यही नहीं श्रीमन्, ट्यूबवल की स्थिति देखिये। यह हमारी बदकिस्मती है कि ज्यों-ज्यों हमारी कैपिटल आउट-ले बढ़ती जाती है रिसीटस हमारी घटती चली जा रही हैं। कारण स्पष्ट है मान्यवर, पिछले आंकड़ों को मैं छोड़े देता हूं। इस साल के बजट में ग्रांट १९४६ में ९५ लाख रुपया प्रोडक्टिव स्कीमों पर, १२ करोड़ रुपया अनप्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्च किया जाएगा। जबकि हमारी नीति यह है कि प्रोडक्टिव स्कीमों पर रुपया खर्च किया जाय मैं चाहता हूं कि इसमें तुरन्त परिवर्त्तन किया जाये। बहरहाल ट्यूबवेल पर जो नुकसान हुआ है वह इस प्रकार है—१९५९–६० में २ करोड़ ६४ लाख, तथा १९६०–६१ में २ करोड़ ५८ लाख और १९६१–६२ में २ करोड़ ६० लाख के करीब नुकसान होने वाला है। कैनाल्स अभी तक लाभ में थीं। उनकी भी स्थिति यह है कि ३० लाख से ऊपर का नुकसान ५९–६० में हुआ। २९ लाख १४ हजार का नुकसान १९६०–६१ का है और ७७ लाख का नुकसान १९६१–६२ में होने की उम्मीद है। इसी तरह से अगर हम बस सर्विस को लें तो इसमें शक नहीं कि हमको २ करोड़ १५ लाख रुपये का फायदा १९५९–६० में हुआ लेकिन १९६०–६१ में १ करोड़ १७ लाख का हो गया यानी ५० परसेन्ट कम हो गया। चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में जहां ११ लाख का नुकसान १९५९–६० में था वहां १९६०–६१ में ९० लाख का फायदा है

लेकिन यह भी २ परसेन्ट से ज्यादा का नहीं है। एलेक्ट्रिसिटी की हालत यह है कि आज भी स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद १ करोड़ ६३ लाख नुकसान पूरा करने के लिये सबवेंशन दिया गया और १ करोड़ ३७ लाख इस साल भी देना पड़ेगा, यह हालत है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश में सेल्फ जनरेटिंग इकोनोमी बनने की बात आयेगी।

मैंने नये बजट को देखा कि शायद कोई तब्दीली आयी हो। इसमें शक नहीं कि एक बात के अन्दर तब्दीली आयी है। उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा जोर खेती पर दिया जाय। पहले से भी ज्यादा जो खेती पर दिया है। मेरे एक दोस्त को शिकायत थी कि खेती पर जोर नहीं दिया गया है। मुझे याद पड़ता है कि पहली योजना में १५३ करोड़ में ७२ करोड़ रुपया कृषि, इर्रीगेशन और माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स पर खर्च किया था। दूसरी योजना में २५३ करोड़ के एलोकेशन में २२-२३ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ २३० करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसमें १०० करोड़ रुपया खेती और आबपाशी पर खर्च किया गया। जो मौजूदा तीसरी योजना है इसमें भी ४९७ करोड़ में से २६० करोड़ रुपये के लगभग का इंतजाम आबपाशी और खेती के लिये किया गया है। इस तरह इसमें शक नहीं कि उन्होंने खेती पर इस बजट में जोर दिया है। परन्तु जब तक कार्य-प्रणाली में तब्दीली नहीं होगी विशेष लाभ न होगा, लेकिन जहां तक उद्योग-धंधों का ताल्लुक है मुझे ऐसी कोई मद नहीं दिखायी दी जिसमें यह कहा गया हो कि अब यह व्यवस्था की गयी है जिस से उद्योगीकरण तेजी से बढ़ सके, न उसकी चर्चा भाषण में थी और न विशेष रूप से बजट में है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। बजट में दिया हुआ है कि ४५ लाख रुपया हेवी इंडस्ट्रीज के लिये और २ करोड़ १० लाख रुपया स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये इस वर्ष रखा गया है। मैं नहीं जानता कि इतने थोड़े से पैसे से इस प्रदेश का उद्योगीकरण कैसे कर सकते हैं?

उन्होंने यह बात जरूर फरमायी है कि हेवी इंडस्ट्रीज के लिये एक इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। वह ५ करोड़ रुपये से शुरू होगा जिसमें ५१ परसेन्ट शेयर गवर्नमेन्ट के होंगे। यह एक आशाजनक कदम है।

एक बात इसमें यह भी अच्छी है कि पावर जबकि पिछले पांच सालों के अन्दर ६८ मेगावाट्स ही बढ़ी, अब उम्मीद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६०० मेगावाट्स का और विकास होने वाला है जो इस बात की उम्मीद दिलाता है कि शायद आगे चल कर नयी योजना के अन्दर हम इस दिशा में अवश्य ही कुछ आगे बढ़ सकें।

हमारा समाजवाद स्थापित करने का लक्ष्य है। हम समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यह हम निश्चित कर चुके हैं। लेकिन एक बात यह भी देखने की है कि ज्यों-ज्यों हम आगे कदम बढ़ाते जाते हैं, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन व्यक्तिगत इनकम में डिस्पेरिटीज उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती जाती हैं। उसका कारण क्या है यह देखने की बात है। अभी मैं पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मजदूरों की मैनेजमेन्ट में पार्टनरशिप होनी चाहिये। मैं नहीं जनता कि केन्द्र की जो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन्स है, उनमें मजदूर की मैनेजमेन्ट में कितनी पार्टनरशिप है। परन्तु हमारे यहां हम इस तरफ बिलकुल नहीं बढ़े हैं। हम यह भी जानते हैं कि समाजवाद का जो प्रथम चरण है वह उद्योगीकरण होता है। हमारे प्रदेश में ७४ फीसदी से ऊपर भूमि पर भार है जबकि देश में ६८ फीसदी है। और ईस्टर्न यू० पी० के अन्दर ८२ परसेन्ट से ८४ परसेंट तक है। तो मान्यवर, हमको यह देखना है कि कौन-सा तरीका हम अख्तियार करना चाहते हैं इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जिससे कि यह बोझा जो कि हमारी भूमि के ऊपर है उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता कम कर सकें और उद्योगीकरण की तरफ बढ़ सकें। एक बात तो सही है कि जो हम तकावी देते है या लोन्स देते हैं उसका तरीका भी बहुत अच्छा नहीं है। हम उन्हीं काश्तकारों को और उतना ही लोन देते हैं जितनी कि उनके पास जमीन होती है। इसके माने हैं कि छोटे स्तर

[श्री नवलकिशोर]

का काश्तकार जो है उसको ज्यादा गुंजाइश कोई इमदाद पाने की है नहीं। तो फिर वह जो एक महाक्रान्ति हम लाना चाहते हैं देहातों में, वह मौजूदा कानून के होते हुए होने वाली नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जैसे बिहार की सरकार ने २५० रु० तक का ऐडवांस बिना किसी सेक्योरिटी के देने का तरीका अपनाया है उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी उस तरफ अपना ध्यान दे और कोई वैसा ही कदम अपने यहां भी उठाये।

मान्यवर, एक बात मैं और भी चाहता हूं कि अगर वाकई इस प्रदेश का उद्धार करना है तो पब्लिक सेक्टर को भी हमें एक्सपेंड करना होगा। केवल एक सीमेन्ट फैक्ट्री लगा देने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है। यह सही है कि केन्द्र ने जो एलोकेशंस किये उसमें हमारे उत्तर प्रदेश को कोई हेवी इंडस्ट्रीज नहीं दीं और यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है लेकिन फिर भी हमें उसके लिये कोशिश करनी चाहिये क्योंकि जब तक पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन नहीं होता तब तक समाजवाद की बात आगे चलने वाली नहीं है और यही नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी देखें तो उसमें भी पिछले दस सालों के अन्दर कोई बहुत बड़ा विकास हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है।

एक बात के ऊपर बहुत जोर दिया गया जिसके लिये कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और वह है एकोनामी। मान्यवर, जब से नया मंत्रिमण्डल आया बड़ी आशायें हमारे सारे प्रदेश में इस बात के लिये पैदा हुईं कि न जाने कितनी बचत यह सरकार कर लेगी। लेकिन जब यह ५२ लाख रुपये का आंकड़ा मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी मायूसी हुई क्योंकि मेरा अपना मत यह रहा है कि हमारे यहां बचत की बहुत बड़ी गुंजाइश है और फिर इस ५२ लाख रुपये की बचत के भी डीटेल्स हमें कहीं नहीं मिले कि यह बचत कहां-कहां से होगी? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बड़े अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह ५२ लाख रुपये की बचत कहां-कहां से हुई है, किस-किस विभाग से हुई है यह वह हमें बताने की कृपा करें ताकि हम समझ सकें कि आगे और कहां-कहां कितनी-कितनी बचत की गुंजायश है?

यही नहीं, आश्चर्य की बात यह हुई है कि सारी आस्टरिटी हमने मंत्रियों पर ही खत्म कर दी, वेतन कम कर दिये, छोटी कोठियां दे दीं, छोटे बंगले दे दिए, छोटी मोटरें दे दीं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरीज हैं उन पर भी आस्टरिटीज क्यों लागू नहीं की गई? एक अय्याशी को आपने कम किया कि एयर कंडीशन में उनका चलना बन्द कर दिया उसका शुक्रिया। लेकिन स्पेशल पे जो दो सौ से ढाई सौ और अब बढ़कर तीन सौ रुपये उनको दी जाती है क्या दिक्कत है हमारी सरकार को उसे कम करने में? क्यों नहीं सरकार उसे कम करती है? आज भी बहुत डिस्ट्रिक्स ऐसे हैं जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कम्पेन्सेटरी एलाउंस मिलता है। गरमी की छुट्टियों में इन अफसरों को रिसेस मिलता है जिसके अन्तर्गत कि वह पहाड़ों पर जाते है लेकिन उनके साथ उनका पूरा पैराफर्नेलिया—स्टेनो, चपरासी वगैरह सब जाते है।

इस सब में कमी क्यों नहीं की गई मान्यवर, एक तरफ हमको नौबत यह आ जाय कि हम २ करोड़ रुपया काश्तकारों के ऊपर जो इर्रीगेशन में छूट दी थी वह वापस ले लें और एक बोझा डाल दें और दूसरी तरफ हम उन अफसरान पर जिनकी तनख्वाह हजार, दो हजार और तीन-तीन हजार तक है सौ-दो सौ रुपये का भी बोझ न डाल पायें, तो यह कोई औचित्य की बात नहीं है। यही नहीं अगर आप स्टाफ को लें तो डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर आज स्टाफ इस कदर बढ़ा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं और कहीं किसी प्रदेश में इतना स्टाफ नहीं है। इंडस्ट्रीज का विकास हुआ या नहीं हुआ लेकिन डाइरेक्टोरेट का विकास जरूर हो गया। ऐग्रीकल्चर में कोई उन्नति हुई हो या न हुई हो लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर बजाय ८ के १७ हो गए। मान्यवर, मेरा विश्वास है कि अगर सरकार सतर्कता के साथ कदम उठाये तो कम से कम २०, २५ प्रतिशत स्टाफ का रिट्रेंचमेन्ट किया जा सकता है, यद्यपि आप यह कह चुके हैं कि आप रिट्रेंचमेन्ट करने वाले नहीं हैं, जो किन्हीं मानों में ठीक भी है, मैं भी नहीं कहता कि आप करिए।

लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर जो सब से बड़ा इम्प्लायमेन्ट का एवेन्यू है वह गवर्नमेन्ट सर्विस है जबकि किसी भी डेवलप्ड कंट्री में गवर्नमेन्ट सर्विस सबसे आखीरी एवेन्यू इम्प्लायमेन्ट का हुआ करती है । तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा ।

मान्यवर, रिटायरमेंट की बात बहुत दिनों से हमारे सामने है । मेरा व्यू इस बारे में सब भाई जानते हैं । मैं कार्यकर्त्ता इस व्यू का हूं कि ५५ साल की एज रिटायरमेंट की होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री भी इससे इत्तफाक करते होंगे । मैं जानता नहीं कि उनके सामने क्या दिक्कत है । मान्यवर जब कभी कदम उठाया जायगा तो उससे कुछ लोगों का फायदा होगा और कुछ लोगों का नुकसान होगा तो बजाय इसके सोचे कि किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा हम यदि इस बात को सही समझते हैं कि ५५ साल का रिटायरमेंट सही है । तो इसको हमें कर देना चाहिये मैं इस बात को जानता हूं कि ५८ साल और ६० साल के लोग आपके यहां हैं और आपने विभागों मे उनको एक्सटेन्सन दिया है लेकिन मैं यह दरख्वास्त बड़े अदब से करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अब हमको उसे कम कर देना चाहिये और एक एक्सटेन्शन और पुनः इम्प्लायमेंट देना बन्द कर दिया जाय ।

मान्यवर, मैंने पहले भी इसकी दरख्वास्त की थी कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को वालण्टरी कट अपनी सैलरी से करना चाहिये लेकिन ऐसा मालूम होता है उन पर कोई असर इस तरह होने वाला नहीं है । इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी है । अगर हम कानून के जरिये से जो हमको जनता ने अधिकार दे रखा है उसके अनुसार कर सकते हैं तो उसको हमें कर देना चाहिये । हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे मंत्रिमंडल के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी है । यह जो बात कही जाती है करप्शन की इनएफीशियंशी नेपोटिज्म और फेवरिटिज्म की हमारी गवर्नमेन्ट का यह फर्ज है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दे क्योंकि इस बारे में वह भी कुछ समय पहले सदन का ध्यान खींच चुके है मैं इस बात को नहीं जानता कि कोई तरीका एफीशियेन्सी को आडिट करने का उनके पास है या नहीं लेकिन इतनी दरख्वास्त करूंगा कि एक विभाग आप अपने ५० विभागों में से चुन लें जिसमें हमें इस बात का विश्वास हो जाय कि एक विभाग हमारे यहां ऐसा है, जिसको हम कह सकते है कि उसका काम एफीशियेन्टली चलने वाला है या चल रहा है । मैं पक्षपात का एक उदाहरण यहीं का देना चाहता हूं।

यहां पर सेक्रेटेरियट के अन्दर एक स्टेनो का केडर है । मुझे मालूम है कि उनके यहां नियम है जिसके हिसाब से एक स्टेनों का प्रोमोशन होता है और तब वह पी० ए० मिनिस्टर का या डिप्टी मिनिस्टर का स्टेनों बनता है । आमतौर पर मैं जानता नहीं कि उस नियम का इस्तेमाल कितना होता है लेकिन आमतौर पर शिकायत है कि उन स्टेनों का जो चीफ सेकेट्री मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर साहब के साथ अटैच होते है या उनके पी० ए० बनाये जाते हैं उसके पीछे एफीशियेन्सी सीनियरिटी या मैरिट नहीं होती है बल्कि और कंसीडरेशन होता है जिसके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं ।

अपराधों की बात कही गई और कुछ ला एण्ड आर्डर की बात भी कही गई । मैं यह जानता हूं कि जब से यह मन्त्रिमन्डल आया है तब से थोड़ा सा विश्वास लोगों के अन्दर पैदा हुआ है और गृह मंत्री जी ने इस तरह की अपनी छाप भी डाली है और लोगों को विश्वास दिलाया है कि वह इसमें कुछ करना चाहते है । कहां तक वह कामयाब होंगे इसको तो आगे चलकर भविष्य ही बतलायेगा किन्तु उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जो डिप्टी सुपरिन्डेन्ट कम्पलेन्ट जिलों में हैं उनके करेक्टर रोल को अगर मंगाकर देखे तो आपको इस बात का पता चल जायगा कि जो सब से ज्यादा निकम्मे और जिनकी इन्टोग्रिटी डाउटफुल थी ऐसे लोगों को डी० एस० पी० कम्लेन्ट जिलों में बनाया गया है । जब मंत्री जी अपना भाषण दें तो इस बात को बतलाने की मेहरबानी करें । अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपना खयाल ठीक कर लूंगा ।

[श्री नवलकिशोर]

इसके बाद में २,३ बातें और कहना चाहता हूं। यह जो बजट है इसके अन्दर कुछ स्पेशल फीचर है। वह यह है कि आपने उन छोटे प्राइमरी टीचरों की तनख्वाह को बढाया है जो कि वुमन टीचर देहात मे काम करतीं है उनको विशेष भत्ता तथा रहने के लिये मकानों का प्रबन्ध करने की बात कही है पी० एम० एस तथा पी० एच० एस० क्लास (२) के भी स्केल को बढाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेन्शन देने का भी प्रबन्ध किया है। डाकुओं से मुकाबला करने में मरने वाले पुलिस कान्सटेबिलों के लिये ऐसी पेन्शन देने का प्रबन्ध किया गया है। इसी तरह से बजट का तरीका भी पहले से अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री और उनका जो स्टाफ है फाइनेन्स सेक्रेटरी को इसके लिये जरूर मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रसंशा करता हूं कि इस साल जो साहित्य दिया है उसको इस तरीके से रखा है जिससे एक बेटर आइडिया आसानी से मिलता है और बातें समझ में आती है।

इसके अलावा इसके अन्दर एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन की बात है, इलाहबाद में मेडिकल कालेज खुलने की बात है। इन सब चीजों का स्वागत करते हुये मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

हमारे यहां रिहन्द डैम की एक बहुत बड़ी योजना है। मेरी सूचना है कि सितम्बर या अक्तूबर के आखिर तक जितनी मशीन्स वहां पहुंच चुकी है ५ टरबाइन लग चुके है—वे सब काम में आ सकते हैं। लेकिन नियोजन की कमी यह है कि ट्रान्समिशन लाइन्स न बनने की वजह से उस बिजली का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और देखे कि जिन लोगों को उसने बिजली देने का वायदा किया है वे तुरन्त बिजली लेने और उसके मिनिमम चार्जेज देने के लिये क्या तैयार हैं?

मैं मान्यवर, दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जितने जनता के प्रतिनिधि हैं उनका उचित सम्मान होना चाहिये। पंचायतों के चुनाव हुए और उनकी अपनी शक्ति और अधिकार की बात है। हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि वहां विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है सेक्रेटरी कंट्रोल करता है। मैं एक ही शब्द में उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सेक्रेटरी कहां कंट्रोल करता है और कहां नहीं, यह व्यक्तिगत चीज है। जहां के नुमाइन्दे जागरूक और योग्य हैं वहां सेक्रेटरी उन पर कभी हावी नहीं रह सकता है और जहां ऐसा नहीं होगा वहां सेक्रेटरी हावी हो जायगा। यह बात होगी चाहे आप किसी भी स्तर पर देखें लें। और जनता के प्रतिनिधियों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनका मान होना चाहिये, उनकी एक मर्यादा होनी चाहिये। अभी जयप्रकाश जी ने भी कहा है कि व्योरोक्रेसी सही प्रकार से उनका आदर नहीं करती है। ९ साल हो गये, मैंने एक मांग पेश की थी, १९५३ में कि एक वारंट आफ प्रेसीडेंस बनना चाहिये ७,८ साल हो गये, पता नहीं उसके बीच में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आ जाते है या कमिश्नर मैं नहीं जानता, लेकिन वह आज तक बन नहीं सका है और भगवान जाने कब तक बनने वाला है।

अंत में एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो पृष्ठभूमि हमारे सामने है, इस बात को देखते हुये कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जो उद्योग धंधों में पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा मायूसी की नहीं तो यह एक चिन्ता की बात अवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में जो यह बजट आया है इस से हमें विशेष आशा नहीं होती। इस के अतिरिक्त इरिगेशन रेट्स को जो दलील दे कर बढ़ाया गया है, उससे आपने कृषकों पर बोझ बढ़ा दिया है। इस के बिना भी इकोनामी करके आप अपना काम चला सकते थे बजट में इसकी काफी गुन्जायश है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह रिवेट के इस प्रश्न पर पुनः विचार करें साथ ही सारे प्रदेश का एकोनामिक सर्वे कराये और

एक हाई पावर कमेटी बैठायें जोकि हमारे वर्त्तमान साधनों की जांच करके नये साधन जो उपलब्ध हो सकते हैं उनके सुझाव दे और जैसा कि मैंने कहा, मायूसी की बात यह सब न होते हुए भी, चिन्ता की बात अवश्य है। लेकिन फिर भी हम सब, जब इस प्रदेश की आबादी बढ़ गयी है, ७ करोड़ नर, नारी और बच्चे मिल कर अगर इस बात को तय कर लें कि इस देश और प्रदेश की तरक्की और विकास के लिये आपस की राज-नीतिक दलबन्दी छोड़ कर, सहयोग के साथ, आपस में मेल-मिलाप कायम कर आगे बढ़ेगें तो मुझे विश्वास है कि इस चिन्तायुक्त वातावरण में भी हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकेंगे।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नवलकिशोर जी को सुना और बड़ी तारीफ उन्होंने की कि मंत्रिमंडल पर अब बड़ा विश्वास है। मैं तो जानता हूं कि गांव वाले को तो मंत्रि मंडल पर विश्वास है नहीं। गांव वाला तो देखता है कि यह मंत्रि मंडल आया तो इससे गुड़ और राब पर लाइसेंस लगा दिया, सिंचाई की दर बढ़ा दी और पेट्रोल पर टैक्स बड़ा दिया। मंत्रि मंडल पर यहां के बैठने वालों को विश्वास हो तो हो, गांव वाले को नहीं है।

आप देखें कि बजट क्या है। ८६ लाख आदमियों की तरक्की का यह बजट है और साढ़े ५ करोड़ के लिये कुछ नहीं। जितनी उपज के साधन हैं ये सब देहातों में हैं और यहां शहर में बैठ कर आप केवल खर्च करते हैं। महानगर बन जाय, गौतमपल्ली बन जाय, शहर में सब कुछ बनता चला जाय और सारा रुपया यहीं पर खर्च करें, लेकिन गांव के लिये सिंचाई की दर बढ़ा दो। सफा ३१ देखिये, सिंचाई की अनियमितायें कितनी हैं। २८ करोड़ कुछ लाख का ऐसा गबन है कि जिसके बिलों का हिसाब ही नहीं मिलता। तखमीने से ज्यादा खर्च है। १८ करोड़ का विद्युत में और ८ करोड़ का सार्वजनिक निर्माण विभाग में। इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही सब से ज्यादा अनियमिततायें हैं।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

कहते हैं कि एक अरब ५४ करोड़ रुपये हमको दो। किसलिये दो? इसलिये दो कि हम समाजवादी समाज लायेंगे कल्याणकारी राज्य स्थापित करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि हम समाजवादी समाज की नीव डालने जा रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत है, जनता को पैसा तो देना ही पड़ेगा। मुझे तो नहीं मालूम कि इस तरह से कैसे आप समाजवादी समाज स्थापित कर सकेंगे। कल्याणकारी राज्य तो वह होता है जिसमें जनता सुखी हो। आप गांव में जाकर जनता को देखें कि उनकी क्या हालत है। जनता तो आपकी तरफ से बिलकुल निराश हो गयी है और उसका पता तो आपको आगे चल कर मालूम हो जायेगा। मैं कुछ नहीं कहता।

मेरे सामने यह मोटी-मोटी किताबें हैं उनको देखने से यह पता चलता है कि गांव के आदमी की आमदनी पहले १९१, फिर १९३ और फिर १९१ रह गयी। शहरों में देखिये—वहां पर ६५५, फिर ६७५ और फिर ६६५ हो गयी। तो आपकी आमदनी बढ़ी कहां है? गांव का आदमी तो १८३ रुपये में १२ महीने अपनी गुजर कर सकता है, किन्तु शहर का आदमी इतने में नहीं कर सकता।

कहते हैं कि हमने बहुत उन्नति की। ४ रुपये महीना एक गांव वाले की आमदनी होती है, यह उन्नति है! आप तो उनको मार डालना चाहते हैं। कहते हैं आप कि हम जनता का स्तर ऊंचा करने के लिये कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

लेकिन स्तर बजाय उठने के गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। तरक्की कहां पर हुई ? तरक्की हुई है कर्जों में, तरक्की हुई है वारदातों में, डकैतियों और चोरियों में। यहां जवाब यह दिया जाता है कि हमारे बूते का इन्तजाम नहीं। अरे भाई, जब तुम इन्तजाम नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ो। जब तुम इनको रोकने का ही कोई इन्तजाम नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ो । क्यों गद्दी पर बैठे हुये हो ? तरह तरह से आप जनता से रुपया वसूल करते हैं, फिर कहते हैं कि हम इन्तजाम नहीं कर सकते ।

अब जरा चकबन्दी को देखिये । हमारे यहां भी चकबन्दी हो रही है। रेकार्ड्स में लाखों गलतियां हैं । सी० एल० आर० डी० में जनता को परेशान करके हजारों रुपया वसूल किया जा रहा है। मैं बराबर अपना लगान देता आया हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी ७५ रुपये सी० एल० आर० डी० के निकाल दिये। हमेशा मैंने अपने लगान का समय से पेमेंट किया है। पता नहीं यह किस हिसाब को देख कर यह पैसा निकालते है। लोगों से ८-८ वर्षों का रुपया वसूल किया जा रहा है। मेरे भतीजे का मामला था उसे मैं अभी ठीक कराकर आया हूं। उस पर भी ३३ रुपये निकाल दिया जब कि वह भी बराबर लगान देता चला आ रहा है। सारे गांव से लगभग १५ हजार रुपये के बकाया निकाला गया है। मेरे यहां जलालपुर इलाके में जो सैलाब का इलाका है तथा और कई गांव में भी खरीफ और रबी दोनों का लगान वसूल किया गया। जब शिकायत उन लोगों से की जाती है तो वे कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हमारा तो कोटा फिक्स है, अगर कोटे से हम कम वसूल करते हैं तो हमारी नौकरी जाती है। तो यह हालत है आज इस सरकार की ! हर तरफ से किसानों को परेशान किया जा रहा है। यह आपकी दशा है। आप हिन्दुस्तान में तरक्की करने जा रहे हैं। गांव में खरीफ और रबी दोनों का लगान वसूल कर रहे हैं। कहते यह है कि भाई, अब तो गांव का आदमी खुशहाल हो गया है, गांव में मकान भी बन रहे हैं, आदमी साइकिलों पर भी निकलते हैं। कपड़े भी पहने निकलते हैं, उनका रहन-सहन भी बढ़ा है, गेहूं और चावल खा रहे हैं। लेकिन वहां गुड़ भी नहीं मिलता। वह भी आप छीन रहे हैं। कहते हैं कि बिना लाइसेन्स कोल्हू भी नहीं गाड़ने देंगे, लेकिन आप यह भी कहते हैं कि किसान चाय और शक्कर खा रहा है।

आप कहते हैं कि कर्जा तो बांटो, लेकिन साधन सहकारी समितियां ९ रुपया सैकड़ा सूद लेती हैं। २० रुपया पहले जमा करो, आठ गुना मिले, पांच, गुना तो नगद और बाद को हल, खाद और बीज मिले। अगर ६ जून की तारीख निकल जाय तो पेनाल्टी दो। जो सवाई होता है उससे भी ज्यादा दो। साहूकार को सवाई का सवाया देते थे, लेकिन आप सवाई पर जुर्माना और लेते हैं। यह सरकार तो साहूकार से भी ज्यादा बदबख्त हो गई है। साहूकार से तो तुरन्त मिल जाता था लेकिन आपसे मिलने में यह हाल !

केन्द्र ने टैक्स लगा दिया। चार पैसे की दियासलाई ५ पैसे में मिलने लगी । वह टैक्स चाहे पहली अप्रैल से लगे, लेकिन हम पर आज से ही लग गया। मिट्टी का तेल चार आने के बजाय ५ आने में मिलने लगा। फिर भी सरकार कहती है कि हम कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं, समाजवादी समाज की रचना कर रहे हैं। क्या यही समाजवाद समाज की रचना है ? महानगर, गौतमपल्ली, यही समाजवादी समाज की रचना है ? लेकिन गांवों में निकलना बन्द है, सरेशाम के बाद कोई बाहर निकल नहीं सकता । ऊपर से कहा जाता है कि मंत्रि मंडल पर विश्वास है । जब आप सिंचाई का रेट तीन आना ज्यादा वसूल करेंगे, गुड़ और राब पर लाइसेन्स होगा तब मंत्रि मंडल पर विश्वास हो जायगा ।

हम से कहा जाता है कि हम मुखालिफत तो करते हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं बतलाते । हम तरीका तो बतलाते हैं, आप मानें तो सही ! पुलिस मंत्री जी चले गये, उनको मैं तरीका बतलाता कि इस तरीके से इन्तजाम कीजिये फिर देखिये कि किस तरह से चोरी या और

कोई वारदात हो जाय। पंचायतों के प्रधान बन गये हैं, सदस्य भी बन गये हैं, उनको आप डंडा टोपी दे दो और कहो कि गांव की रखवाली करें, फिर मजाल है कि चोरी हो जाय! खुद तो गांव में रहना नहीं चाहते, फिर आप कैसे इन्तजाम करेंगे? हमसे पूछते हैं कि इन्तजाम बताओं। हम बताते हैं, लेकिन अमल तो करो। हम तो कहते हैं कि किसान की पैदावार का दाम मुकर्रर करो और ६ एकड़ तक लगान माफ करो। आप कहते हैं कि १० करोड़ घट जायंगे तो कहां से पूरा करेंगे? आपने बजट में तो १२ करोड़ की बढ़ोत्तरी करदी और बात करते हैं किफायत की। आखिर आपने किफायत क्या की? पर उपदेश कुशल बहुतेरे —जे आचरहिं ते नर न घनेरे।

चौखम्भा राज्य बनाओ और नीचे पंचायतों से चलो। पंचायतों को तहसील वसूल का अधिकार दो और प्रधान को जिम्मेदार बनाओं और अमीनों को हटाओ। पांच फीसदी ग्राम सभाओं को दो। लेकिन आपने तो फालतू आदमी पाल रखे हैं, उनको आपको नौकरियां देनी ही हैं। हमारे यहां कभी सेक्रेटरी आया कभी ग्रामसेवक आया, कभी ए० डी० ओ० और कभी बी० डी० ओ०, जो कहते हैं कि यह करो वह करो। जब देखों तब कमर बांध कर और टोप लगाकर खड़े हो गये और कहने लगे कि ऐसा करो, लेकिन करने वाले तो हम ही हैं। न मालूम कितने हाकिम खड़े कर दिये। उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मैं तो कहता हूं कि सरकार खुद भ्रष्टाचारी है। किसान का माल अफीम और पोस्ता सरकार ३० रु० सेर लेती है, लेकन १०० रुपये सेर बेचती है, किसान के माल को सस्ता लेना और अकरा बेचना। तो हम चोरी क्यों न करें ब्लैक क्यों न करें? हमारी १० रुपये की चीज तुम सौ रुपये में बेचते हो और हमसे कहते हो कि ब्लैक न करो। गन्ने पर, गुड़ पर रोक लगाते हो और कहते हो कि यह रामराज्य है। वाहरे राम राज्य तुम्हारा!

तम्बाकू पर एक पौंड पर १ रुपये का टैक्स है। हमारे जिले बिजनौर में तम्बाकू का रोजगार करके किसान अपनी गुजर कर लेता था और रबी का अनाज बचा लेता था। लेकिन होता क्या है? किसान बाजार में तम्बाकू लेकर आया, आप का इंस्तपेक्टर आया। उसको देखकर तो किसान भाग गया टैक्स के डर के मारे, बेचारे का तम्बाकू गया और किराया उसके सिर पर अलहदा।

यह हाल तो हुआ तम्बाकूवालों का गन्नेवालों की हालत और बुरी है।

एक बात और है। कहा जाता है कि फेमिली प्लानिंग करो। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर फेमिली प्लानिंग करना है तो ब्रहमचर्य धारण करो। क्या फेमिली प्लानिंग इंजेक्शन लगाने से होगा। आदमियों को इंजेक्शन लगा दिया, औरतों को इंजेक्शन लगा दिया तो क्या फेमिली प्लानिंग होगा? इससे व्यमिचार होगा, व्यभिचार बढ़ेगा। बच्चे नहीं पैदा होंगे, यह हो सकता है, लेकिन व्यभिचार बढ़ा रहे हो। फेमिली प्लानिंग करना है तो ऋषियों का रास्ता अपनाओं, लम्बे लम्बे बाल धारण करना छोड़ों और सादगी का जीवन बिताओं तब फेमिली प्लानिंग होगा।

एक नयी बात और सामने आयी। केन्द्रीय सरकार का आदेश हो गया कि बबूल के पेड़ मत काटो। खेत में एक बबूल का पेड़ खड़ा था, उसने काट लिया तो तहसीलदार ने उसको रोक दिया और कहा कि तुमने पेड़ क्यों काट लिया। किसान के काम आने वाली लकड़ी है बबूल, शीशम, महुआ, जामुन, लेकिन अब इस पर भी रोक! न काटो। उल्फतसिंह जी नहीं है। उन्होंने बबूल का पेड़ काटा तो उन पर आर्डर आ गया कि तुमने बबूल का पेड़ कैसे काट लिया? पता नहीं, यह सरकार क्या करेगी?

हमारा वन विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। पेड़ लगाने और दरख्तों को बढ़ाने के काम को करता है। कहा गया कि अगर पेड़ लगाओगे तो १० वर्ष तक तुमसे रुपया नहीं लिया जायगा, बाद को रुपया लेंगे। हमारे जिले में ७५ सौ रुपया लिया हुआ है दरख्त लगाने, के लिये लेकिन आजतक ६ वर्ष हो गया। एक भी पेड़ नहीं लगाये गये। इसके

[श्री टीकाराम]

अलावा पेड़ हर साल जुलाई में लगाये जाते हैं जब तेज धूप होती है। यह सरकार ऐसे उलटे काम करती है, अक्ल के खिलाफ बेवक्त रुपया पब्लिक का पानी की तरह से बहाती है और कहती है कि उन्नति हो रही है। हम तो कहते हैं कि ऐसा तरीका मत अख्तियार करो, अपना हिन्दुस्तानी जामा मत भूलो। विदेशी फैशन विदेशी भाषा और विदेशी भूषा से हम तरक्की नहीं कर सकते। महात्मा गांधी के सादगी और त्याग के तरीके पर आओ, तभी तरक्की कर सकते हो, वरना नहीं कर कसते हो। अगर आप दरअस्ल तरक्की करना चाहते हो तो अंग्रेजी भाषा को बिलकुल हटा दो, और हिन्दी को अपनाओ, किसानों के अनाज की कीमत मुकर्रर करो और चीन जो हमलावर है उसको रोको, वरना तुम्हारा पता नहीं लगेगा।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य विवाद में शामिल होने का समय दिया है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस आदरणीय सदन के सामने पेश किया है, मैं उसके स्वागत के लिये खड़ी हुई हूं। यह सन् १९६१–६२ का बजट तीसरी योजना का पहला बजट है। इसमें तीसरी योजना को जो सम्मिलित की जावेंगी उनके लिये २७.४१ करोड़ रुपया रखा गया है। यह एक विशेष बजट है। तीसरी योजना के लिये योजना आयोग ने जो ४९७ करोड़ रुपया रखा है, उसमें से १४७ करोड़ रुपये का हमें इन्तजाम करना है। इसमें जो व्यवस्था की गई है, मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि १४७ करोड़ रुपया हम बचा लेंगे। विश्वास होता है कि हमारा काम किफायतशारी से चल सकता है। किफायतशारी का सर्वत्र स्वागत होगा।

मुख्य मन्त्री ने अपने शब्दों में यह भी कहा है कि अलाभकारी पदों और अनावश्यक खर्चों को खत्म किया जायगा। इससे गांवों की जनता को बड़ा सन्तोष होगा। अब तक चहुमुंखी खर्चे के कारण वह सरकार को सहयोग देने में हिचकिचाती है।

मैं इस बजट का इसलिये भी स्वागत करती हूं कि जिस भू-भाग का मुझे प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त है वहां के विकास के लिये सरकार ने काफी रुपया रखा है। हमारे यहां जो स्कूल, नहरें और सड़कें बनेंगी उनसे जनता का भला होगा। मैं सरकार की इसलिये भी अभारी हूं कि जिला टेहरी-गढ़वाल के हैडक्वार्टर, नरेन्द्रनगर, में हमारी प्राइवेट संस्था का प्रदेशीयकरण किया गया है और हमारे दूरस्थ इलाके में लस्तर नदी पर पुल की व्यवस्था की गई है। भागीरथ नदी पर कोटेश्वर नामक स्थान पर एक झूला पुल के लिये रुपया रखा गया है। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगी कि उस स्थान पर झूला पुल न होकर पक्का पुल ही बनाया जाय, क्योंकि कुछ दिनों में वह सड़क मोटर मार्ग बनने वाली है और पक्का पुल बन जाने पर सरकार को दोबारा खर्चा न करना पड़ेगा।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे पड़ोसी जिले पौड़ी-गढ़वाल में डिग्री कालेज के लिये इस साल स्वीकृति दे दी गई है। मुझे आग्रह करना है कि यह जो डिग्री कालेज श्रीनगर में स्थापित होने जा रहा है, इसमें इस साल से ही पठन–पाठन की व्यवस्था हो जाय।

मुझे दुख है कि टेहरी-गढ़वाल में जहां कि राजमाता जी की ओर से डिग्री कालेज के लिये विशाल भवन बनाया जा रहा है, उसके लिये सरकार ने इस बजट में कोई धन नहीं रखा है, जबकि सरकार की योजना विशेष तौर से लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की है। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि उन्होंने अध्यापिकाओं के वेतन और आवास गृहों के लिये काफी रुपया रखा है और ८वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि टेहरी-गढ़वाल में राजमाता द्वारा जो विशाल भवन बनाया जा रहा है वह उसके लिये ऐच्छिक धन की व्यवस्था करे, जिससे पर्वतीय इलाके की महिलाओं और लड़कियों का उत्साह बढ़े।

एक बात मैं यह भी कहूंगी कि विरोधी दल के नेता ने सरकार की ग्राम्य नीति की आलोचना की है। मुझे तो इस बजट को ध्यान से देखने से ऐसा ही लगता है कि यह ग्रामीणों का ही बजट है। वास्तव में इस बजट वर्ष में जितने भी काम होंगे, जैसे सड़कें, औषधालय, नहरें और स्कूल इत्यादि बनेंगे, वे सब गांव वालों के लिये ही तो होंगे। उन्होंने चीन के कृषि के तौर-तरीके को अपनाने की सलाह दी है। उनको मालूम होगा कि वहां की कृषि व्यवस्था के कारण भयंकर भुखमरी फैली हुई है और कम्यून्स की वजह से यह हुआ है। फिर इस सलाह को आंख मूंद कर हम कैसे मान सकते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो भी विचार मुख्य मन्त्री जी ने सदन में और बाहर प्रकट किये हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूं।

लाल चीन की गड़बड़ी की वजह से उत्तराखंड मंडल में कार्य संचालन के लिये केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों ने काफी रुपया वहां के लिये रखा है, जिससे वहां का तीव्रतर विकास होकर आर्थिक स्थिति सुधरे। मैं चाहती हूं कि पूरी कुमायूं कमिश्नरी के लिये वैसी सुविधायें होनी चाहिये जैसी की उत्तराखंड के लिये हैं। जो रुपया रखा गया है वह सरकारी कर्मचारियों की लम्बी फौज पर खर्च न किया जाय, बल्कि उससे वहां की विकास की अवस्था को सुधारा जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राष्ट्र हमको कभी क्षमा नहीं कर सकता है। हम पर आरोप लगेगा कि हमारी केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा अधिक से अधिक रुपया दिये जाने पर भी हम वहां के लिये कुछ नहीं कर सके।

मुझे सरकार से यह भी अनुरोध करना है कि उसने इस बजट के द्वारा बहुत से कार्य करने का संकल्प किया है जिनसे लोगों को सन्तुष्टि होगी, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं, जैसे कि इर्रीगेशन पर आपने टैक्स बढ़ाया है, वह कार्य आपने अच्छा नहीं किया। उससे दुख होता है।

इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीमान्त जिले तभी सुधर सकते हैं जब कि उनके लिये जितने साधन रखे जाते हैं उन सबको वहां के विकास के कार्य में लगा दिया जाय।

मैं वित्त मन्त्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि इस बजट में जो त्रुटियां रह गई हैं, उनको वे सुधारने की कोशिश करें। यह तो आपने दोनों तरफ के महानुभावों से सुन ही लिया होगा कि उसमें क्या–क्या त्रुटियां रह गई हैं।

इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगी कि कुमायूं कमिश्नरी में अभी तक जितने भी स्कूल खुले हैं, उनके पर्याप्त विकास के लिये पूरा–पूरा रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा लड़कियों के स्कूल के लिये अध्यापिकायें भी नहीं मिलतीं। इसके लिये सरकार को करना यह चाहिये कि प्लेंस की लड़कियों के लिये टीचर्स–ट्रेनिंग में जाने के लिये जो आपने योग्यता रखी है, पहाड़ के लिये कुछ कम रखी जाय तथा उनकी ट्रेनिंग के लिये वहीं पर प्रबन्ध भी किया जाय, क्योंकि वे इतनी आगे बढ़ी हुई नहीं हैं कि कहीं दूसरी जगह ट्रेनिंग के लिये जा सकें। इससे वहां पर अध्यापिकाओं की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जायगी।

मैं पुनः वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देती हूं और अनुरोध करती हूं कि सरकार द्वारा पर्वतीय इलाके के लिये जो विचार समय-समय पर व्यक्त किये गये हैं, उन पर दृढ़ रह कर वहां के विकास को आगे बढ़ावें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। विकास की योजनाओं पर वे अटल रहें और उन स्कीम्स को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने की कृपा करें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)––माननीय अधिष्ठाता जी, दो तीन दिन से सरकारी और विरोधी बेंचों की ओर से, मैं यह देख रहा हूं कि कोई समर्थन करता है तो कोई विरोध करता है, लेकिन विरोध अधिक है। विरोध होने से या अवरोध होने से सरकार के कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। जब कोई बहस की बात होती है तो हां पक्ष की ओर से

[श्री बंशीधर शुक्ल]

चाहे गलत बात हो या सही हो, केवल बहस होती है। बाकी हां पार्टी में सब हां। मैं ३-४ वर्षों से देख रहा हूं, इसी पागल पन से सरकार चलाई जा रही है और कहा जाता है कि हम देश का कल्याण चाहते हैं और बेतहाशा रुपया खर्च किया जा रहा है।

सन् १९३४ से ही यह सरकार चली आ रही है। जो भी सरकार है वह आपकी पार्टी की है। उसी के कारण देश में सब गड़बड़ी हुई है। देश में अगर कोई भूखा मर रहा है, देश में अपराध बढ़े हैं तो इस सब की जिम्मेदारी आप के ऊपर है। लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। न किसी का आप सुझाव ही मानते हैं। इस बुरे ढंग से आप चल रहे हैं और नौकरशाही की परवरिश कर रहे हैं। आज विदेश का हमला हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तमाम देश के लोग चाहे कुछ कहते रहें, लेकिन आप आंखें मूंद कर बैठे हुये हैं। यह क्या हो रहा है? सरकारे आलिया के संचालकों! जरा कान खोल कर सुनो, आंख खोल कर देखो, अब कल्पनावादी और छायावादी जमाना नहीं रहा है, वास्तविकता का समय है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप अभी तक अपने देश का मसला ही नहीं हल कर पा रहे हैं। किसी मुहकमे को देखिये, आपके सब मुकहमें भ्रष्ट हैं और सब में गड़बड़ी है, सबके सब गलत कार्य करते हैं। इनको देश कल्याण समझ कर तोड़ दीजिय।

और मुहकमें छोड़ कर कहता हूं कि एक जंगल विभाग के सम्बन्ध में ही आप न्याय करेंतो उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहीं पर अली जहीर साहब ने कहा था कि सरकार द्वारा जंगलात में किसी की जमीन नहीं ली जायगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? जंगल विभाग जिसकी भी जमीन चाहता है जबरदस्ती छीन लेता है और उसको मुआवजा भी नहीं देता है। न तो लगान कैन्सिल किया गया, न वृहत जोतकर कैन्सिल किया गया और ऐसे लोग जो मुकदमा जीत गये हैं सरकार से, उनकी जमीन भी छीनी जा रही है। यह क्या हो रहा है? क्या यह डकैती नहीं है जो आपकी हुकूमत कर रही है? आपके पास थोड़ी फौज या पल्टन इसलिये ही है कि जिसकी चाहें गर्दन हलाल कर दें? अगर मेरे पास भी फौज या पल्टन होती तो मैं भी सरकार की गर्दन हलाल कर सकता था। आज जनता से आपका इस कदर द्वष व लड़ाई है!

मैं इस सम्बन्ध में खासकर पूरनपुर के पंडित रामभरोसे लाल जी 'पंकज' का उदाहरण देना चाहता हूं जिनके पास जमीन्दारी के जमाने से ही जंगल की जमीन थी। उन्होंने जमीन्दारों को नजराने देकर जमीन ली थी और आज सरकार का वन विभाग उनसे वह जमीन छीन रहा है। हाई कोर्ट इलाहाबाद से वह मुकदमा जीत भी गये कि सरकार उनसे जमीन नहीं छीन सकती। उधर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उनके पास नोटिस आती है कि दो साल से जमीन क्यों परती पड़ी हुई है? इधर दो साल से जंगल विभाग जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहा है, वे मुकदमें जीत गये हैं, उनका लगान कैंसिल नहीं किया गया, वृहत-जोत-कर कैंसिल नहीं किया गया और उस जमीन पर जो कर्जा है उसका तकाजा पर तकाजा आ रहा है, लेकिन उनको जमीन जोतने नहीं दी जाती है। दरख्वास्त पर दरख्वास्त आ रही हैं, लेकिन अलीजहीर साहब जो पहले वन मन्त्री थे वे तो आंख के अन्धे और कान के भी बहरे थे जिन्होंने इस पर कोई खयाल नहीं किया और आजकल जो हैं वे तो कान के भी बहरे हैं और आंख के भी वैसे ही हैं। तो एक तरफ तो उनकी जमीन छीनी जा रही है और दूसरी तरफ श्री तेजेश्वर दत्त भल्ला को सरकार ने १,१०० एकड़ जंगल ५५० रुपये सालाना भूमिधरी लगान पर खेती करने के लिये दे दिया है, जिसमें भल्ला साहब के कहने के अनुसार ही ७०,००० साखू के दरख्त ऐसे थे जो फी दरख्त १०० रुपये से कम के नहीं थे। उन्होंने उन दरख्तों को कटवाकर बेच दिया और अब उसमें खेती कर रहे हैं। इसके अलावा उन को ९० हजार या १ लाख के करीब रुपया कर्जे के तौर पर एक शुगर केन फैक्टरी लगाने के लिये दिया गया ताकि नैपाल की हद पर जो गन्ना पैदा होता है वह भी उसमें पेरा जा सके। एक

तरफ तो जंगल विभाग किसी की जमीन छीन रहा है और दूसरी तरफ अपने आदमियों के साथ नाजायज तौर पर रियायत भी कर रहा है। ऐसे किसान जिनका जंगल की जमीन पर पुश्तैनी पट्टा और कब्जा है और वे तीस चालिस वर्ष से उन पर काबिज थे, जंगल विभाग उनसे जमीन छीन रहा है और २ रु० ६० नये पैसे मुनाफा जो जंगल की फी एकड़ जमीन से सरकार को सालाना होता है उसके लिये सरकार किसानों से छीन रही है जबकि काश्तकार उसी जमीन में ५०० रु० सालाना फी एकड़ पैदा करता है। तो यह कोई मामूली जुर्म की बात नहीं है।

पहले अगर कोई बैलगाड़ी वगैरह जंगल से निकलती थी सड़क के ऊपर तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था लेकिन अब तो मोटर, ट्रैक्टर लेकर कोई भी आदमी सड़क पर निकलता हैतो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज जंगल में गायें नहीं चर सकतीं, अगर गायें धोखे से पहुंच गईं चरती हुई तो उनको पोंड में बन्द करवा दिया जाता है और पोंड वालों को हिदायत कर दी जाती है कि जब तक हम आदेश न दें तब तक गायों को मत छोड़ो। इधर पोंड वाले जितना महसूल वसूल करते हैं उससे दुगुना महसूल जंगल वाले वसूल करते हैं, इस तरह से अगर १० रुपये की गाय हुई तो उसपर १५ रु० महसूल देना पड़ता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे जिले खीरी में लंगार की लंगार गायें खत्म हो गई हैं और इस तरह से यह सरकार गऊ माता की जय का नारा बुलन्द कर रही है। यह तो वन विभाग की तारीफ है।

मैं तो कहता हूं कि नहरों के किनारे के जंगल कटवा दें तो जिला खीरी को बहुत सी उपजाऊ जमीन मिल सकती है और ऊसर तथा बन्जर जमीन पर जंगल लगवायें। यह कहा गया कि बबूल का पेड़ इसलिये नहीं कटवाया जा रहा है कि उससे कत्था निकलेगा। ठीक है आप बबूल से कत्था पैदा करें, लीसा पैदा करें और किसान के खून से आप क्या पैदा करेंगे? किसान के खून से तो आप बिजली बत्ती पैदा करेंगे; उससे आपकी सरकार का सत्यानाश होगा।

जरा आप सोचें, आप तो बड़े पूज्य हैं, आप अपने को महात्मा गांधी का सेवक कहते हैं, आप उनके न्याय और मार्ग पर चलने वाले सैनिक हैं। आज आप की सरकार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़कर आजादी प्राप्त की है लेकिन आज की यह सरकार तो सरकार के नाम पर कलंक है और आप पर जो कलंक लगा है उसको धोने के लिये आप और कलंक जमा कर रहे हैं। सरकार बनती किसलिये हैं? सरकार बनती है ताकि ठीक से पैदावार बढ़े, न्याय सबको मिले, सुरक्षा हो, शिक्षा का प्रबन्ध ठीक हो, लेकिन पैदावार दिनोंदिन खत्म हो रही है, न्याय तो है ही नहीं और अगर न्याय मिलता है तो उसके लिये पहले लाखों रुपया खर्च करने को चाहिये और गरीब को मिल ही नहीं पाता। सुरक्षा है ही नहीं, कोई दारुलशफा तक सुरक्षित नहीं जा सकता। शिक्षा ऐसी है कि वह सिवा नौकरों के और कुछ पैदा करती ही नहीं। जब कुछ ठीक ही नहीं है तो इस सरकार को अपना मुंह काला करके कहीं चला जाना चाहिये। जहां गांधी जी गये हैं जिस सरकार में शर्म, दया, मोह तीनों में से कुछ भी न हो वह सरकार बने रहने के काबिल नहीं है।

यह जो बजट आपने दिया है इसकी ओर तो हमने देखा भी नहीं, इसको नावेल की तरह हाथ में उठाकर जरूर ले गये थे। ऐसे बजट को कोई भी भला आदमी क्या पढ़ेगा। मैं ने देखा, हमारे जिला का तो इसमें कहीं नाम भी नहीं है। हमारे जिले का क्या हाल हो रहा है, वर्णन नहीं हो सकता। हमारे यहां तम्बाकू पैदा होती थी, उसकी सारी खेती चौपट हो गई। जितनी तम्बाकू नहीं होती उससे दुगना टैक्स? क्या किया जाय! इसी तरह से जूट होता था, सब टैक्स लगाकर चौपट कर दिया। तीन लाख मन जूट हमारे यहां पैदा होता था और दस करोड़ मन गन्ना होता है जिसको कामदारों पर छोड़ दिया गया है जो जाकर उसका सट्टा करते हैं। किसानों के जूट के दाम निश्चित नहीं किये गये, उनका जूट कभी ८ रुपया, कभी १८ रुपया और कभी ३ रु० मन बिकता है। इस तरह से जूट भी चौपट कर दिया

[श्री बंशीधर शुक्ल]

हैं। कामदारों को बीज बाटने के लिये दिया जाता है जब बच जाता है उसके दाम कामदारों की तनख्वाह में काट लिये जाते हैं यह क्या है?

गन्ने की समस्या भी हमारे जिले की अहम समस्या हो गई है। हमारे यहाँ दस करोड़ मन गन्ना पैदा होता है। बार-बार कहा जाता है कि वहां कारखाना लगाया जाय। बड़े अफसोस की बात है कि जब केन्द्र से हमारे यहां के लिये फैक्टरी लगाने का परमिट बन कर आया तो यही गुप्ता जी ने उसको नेवटिया के कहने से कैंसिल कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्री गुप्ता जी ने जीवन में ४ काम ही किये हैं, मुख्य मन्त्री तो अब बने हैं—पैसा मांगना, कुनबापरस्ती, पार्टीबन्दी और पूंजीपतियों की गुलामी, इन्हीं के कारण वह मुख्य मन्त्री हो गये। उनके राज्य में चार चीजें नष्ट हो गईं।

"सत्य, दया, नय, वीरता चारों हुईं विलुप्त,
चार फुटी हैं गवरनर, चार फुटी हैं गुप्त।"

हालत यह है कि सेन्टर से ८ कारखाने गन्ने के लगाने की मन्जूरी हुई, लेकिन लखीमपुर में एक भी नहीं लगने दिया गया। गन्ना वहां पड़ा सड़ता और सूखता है और किसानों का नुकसान होता है मगर कोई सुनता नहीं। जो कामदार हैं उनकी हालत यह है कि वह जो गन्ने का सट्टा लिखते हैं वही सर्वमान्य हैं। दूसरे किसानों की बात तो जाने दीजिये, मेरे पास केवल ८ एकड़ जमीन में ३४८ मन गन्ना लिखा गया है और १४ पर्चियों में वह बेची जा सकता है। बोलो क्या करें? ४ हजार मन गन्ना का सट्ट केवल ३४८ मन, यह आप का न्याय है। हमने तो तंग आकर गन्ना बेचना बन्द कर दिया। कह दिया कि खूब चूहे बन्दर उसको खावें और जिसको लेना हो, जितना चाहे ले जावे और अब चैत के बाद यहां से जाकर जो बच जायगा उसको फुकवा देंगे। यह तो हमारी हालत है। दूसरों की तरफ, गरीब किसान की तरफ क्यों सरकार की दृष्टि जायगी? गन्ना सूखता है, कोई सुनवाई नहीं होती। हम से यह नहीं हो सकता कि हम कामदारों की खुशामदें करें पर्ची के लिये या उनको रिश्वत दें।

ग्राम सेक्रेटरी को पूरे दुनिया भर के अधिकार दे दिये गये हैं। उन्होंने इस चुनाव में दो-दो हजार से कम रिश्वत नहीं ली है। कोई दरख्वास्त शिकायती दी जाती है तो वह दरख्वास्त उसी के पास भेज दी जाती है जिसकी शिकायत होती है। वह चाहे जो कुछ करे, जो चाहे न करे। मैंने वन मन्त्री जी के पास वन के सम्बन्ध में शिकायत भेजी। उन्होंने कहा कि मैं विभाग को भेजे देता हूं। दुनियां की जमीनों के कानून बन गये, लेकिन आज भी मिलकियत सरकार की जमीनों का वही कानून है कि जब चाहें काश्त को नीलाम कर देंगे और जितना चाहें लगान बढ़ा देंगे और हर पांच साल बाद दूसरे को दे देंगे। मन्त्री जी से पूछा जाय कि किसी की स्त्री को अगर पांच साल बाद दूसरे को दे दिया जाय तो वह क्या करेंगे? जबकि "तिरिया भूमि खड़ग की चेरी" होती है। यह दशा आज हो रही है सरकार आलिया की! बला से काम चले या न चले। हमारे भाई साहब कहते हैं कि कविता में बात कीजिये, तो हमें यही कहना है कि देश में पूरी जिम्मेदारी आपकी है और यह सब जो हुआ है, हो रहा है इसके दोषी आप हैं—

लंका गोआ कश्मीर असम ब्रह्मा को तुमने छिनवाया,
नैपाल भोट तिब्बत मिलना चहते पर तुमने ठुकराया।

यह नहीं बिचारा तीतुर तो हरदम पिंजड़े में रहते हैं,
बुलबुल चकोर मैना बटेर ये सदा गुलामी चहते हैं।

बोलो भारत के कर्णधार अब क्या करवाना चहते हो,
चीनी कम्युनिस्टों के द्वारा क्या देश भूंजना चहते हो?

पल्टन लड़ने को अग्रशील पर तुम ले बैठे पंचशील,
चीनी कायर से छिना दिया धरती चालीस हजार मील।

सूई के अग्र बराबर भी धरती न दान में दी जिसने,
अट्ठारह अक्षौहणि सेना कटवा दी अट्ठारह दिन में।
तुम उस स्वदेश के शासक बन भारत की नाक कटाते हो,
यह क्या कायर सी आदत है लड़ने से तुम दबकाते हो।
जाओ उतरो कुर्सी छोड़ो अपने-अपने घर करो नृत्य,
क्यों भारत देश उजाड़ रहे कर कर अनीत कर कर कुकृत्य।
संग्राम बहादुर करते हैं हुंकार बहादुर करते हैं,
गुंजार बहादुर करते हैं, संहार बहादुर करते हैं।
मजदूर तड़प कर कहता है, कृषकार फड़क कर कहता है,
बालक बच्चा बूढ़ा जवान यह तड़प झड़क कर कहता है।
कांग्रेस वालो ! गद्दी छोड़ो, कांग्रेस वालो कुर्सी छोड़ो।
कांग्रेस वालो शासन छोड़ो, कांग्रेस वालो आसन छोड़ो।

लेकिन यह छोड़ने वाले नहीं हैं। जो यह सरकार बनी इतने वर्षों बाद, इससे बड़ी-बड़ी आशाएं थीं। उनको अपने ही साथ लेकर सरकार सती हो जाना चाहती है। यह निश्चय है कि श्री जवाहरलाल नेहरू के बाद फौजी शासन यहां होने वाला है।

और कौन-कौन सी बात कहूं? कौन-कौन से गुण बताऊं? एक-एक गुण आपका ऐसा है कि एक-एक रामायण बनाई जा सकती है।

आज नौकरों की जारशाही सी मची हुई है,
नौकर नौकरों को दण्ड न दिलाता है।
नौकर खतावार फिर भी अदंड ही है,
हड्डी कृषक की क्रूर नौकर चबाता है।
नौकर रईस है धनी गुनी है शासक है,
सर्वकलापूर्ण बाबू कहाता है।
बीबी का गुलाम बाबू बाबू का गुलाम मंत्री,
मंत्री का गुलाम देश मारा मरा जाता है।

तो यह दशा हमारे देश की हो रही है। श्रीमान जी, मैं बहुत प्रार्थना और दुःख के साथ और हक के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान् जी, अब यह आदत छोड़ दीजिये, नौकरों की परवरिश छोड़ दीजिये। नौकर आप के अच्छे नहीं हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इनके गुलाम मत बनो।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस बजट के सामान्य विवाद के मौके पर बोलने का अवसर दिया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सराहना इस सदन में की है उन सबसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही आदरणीय वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दावत दी है कि इस बहस मुबाहिसे में कुछ रचनात्मक सुझाव दिये जायं।

श्रीमन्, प्रथम सुझाव नम्रतापूर्वक मैं यह देना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जिला स्तरीय विभागीय अध्यक्ष जितने सरकारी हैं उनके कामों का एफीशियेंसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

आडिट गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा कराया जाय और उसमें विधान सभा के सदस्यों का सहयोग लिया जाय। श्रीमन्, मैं तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि आज गैर-मामूली तामीरी दौर में जिस मेहनत से इन सरकारी कर्मचारियों को काम करना चाहिए और कर सकते हैं उससे वह काम नहीं कर रहे हैं। श्रीमन्, सरकार भागीरथ प्रयत्न कर रही है कि प्रदेश के सामने जो सवालात हैं उनका हल निकले और प्रदेश की जनता की जो जरूरियातें हैं वह पूरी हों। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इन जरूरियातों को पूरी करने में और इन सवालात का हल निकालने में सरकार कोई ऐसा कदम न उठावे जिससे भविष्य में इस प्रदेश की जनता को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़े। सुझाव के लिये मैं तीन-चार मिसालें देना चाहता हूं। उपाय इस बजट के अन्दर अधिक उत्पादन के बहुत से अपनाये गये हैं और उन्हीं उपायों में से एक उपाय यह है कि ६१० टन फर्टीलाइजर्स का वितरण इस बजट साल में किया जायगा। मेरी निश्चित राय है कि फर्टीलाइजर के इस्तेमाल से हम अधिक अन्न उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जमीन की फर्टीलिटी उससे कम हो जाती है। अतः जमीन की कास्ट पर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं सर अलबर्ट हावर्ड का उद्धरण देना चाहता हूं:—

"The using up of soil fertility is a transfer of past capital and of future possibilities to enrich a dishonest present ; it is banditry pure and simple. Moreover, it is a mean form of banditry because it involves the robbing of future generations which are just here to defend themselves."

पिछले १० साल में हमने बहुत से प्रयत्न किये हैं, तमाम विभागों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। परन्तु बढ़ती हुई आबादी ने वह प्रगति खत्म कर दी। बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमारा कैपीटल फारमेशन रुक गया, जिसकी वजह से टैक्सेशन की क्षमता घट गई और जिसके फलस्वरूप भविष्य की बड़ी-बड़ी प्लान बनाने की सम्भावना जाती रही।

आज सारे देश में आबादी बढ़ रही है और इस तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो अहमियत इस सवाल को देनी चाहिये वह नहीं दी जा रही है। मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक रिसर्च सेन्टर कायम करे और एक पापूलेशन कमीशन भी शीघ्र नियुक्त होना चाहिये और उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में स्पष्ट हो कि क्या हमारे यहां की आबादी है और किस हिसाब से बढ़ रही है तथा देहात से लोग कितने हमारे शहरों की तरफ आ रहे हैं और किस तरह से इस बर्थरेट को घटाया जाय। यह तमाम सवाल उस पापूलेशन कमीशन के सामने जाने चाहिये और मेरी राय में सरकार अपनी पापूलेशन पालिसी, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, निर्धारित करे और सदन में बताये ताकि उस पर बहस हो ताकि एक स्वस्थ पापूलेशन पालिसी इस प्रदेश में कायम हो सके।

आज हम फिजिकल बजटिंग करते हैं जो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही मेरी राय में मैन पावर का बजटिंग भी इस प्रदेश में होना चाहिये, अन्यथा हमारा भविष्य अन्धकारमय हो जायगा।

तीसरी योजना शुरू करने के लिये रुपया चाहिये। उसके लिये हमने खट से २,००,००,००० रु० की वसूलयाबी काश्तकारों की आबपाशी का रिबेट समाप्त करके जमा करने की योजना बनायी है। हो सकता है कि इससे आपको रुपया मिल जाय। लेकिन परिणाम क्या होगा? यह तथ्य है कि प्रदेश में २/३ ऐरेबिल भूमि, जिस पर खेती होती है, आज किसान के पास अलाभकर है। उनकी कृषि में पैदावार कम होने की जो और वजूहात हैं

उनमें से एक यह भी है कि उनकी कृषि अन्डर फाइनेंस्ड है, जितने धन की उनको जरूरत है वह नहीं जुटा पाते हैं। इसलिये मेरी राय है कि अगर आप ऐसे अलाभकर जोतों वाले किसानों से आबपाशी की दर बढ़ा कर रुपया लेंगे तो उनकी जोतें और अलाभकर हो जायंगी और खेती की पैदावार भी आगे जा करके गिर जायगी।

इसी प्रकार से इस प्रदेश की इनडेटेडनेस की तरफ देखें तो सन् १९५४ में जो ९८ करोड़ थी वह आज १९६० में २९१ करोड़ हो गई। मैं नहीं कहता कि सारा खर्चा जो किया गया है वह अनप्रोडक्टिव हुआ है। मैं यह भी नहीं कहता कि इनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जब प्रदेश की इनडेटेडनेस इस भारी मात्रा में बढ़ रही है तो सरकार कोई ब्लू प्रिंट करके इस सदन के सामने पेश करे जिसमें विवरण हो कि सरकार ने जो जो कर्जे लिये हैं उनकी अदायगी के लिये क्या-क्या सिंकिंग फंड क्रीएट किये हैं और उनसे हमारे प्रदेश में कितना लाभ हुआ है। वह कितने प्रोडक्टिव हुए हैं और कितने अनप्रोडक्टिव हुए हैं।

श्रीमन्, आज हमारे सामने तीसरा अहम सवाल यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश किया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जो रकम निर्धारित हुई है उसका उल्लेख इस बजट के अन्दर है। लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो भी रूप है उसे भी सरकार सदन के समक्ष पेश करे और उसके अन्दर वही प्रायरिटीज रखी जायं जो सेंटर में तीसरी पंचवर्षीय योजना के मातहत रखी गयी हैं।

मेरा खयाल है कि कृषि को प्रधानता मिलना चाहिये। इसके मानी यह हैं कि खेती करने वाली और खेती की पैदावार से सम्बन्धित जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मालिकों के बीच में एक फेयर डील होना चाहिये। गन्ना पैदा करने वाले तथा गन्ने के मिल मालिकों के सम्बन्ध आज कितने बिगड़ गये हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गन्ने के मिल मालिक आज स्वतंत्र हैं। वे अपनी मिलों को चाहे किसी वक्त चालू करें। उन पर यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे फलां तारीख से अपनी मिल अवश्य चलायेंगे। इसी प्रकार से गन्ने की तौल के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि हर सेंटर से इविटेंबिल विदाल वे करें। गन्ने के मिल मालिकों पर इस बात का प्रतिबन्ध होना चाहिये कि जो उनको लाभ हो इस इंडस्ट्री से उसका एक फेयर शेयर किसी फार्मूला के हिसाब से काश्तकारों को अवश्य दिलाया जाना चाहिये।

एक चीज यह भी देखने की है कि आज किसानों को कोई भी चीज लोहे से लेकर लकड़ी और ईंट तक कंट्रोल रेट पर नहीं दी जाती है। कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिया और खुरपी इन सब के लिये जिले के अन्दर लोहे का कोटा जिले के फेब्रीकेटर को दिया जाता है लेकिन किसान को कंट्रोल रेट पर कोई भी चीज नहीं मिलती है। इसी तरह से पर्शियन ह्वील्स के लिये जिलों के अन्दर टीन दी जाती है, लेकिन किसान को कोई लाभ उससे नहीं होता।

आज आवश्यकता इस बात की है कि तकावी रूल्स सब बदल देने चाहिये। ज्यादातर रुपये की जरूरत छोटे काश्तकार को है जिसके पास सिक्योरिटी और एश्योरिटी देने के साधन नहीं हैं। तकावी की रकम जिस काम के लिये दी जाती है किसान को, उसी की जमानत ले लेनी चाहिये। किसान को अगर कुआं बनाने के लिये तकावी दी जाती है तो वह कुआं ही श्योरिटी और सिक्योरिटी हो जाना चाहिये।

किसानों को खेती की उन्नति के लिये जो धन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट है और जो अन्य उद्योगों पर इंटरेस्ट है उन दोनों में भारी अन्तर है। फाइनेन्शियल कारपोरेशन किसी भी इंडस्ट्री को लोन ३ परसेंट पर देता है, लेकिन लैंड मार्गेज बैंक किसानों

[श्री शिवराजसिंह यादव]

को जो लोन देता है तो उस पर ८ प्रतिशत का ब्याज लेता है। बीज गोदामों से जो बीज किसानों को दिया जाता है उस पर २५ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि हम अधिक उपार्जन चाहते हैं तो हम किसान के साथ फेयर डीलिंग करें और उनको वे सुविधायें दें जो अन्य इंडस्ट्रीज को देते हैं।

इस बजट के अन्दर आदरणीय वित्त मंत्री ने कृषि को आजीविका का साधन न बतला कर इंडस्ट्री करार दिया हैं। वह इस इंडस्ट्री को इकोनामिक और लाभकर इंडस्ट्री करार दें और जो अलाभकर चीजें है उनको खत्म कर दें। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि कृषि की जितनी पैदावार है उसके मूल्य का नियंत्रण सरकार को पहले से कर देना चाहिये ताकि सरकार खुले तौर से उसके अन्दर इन्वेस्टमेंट कर सके, अन्यथा किसान डरते डरते पैसा लगाता है और नतीजा यह होता है कि अगर बम्पर क्राप होती है तो फलस्वरूप अनाजों की कीमतें गिर जाती हैं। उससे देश तथा प्रदेश का तो लाभ होता है, लेकिन किसान को कोई लाभ नहीं होता।

इसी प्रकार खांडसारी के उद्योगपति और किसान के बीच में जो सम्बन्ध हैं उनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। राब पर किसी प्रकार का सेल्स टैक्स नहीं है, किन्तु राब के व्यापारी राब खरीदते वक्त सेल्स टैक्स वसूल कर लेते हैं मंडियों में राब के बेंचने वालों से और उन वजनों का इस्तेमाल करते हैं जो अवैध हैं। इस तरह से बहुत सी अवैधानिक चीजें होती हैं। सरकार किसानों को इन व्यापारियों से बचाने के लिये जल्दी ही कोई ऐसा कदम उठाये जिससे किसानों को अपनी पैदावार बेंचने पर अच्छा रिटर्न मिल सके।

श्रीमन्, हमने डेमोक्रेटिक प्लानिंग के तहत में सोशलिस्ट पैटर्न कायम करने का अपना लक्ष्य करार दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि कुछ काम सरकार को जरूर करना चाहिये। उनमें से पहला काम यह है कि जितनी अंडरटेकिंग्स सरकार की पब्लिक सेक्टर में हैं वे सब की सब लाभकर होनी चाहिये, उनमें नुकसान नहीं होना चाहिये अन्यथा जनता का विश्वास और आस्था नेशनलाइजेशन और सोशलाइज़ेशन, दोनों में से उठ जायगा। मुझे खेद है कि आज कल जितनी अंडरटेकिंग्स सरकार की हैं उनमें से बहुतों में नुकसान हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार उन अंडरटेकिंग्स को समाप्त कर दे जो आज नुकसान दे रही हैं। इसी तरह से जो अंडरकेटिंग्स क्वासी-गवर्नमेंटल हैं या पूरी तरह से सहकारी हैं, जैसे सहकारी भट्ठे, बीज गोदाम, इत्यादि, इन सबके अन्दर मुनाफा होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा उनके अन्दर से जनता की आस्था उठ जायगी और इस प्रकार से सोशलिस्टिक ढांचा खत्म हो जायगा।

इसी तरह से आज स्टेट के अन्दर जितने कोआपरेटिव मैनेजमेंट्स हैं, चाहे वह गांव समाज की सम्पत्ति का हो या विलेज रोड्स का हो, उनका भी इन्तजाम ठीक-ठीक होना चाहिये, अन्यथा जनता की आस्था समाजवाद से उठ जायगी।

सरकार से मुझे यह भी अनुरोध करना है, श्रीमन्, कि फार्मों पर जो मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है उसको हटा दिया जाय। उसकी वजह यह है कि बढ़ती हुई आबादी को इम्पलाइमेंट की जरूरत है और सरकार मशीनों का इस्तेमाल करके अनएम्पलायड को एम्पलायमेंट नहीं दे पा रही है। इसलिये मशीनरीं का इस्तेमाल खत्म होना चाहिये।

अन्त में मैं कुछ और सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। सरकार यदि अधिक धन चाहती है तो उसको लग्जरी गुड्स और अल्कोहल आदि पर जो टैक्स लगा है उसको तिगुना कर देना चाहिये। उससे १ करोड़ के बजाय ३ करोड़ की आय सरकार को होगी।

इसी तरह से सरकार की रोडवेज अंडरटेकिंग एक लाभकारी स्कीम है। उसके माइलेज में सरकार को बढ़ोत्तरी करनी चाहिये और अधिक से अधिक धन रोजवेड सर्विस के बढ़ाने में लगाना चाहिये।

इसी प्रकार इन्टरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इससे उन्हीं लोगों के ऊपर असर पड़ेगा जो इसके आदी हैं और वह धन गरीब जनता के काम में आयेगा।

एक निवेदन मुझे और करना है, और वह यह कि हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत सही होनी चाहिये। आडिट रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स इस प्रकार से प्लान किये जाते हैं कि शुरू में उनके लिये कम धनराशि रखी जाती है और जब वह प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वह रकम बढ़ती जाती है। शुरू में उन प्रोजेक्टस से जो लाभ बताये जाते हैं वह बहुत ज्यादा बताये जाते हैं और अन्त में वे लाभ बहुत कम हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सांप और छछूंदर की गति हो जाती है, न उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ते ही बनता है और न उनके एग्जीक्यूट करने में कोई विशेष लाभ ही होता है। मुझे एस्टीमेट्स कमेटी में होने के नाते बहुत से प्रोजेक्ट्स की जानकारी है और इस आडिट रिपोर्ट में भी एक प्रोजेक्ट का जिक्र है जिसमें धनराशि बहुत बढ़ गयी और उससे जो लाभ हुआ वह बहुत घट गया।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर कृषि की पैदावार बढ़ानी है तो फर्टिलाइजर, बोन मील मेन्योर, कम्पोस्ट मेन्योर, ग्रीन मेन्योर, आयल केक्स, इन सबके वितरण का प्रबन्ध सरकार करे अन्यथा हम आज भले ही अन्न की पैदावार बढ़ा लें लेकिन भविष्य में हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बिल्कुल कम हो जायगी जिसके कारण पैदावार भी बहुत घट जायगी।

इसी प्रकार आज भले ही हम इर्रीगेशन का रिबेट खत्म कर के जनता से पैसा वसूल कर सकते हैं लेकिन अन्त में हमको इसकी कीमत अन्न की पैदावार की कमी की शक्ल में देनी पड़ेगी। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस रिबेट को फिर से दे और फर्टिलाइजर के साथ-साथ आर्गेनिक मेन्योर के वितरण को भी बढ़ावा दे।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी १९६१–६२ का भारी भरकम बजट प्रदेश के किसानों की छाती पर दाल दलता हुआ, इठलाती हुई चाल से आ ही गया। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट है। मैं सोचा करता था कि इससे किसानों को त्राण और चैन मिलेगी और उनके जीवन में नई रोशनी का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन मुझे बजट को देख कर काफी निराशा हुई। मान्यवर हमारे देश में ८०/८५ प्रतिशत से भी अधिक किसान बसते हैं और इसमें दो रायें नहीं हैं कि पूज्य बापू जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई हुई जिसमें किसानों का काफी हाथ रहा। लेकिन आज उनके साथ धोखा किया गया है। उनसे जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ।

मान्यवर, उदाहरण के स्वरूप पेश करना चाहूंगा कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद जमींदारी प्रथा तोड़ी जायगी और लगान आधा किया जायगा। जमींदारी प्रथा तो अवश्य तोड़ी गई लेकिन लगान आधा नहीं किया गया, बल्कि और बढ़ा दिया गया। मसलन् जहां रोस्टर रेट से लगान ज्यादा था वहां तो कम नहीं किया बल्कि जहां कम था वहां बढ़ा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन किसानों ने देश के लिये कुरबानी की थी और उनके साथ जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया बल्कि वादा खिलाफी की गई।

इस वर्ष के बजट में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है और सरकार की तरफ से इसका बड़ा प्रोपेगेण्डा किया गया। लेकिन मेरी समझ में ऐसा आता है कि जैसे सदियों से भूखे आदमी के सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो तो उसके पेट की ज्वाला और बढ़ेगी, वही हालत प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की हुई है। किसी कवि ने कहा है कि—

पाय करे पहाड़ का, करे सुई को दान।
ऊंचे चढ़िके देखे, केतिक दूर विमान।।"

[श्री यमुनासिंह]

आज यह कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह ४ रुपये माहवार बढ़ा दी गई है। तनख्वाह जरूर सरकार ने बढ़ाई है, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि प्राइमारी स्कूलों की इमारतों की क्या हालत है। मान्यवर, देहातों में प्राइमारी स्कूलों की इमारतें ५० प्रतिशत गिरी हुई हैं लड़के और मास्टर पेड़ के नीचे बैठ कर काम करते हैं। लड़कों के बैठने के लिये न टाट का इन्तजाम है और न मास्टर के लिये कुर्सी और मेज का इन्तजाम है। यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चों के लिये बालटी और डोर का इन्तजाम नहीं हो पाया है और वे गांवों में पानी पीने के लिये चुल्लू रोपा करते हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है।

मान्यवर, जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मंत्री थे और अमरीका गये थे तो उनके ठहरने का प्रबन्ध प्राइमरी पाठशाला में किया गया था। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां की प्राइमरी स्कूलों की इमारतें कितनी भव्य और सुन्दर होंगी। जब वह वहां से लौटे तो उन्होंने बड़ी शुभकामना प्रकट की। उनका कहना था कि अगर भगवान छप्पर फाड़कर रुपया दे तो मैं यू० पी० के प्राइमरी स्कूलों की भी हालत अमेरिका जैसी कर दूं। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपया दिया और प्रान्त का खजाना कई करोड़ का हो गया। लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूलों की हालत वही रह गई और आज हमारे छोटे-छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर विद्याध्ययन कर रहे हैं।

महोदय, आज हमारे प्रान्त में चकबन्दी हो रही है। जब चकबन्दी कानून असेम्बली में पेश हुआ तो उसको देखने से पता चलता था कि इससे देश स्वर्ग बनने जा रहा है, लेकिन इसकी वर्किंग में इतनी खराबियां हुईं कि चकबन्दी कानून देश के लिये नरक हो गया। गोइंड़ खेत के बदले ऊसर और नौतोड़ जमीन मिल गयी। जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर १२ आने खरीफ की फसल और चार आने रबी की फसल होती है। गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है कि ७५ फीसदी एक चक में दिया जाय। कहने का मतलब यह है कि मेरे यहां जिसके पास २५ बीघा जमीन है, उसमें २० बीघा खरीफ की जमीन है और एक-दो बीघा रबी की जमीन है। चकबन्दी कार्यकर्त्ता यह करेंगे कि जब चक देंगे तो रबी की जमीन खरीफ में चली जायगी। यह बात जरूर है कि उसको खरीफ की जमीन ज्यादा मिल जायगी, लेकिन उसको गेहूं जौ तो नहीं मिलेगा। जिसकी रबी की खेती खरीफ की खेती हो जायगी, उसके घर गेहूं नहीं आयेगा और हमारे यहां के त्यौहार गेहूं और जौ के बिना तड़प-तड़प कर मर जायंगे। गाजीपुर के पचोतर परगना में अगर एक चक में सारी खरीफ की जमीन दी गयी तो सारे किसान के त्यौहार गेहूं और जौ कि बिना तड़प-तड़प कर मर जायेंगे।

अभी हाल ही में गांवों में पंचायत का चुनाव हुआ है। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह पंचायत राज बिलकुल असफल है। पंचायत राज से घर-घर का आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। इससे पहले जो गांव में चौधरी हुआ करते थे उनका चुनाव नहीं हुआ करता था। लेकिन वे अपनी ईमानदारी और मेहनत से सर्वमान्य होते थे। लेकिन आज हुआ क्या? गांव पंचायतें कायम करके हर पाचवें वर्ष चुनाव कराया गया। इसकी वजह से ऐसा होता है कि पार्टीबन्दी के कारण जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, चाहे वह इस योग्य हो या नहीं, चाहे वह न्याय से कितना ही दूर क्यों न हो, वह सफल हो जाया करता है जिससे गांव के मुकदमों में न्याय नहीं होता। हमारे यहां बिरानो छाया ब्लाक है। वहां के पंचायत इंसपेक्टर के यहां एक आदमी सभापति का परचा खरीदने गया। उन्होंने उससे कहा कि पूरे गैंग के साथ आओ, यानी पूरे गांव सभा के सदस्यों के साथ आओ तभी सभापति का परचा देंगे वरना नहीं देंगे। मान्यवर, पंचायत के चुनाव से गांव के किसान आपस में टकरा गये और चकनाचूर हो गये।

आज नौकरशाही का यह हाल है, उनका दिमाग इतना ऊंचा हो गया है कि वह दश के दुश्मन बनते जाते हैं। मैंने इन्सपेक्टर साहब से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? साहब, आपके

यहां अगर कोई परचा खरीदने आये तो उसको परचा दे दीजिये। वह कहने लगे कि नहीं, ऐसा रूल है कि जब तक ग्राम सभा का सभापति अपने गैंग के साथ नहीं आयेगा तब तक हम परचा नहीं देंगे। मैंने यहां प्रश्न किया तो गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर दिया गया कि ऐसा कोई आदेश नहीं था। ऐसे नौकरशाही के लोग जो कि देश को बरबाद करने पर तुले हुए हैं, उनके ऊपर जो कुछ भी कार्यवाही की जाय उसका फल देश के हित में कल्याणकारी होगा।

मैं थोड़ी सी पुलिस की हालत आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जबकि पुलिस मुहकमा चौधरी चरणसिंह जी के जिम्मे आया तो लोगों के दिलों में—हमारे दिलों में तो नहीं—लेकिन देहात के लोगों के दिलों में कुछ गुदगुदी आने लगी कि चौधरी साहब एक बड़े सख्त आदमी हैं, उनके जिम्मे पुलिस विभाग आया तो इसके माने यह हैं कि पुलिस में सुधार आयेगा। लेकिन मैं तो यह कहने को तैयार हूं कि चौधरी चरणसिंह तो क्या, पुलिस का मंत्री अगर महादेव जी को भी बना दीजिये तो भी उसमें सुधार होने की कोई आशा दिखाई नहीं देती, जैसा कि इन लोगों की रवैय्या है उसको देखते हुए यही कहना पड़ता है। मुझे तो ऐसा देखने में आता है कि कोई भी ऐसा दीवान या पुलिस इन्सपेक्टर नहीं है जो दस-बीस रुपये से कम में कोई रिपोर्ट लिखता हो। मान्यवर, मेरा घर बिरनों थाने के बिलकुल करीब है। मैं रोज देखा करता हूं। आजकल एक अमरबहादुर सिंह जी वहां पुलिस इन्सपेक्टर हैं। उनकी वहां रिश्तेदारी भी पड़ती है। जब मैं उधर से गुजरा करता हूं तो देखता हूं कि गरीबों के हाथ में दूध दही का भांडा चला आ रहा है। मैंने पूछा कि भाई कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि थाने से आ रहे हैं। कितने दुख की बात है कि किसान अपना खून-पसीना एक करके मेहनत करता है, खुद भरपेट खाना नहीं खा पाता, उसके बच्चों को मट्ठा भी नहीं मिलता है और दरोगा जी के घर रोजाना दूध और दही का भांडा चला आता है। फिर इस देश का कल्याण कैसे होगा, यह भगवान जाने या बापू की आत्मा जाने, पता नहीं वह आत्मा क्या कहती होगी भारतवर्ष के लोगों को देखकर।

मान्यवर, विकास के नाम का बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा जाता है कि देश में विकास चल रहा है और उस विकास के जरिये बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम होता कि विकास से क्या तरक्की हुई है। विकास के गांवों में जब मैं जाता हूं तो जैसा विकास का गांव वैसा ही बे विकास का गांव। लेकिन इसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। यह भी सही है कि विकास के नाम पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया गया। गांवों में एक उनका काम यह हुआ है कि खड़ंजे लग गये। लेकिन जहां १०० रुपये का खर्चा हुआ वहां ५०० रुपये का बिल लुटाया गया। और फिर, गांवों में खड़ंजे लगाने से हिन्दुस्तान की तरक्की कैसे होगी यह मैं समझ नहीं पाया। यह कोई अमेरिका तो है नहीं। हमारे यहां का किसान चारपाई से उतरकर कोई खड़ाऊं पर चलने वाला तो है नहीं। यह तो अमेरिका के लिये ठीक हो सकता है जहां का किसान मोटर से खेती करता है। हमारे यहां का किसान अगर चारपाई से उतरकर खड़ंजे पर चलेगा तो कीचड़ में सनकर भैंस बैलों को सानी कैसे देगा? इसके बाद भी आप कहते हैं कि गांवों में आपने बड़ा विकास किया।

पशुओं की तरक्की के लिये आपने निश्चय किया कि अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें दी जायं। यह काम अच्छा है। लेकिन उसमें किया क्या कि वह गाय और भैंस उसको तो मिलेगी नहीं जो कि गाय और भैंस के बारे में जानता है, उनका रोजगार करता है, जो कि कीचड़ और गोबर में सनकर उनको चारा और सानी दे सकता है, उनके बच्चों को और उनको धो सकता है, उसको वह गायें और भैंसें नहीं मिलेंगी। कहा जाता है कि तुम्हारे पास खेत नहीं है, जिनके पास खेत होंगे उनको मिलेंगी। तो यह अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें उनको मिलती हैं जो खड़ाऊं पहनकर खड़ंजे पर चलते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वह भैंसें थैंस (कमजोर) हो जाती हैं और उनकी नस्ल खत्म हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब

[श्री यमुनासिंह]

यह था कि कानून में कुछ है और करते आप कुछ और हैं। इससे इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि गाजीपुर में एक बुजुर्गा रोड है जो गाजीपुर से बहरियाबाद को जाती है। बहरियाबाद ऐसा इलाका है कि अगर वहां के किसी आदमी की मुकदमें की तारीख पड़ जाय तो वहां से उसे गाजीपुर आने में पूरे दो दिन लग जाते हैं। कोई साधन किसी मोटर गाड़ी वगैरह का नहीं है। एक सड़क है, वह इतनी खराब है कि उस पर बसें चल नहीं सकतीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसको पक्की करने के लिये रखा गया था, ऐसा मालूम हुआ था। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि गवर्नमेंट के पास रुपये की कमी पड़ गई है और वह योजना से काट दी गई। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी जरूरी सड़क जो कि जिले की सबसे आवश्यक सड़क थी उसे काट दिया गया। गाजीपुर परिषद् में यह सड़क मंजूर की गई थी और पहले नम्बर पर इस बुजुर्गा रोड को रखा गया था। यह तय हुआ था कि गजीपुर को तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे पहले नम्बर पर रखकर गवर्नमेंट को भेजा जाय। अग्रवाल साहब के सामने यह चीज तय हुई थी। अब यह सुनने में आता है कि वह सड़क निकाल दी गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीबों के साथ इस तरह से हकतलफी करना कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा की बात नहीं हो सकती।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसलिये स्वागत करता हूं कि जो सुविधायें इस बजट के द्वारा कुछ अध्यापकों और अध्यपिकाओं को दी गई हैं और जो कुछ सुविधायें उन परिवारों को दी गई हैं, जिनके लोग सर्विस में रहते हुए एक मियाद के अन्दर मर जाते हैं और साथ ही जो किफायतशारी की ओर छोटा कदम उठाया गया है, अवश्य ही मैं उसके लिये इस बजट का स्वागत करता हूं।

लेकिन मान्यवर, आज हम नियोजन के युग से गुजर रहे हैं। एक प्लानिंग का नक्शा तैयार किया गया और वह इस आधार पर तैयार किया गया कि भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकारी व कर्मचारिगण किसानों को परेशान न करें और एक पालिसी एक सिद्धांत अपनाया गया किन्तु बड़े दुख की बात है कि आज यह देखा जाता है कि वह सिद्धान्त पूर्णरूपेण प्रचलित नहीं हो रहा है। वह मल्टीपरपज वाली बातें आज दिखाई नहीं देतीं बल्कि कितने ही अधिकारी और कर्मचारी एक-एक किसान पर लदे हुए हैं। एक कोआपरेटिव का सुपरवाइरजर है, एक वी० एल० डब्ल्यू० है, एक पंचायत सेक्रेटरी है और इस तरीके से कितने ही कर्मचारी और अधिकारी आज वहां पर लदे हुए हैं, फिर भी अगर यह देखा जाय कि यह जो धन व्यय हुआ है इन ब्लाकों की स्थापना द्वारा गांवों के सुधार के लिये तो उसका उतना नतीजा मिला है या नहीं और गांव हमारे आगे बढ़े हैं या नहीं तो शायद यह स्थिति सन्तोषजनक प्रतीत न होगी बल्कि मेरा जहां तक खयाल है, मैं यह समझता हूं कि यदि स्थिति पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया और स्थिति का अध्ययन नहीं किया गया तो अवश्य ही हमारे प्रदेश की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक होगी। आज मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारे देश में सभी राज्यों में पिछड़ा हुआ यह हमारा प्रदेश है। यह क्यों है और क्या कारण है इसका अध्ययन होना ही चाहिये।

साथ ही मैं यह भी देखता हूं कि जो बजट आज सदन में प्रस्तुत है और जिस पर यह विवाद चल रहा है उसमें कोई समुचित चित्र हमारे सामने नहीं दिखाई देता। हो सकता है उसका कारण यही हो कि जो धनराशि हमने मांगी थी योजना आयोग से उस धनराशि में एक बड़ी कटौती हो गई, जिसके फलस्वरूप, जो चित्र तीसरी पंचवर्षीय योजना का इस सदन ने स्वीकार किया था, उस चित्र की रूपरेखा ही बदल गई लेकिन इस बजट में तो कहीं उसका जिक्र नहीं किया गया कि वह कौन-कौन सी मदें हैं जिनमें उस धनराशि की कमी की गई। यदि वह भेद भी सामने आ जाय और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना की पृष्ठ भूमि में इस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के बजट को देखे तो अवश्य कोई न कोई चित्र सामने आ सकता है।

इसके साथ-साथ यहां यह भी कहा गया कि जो आज का डेफिसिट है वह कल का सरप्लस हो जाता है। इसका कारण यह है कि जो हमारे एस्टीमेट्स तैयार होते हैं वे बड़े ढीले ढंग के होते हैं। लेकिन यह स्वाभाविक भी है। अनुमान तो अनुमान ही होता है और अनुमान करते समय, या बनाते समय थोड़ी बहुत गुंजायश रख ही ली जाती है। इसके अलावा यदि आप आडिट रिपोर्ट देखें, जिसमें कि बहुत बड़ा नुकसान दिखलाया गया है, तो उसमें भी आप को मिलेगा कि कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि हम कुछ चीजों का, मसलन मशीनरी का आर्डर दूसरे मुल्कों को देते हैं जो हमको समय से प्राप्त नहीं हो पातीं। तो वर्ष के अन्त में यह धन-राशि हमको सरेंडर करनी पड़ती है जो बाद में सेविंग में जुड़ कर सरप्लस का रूप ले लेती है।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, मैं यह आशा करता था कि जब हमारे प्रदेश और केन्द्र की सरकार का ध्यान बार्डर डिस्ट्रिक्ट पर है तो अवश्य ही नैपाल के बार्डर पर जो जिले हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जायगा। यह सही है कि आज हमारी और नैपाल की मित्रता है, लेकिन इसके माने यह नहीं होते कि हमारे नैपाल के बार्डर पर जो गांव हैं, उनमें जो आबादी है उनको आवश्यकतानुसार सुविधा न प्राप्त हो अथवा उनकी तरक्की न हो।

मान्यवर, इस सुअवसर पर मैं आपका ध्यान अपने जिले बहराइच की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिला बहराइच नैपाल की सरहद पर स्थित है और आज हमारे और नैपाल के बार्डर में कोई अन्तर नहीं है। बीच में एक नो मेन्स लैंड गुजरती है और आज कल हमारे क्षेत्र में जो, असंतोष फैल रहा है उसका कारण यह है कि नैपाल वाले किसी भी तरह से रुपया लाकर अपने यहां बड़े जोरों से तरक्की कर रहे हैं। मसलन उनके यहां चावल की मिलें खुल रही हैं, कागज की मिलें खोली जा रही हैं और इसकी वजह से हमारे यहां के लोग यह कहते हैं कि जब उनके यहां यह सब हो रहा है तो हमारे यहां उस के मुकाबले में क्यों नहीं हो रहा है? चावल की सब से बड़ी पैदावार हमारे उसी क्षेत्र में होती है, तो फिर वहां उस क्षेत्र में चावल की मिलें क्यों नहीं खुलतीं? क्यों विद्युत का प्रसार वहां नहीं होता? मैं इस अवसर पर जो कहना चाहता हूं उसे वित्त मंत्री जी गौर से सुन लें।

आपकी प्लानिंग जिस ढंग से चल रही है उस से मैं सहमत नहीं हूं। एक व्हिमजिकल ढंग से आपका काम चल रहा है, जहां जो मन में आया, बना दिया। उन जगहों पर आपकी बिजली का प्रसार हो रहा है जहां से आपको दो पैसे का भी रिटर्न नहीं मिलता। सिर्फ कुछ लोगों को खुश रखने के लिये, कुछ लोगों को आराम देने के लिये, कुछ लोगों के बिम्स को पूरा करने के लिये, आपने बिजली लगा दी, लेकिन उस से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आप प्लानिंग करते समय रिटर्न मिलने की बात क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं, किसी जिले की प्लानिंग करते समय, आप यह देखते कि हम, इलेक्ट्रिफिकेशन वहां करें जहां से हमें उसका रिटर्न मिले और आगे जा कर वह लाभदायक सिद्ध हो सके? इस अवसर पर मैं आपका ध्यान भिनगा और नैपाल बार्डर के बीच उन एरियाज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां यदि बिजली पहुंच जाय तो चावल, कागज की मिलें खुल सकती हैं, वहां जंगल बहुत हैं, लकड़ी काटने के कारखाने स्थापित हो सकते हैं और आपका जो औद्योगिकरण का ध्येय है वह पूरा हो सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने कुछ अधिक रुपया भी व्यय करके वहां बिजली पहुंचा दी तो पांच, सात साल में जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट होगा वह सब वापस हो कर उससे आपको लाभ होने लगेगा। तो ऐसे स्थानों को आप को ध्यान में रखना ही चाहिये।

मान्यवर, अभी एक आदेश की सूचना मुझे मिली है कि प्लानिंग विभाग द्वारा ब्लाकों का वर्गीकरण होगा। मैं नहीं समझ पाया कि वह किस लिये किया जा रहा है। यह हो सकता है कि इस तरह से वर्गीकरण करके आप एक क्लास को कुछ अधिक धनराशि दें और दूसरे को कम। आप यह चाहते हैं कि ब्लाकों में एक प्रतियोगिता की भावना बढ़े और एक ब्लाक दूसरे की प्रगति को देखकर कुछ उन्नति करे, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि आप जो धनराशि अधिक देना चाहते हैं वह पहले उन ब्लाकों को दें जो अभी तक पीछे पड़े हुए हैं। जहां

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

पर कुछ प्रगति नहीं हो पाई है। जो ब्लाक्स पिछड़े हुए हैं, आपको उनके पिछड़े होने का कारण मालूम करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि क्या-क्या सुविधायें वहां पर और होनी चाहिये ताकि उनकी तरक्की हो सके।

हमारे यहां एक सिरसिया ब्लाक है। वहां के लिये एक तरह का प्रोटो टाइप (prototype) बजट बना कर भेज दिया जाता है। वहां पर आवागमन के साधन न होने के कारण वह ब्लाक अभी तक पिछड़ा हुआ है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं हैं। जहां-जहां पर आवागमन के साधन हैं, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां अच्छी हैं, वहां पर तो ब्लाक्स तरक्की कर गये हैं, किन्तु जहां यह चीजें नहीं हैं, वहां के ब्लाक कुछ तरक्की नहीं कर सकते हैं। आपको तो जहां पर यह चीजें उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर कुछ विशेष सुविधायें देनी चाहिये थीं। ऐसे ब्लाकों को, जो पिछड़े हुए हैं, आगे बढ़ने के लिये एक विशेष प्रकार का अनुदान देना चाहिये था। सिरसिया ब्लाक में आज तक आवागमन के साधन नहीं हैं। नैपाल के बार्डर पर यह इलाका पड़ता है। वहां पर पहुंचना तक मुश्किल है। ऐसी दशा में वहां पर तरक्की की आशा कैसे की जा सकती है? मैं आशा करता था कि ऐसे ब्लाकों के लिये इस साल के बजट में जरूर कुछ प्राविधान होगा, किन्तु इस बजट में कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं। बहुत दिनों से यहां भिनगा क्षेत्र में एक तहसील स्थापित करने की मांग रही है। जिस प्रकार आप अन्य बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स में तहसीलों की स्थापना कर रहे हैं, उसी प्रकार यहां पर भी एक तहसील का होना आवश्यक है। उसके बारे में समय-समय रिप्रेजेन्टेशन भी किया गया है। किन्तु खेद है कि इस बजट में भी उसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी फिर अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पूर्ण रूपेण विचार करें और शीघ्र से शीघ्र वहां पर एक तहसील की स्थापना करने की कृपा करें।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ बातें और आपके द्वारा कहना चाहता हूं। पंचायतों के बारे में कुछ माननीय मित्रों ने शिकायत की और यह कहा कि पहले जिस प्रकार एक मुखिया होता था उसी प्रकार इनके स्थान पर एक मुखिया रखा जाय। मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इससे गांव का संचालन ठीक होगा। माननीय सदस्य का समाजवादी ध्येय है और हमारा भी समाजवादी ध्येय है। तो पंचायतों को तोड़ कर आप उस ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि पंचायतों के अन्दर झगड़े हैं, कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, मगर उनको कुछ रहम की नजर से देखिये। वहां पर जाकर उनको समझाइये और उनकी गलतियों को दूर कराइये। आप उनको कम से कम अपनी गलतियों से कुछ सीखने का मौका तो दीजिये। पंचायतें हमारे देश की, एक शानदार बुनियाद के रूप में हैं। आपने संविधान में भी उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसी के आधार पर सारे देश में पंचायतों की स्थापना हुई है।

श्री अधिष्ठाता---समय समाप्त।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, इस बजट की, जिस पर कि चर्चा हो रही है, जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बजट उन पुराने सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है। मैं आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व यह नीति तय की गई थी कि इस प्रदेश में शराबबन्दी लागू की जायगी और उस समय कुछ जिलों में लागू भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दी गई थी, लेकिन मान्यवर, आज वह सारे सिद्धात भूल चुके हैं । जब से भारतीय गणतंत्र स्थापित हुआ, मेरा ऐसा विश्वास है कि किसी भी जिले में यह कानून नहीं लागू किया गया । इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण का एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं । पृष्ठ १७ से जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है—"पिछले दो वर्षों से देशी तथा बिदेशी शराब की खपत बढ़ रही है इसलिये देशी शराब तथा रम पर शुल्क की दर तथा बिक्री-फीस में सरकार कुछ तब्दीली कर रही है । साथ ही आमदानी की वसूली और ढिलाई रोकने का उपाय भी सरकार कर रही है जिसके फलस्वरूप लगभग एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है" । मैंने यह शब्द इसलिये नहीं पढ़े कि मैं कोई टान्ट करना चाहता था, बल्कि हृदय को पीड़ा हुई इसलिये पढ़कर सुनाये ।

इसी के साथ-साथ "आंकड़ों में उत्तर प्रदेश" जो पुस्तक है उसके पेज ४० पर जहां शराब की पैदावार के आंकड़े दिये हुये हैं, वह भी आपकी आज्ञा से सुनाना चाहता हूं । इसमें ५७, ५८ और ५९ के आंकड़े दिये हुये हैं कि एक लाख १६ हजार गैलन से बढ़कर एक लाख ५६ हजार गैलन शराब की पैदावार हुई और इस साल एक लाख ९६ हजार गैलन हो गई । इससे आपको मालूम हो जायगा कि इस मुहकमें में इतनी तरक्की हुई और इतनी आमदनी होने जा रही है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार अपने पथ से अलग हो गई है बल्कि पथभ्रष्ट हो गई है । इस कारण इस सरकार की जितनी भी आलोचना की जाय वह कम ही है ।

अब मैं मान्यवर, आपके द्वारा सदन की ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी अपने भाषण के पृष्ठ १९ पर कहते हैं कि आप सब सहयोग करें । उन्होंने यह भी कहा है कि प्रगति का वह जो स्वप्न देख रहे हैं वह पूरा नहीं हो पा रहा है, मगर साथ ही साथ उन्होंने उसके पूरा होने की आशा प्रकट की है । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह उनका चौदहवां स्वप्न है जो कि पूरा नहीं हुआ । महाकवि तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है :

"सपने होय भिखारिहि, रंक नाकपति होय,
जाके हानि न लाभ कुछ, जग प्रपंच जिय जोय ।"

इनका सपना केवल देखने के लिये ही है, इससे कोई लाभ होने की संभावना नहीं है । "आंकड़ों द्वारा उत्तर प्रदेश" के पृष्ठ १ की ओर आपका ध्यान मैं अब ले जाना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि सन् १९५७-५८ में पर कैपिटा इन्कम थी १८२, खींचतान कर १९५८-५९ में हुई १९३ और फिर १९५९-६० में घटकर १९१ रह गयी । यह उस तक भी नहीं पहुंचे जहां पर अंग्रेज थे सन् १९४७ से पहले । मुतवातिर १४ साल की कोशिशों के बाद भी उस समय जितनी आमदनी थी, आजतक यह उसको भी नहीं पहुंचा सके । इसलिये मैं इस बजट की निन्दा करता हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में भी और बाहर भी इस सरकार ने बड़े जोरों से प्रचार किया और करते रहते हैं मंगलकारी राज्य और कल्याणकारी राज्य का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कल्याणकारी राज्य इसी से पैदा होगा ?

किफायतशारी करने के लिये और खर्चे को रोकने के लिये रोज बातें होती हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि गवर्नर ऐसा पद जिसके लिये तीन-तीन मकान बने हुए हैं, किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार किसी काम की नहीं है । कोई काम इसने नहीं किया है । कोई ऐसा मामला नहीं है जो ठीक हो । मैं पूछना चाहता हूं कि इतने-इतने लम्बे चौड़े मामले आये लेकिन क्या अभी किसी मामले की जांच उन्होंने स्वयं की है ? बारम्बार मांग करने पर भी इन्होंने इन्कार किया है और कहा है कि सरकार ऐसा करना मुनासिब नहीं समझती ।

[श्री बलदेवसिंह]

आज कहा जाता है कि सरकार अपव्यय रोकने का तरीका अख्तियार कर रही है । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या तरीका है इनके रोकने का । किस तरह से अपव्यय रोका जाय, इसका तरीका उनकी समझ में ही नहीं आता है । मैं मामूली बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

देहातों की तरक्की के लिये यह सरकार मरी जा रही है । इतना जोरदार शब्द है लेकिन देखें वास्तविकता तो सारे काम बेढंगे तरीके से हैं । मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं । गोंडा जिले में एक सड़क मंजूर हुई कि यह बनेगी। उस पर अर्थ (मिट्टी) पड़ गयी, पुलिया बन गईं, पत्थर आ गये, सीमेंट की बोरियां आ गईं, बजरी पड़ गयी, लेकिन उसके बाद वह कैंसिल हो गयी और वह सारा सामान ट्रकों पर लदकर दूसरी जगह भेजा गया । तो जब तक काम ठिकाने से नहीं होगा तब तक अपव्यय रुक नहीं सकता ।

एक उदाहरण और ट्यूबवेल्स का दूं । एक ट्यूबवेल बना ऐसी जगह पर जहां इत्तिफाक से ऐसी जमीन है जहां सिंचाई की जरूरत नही होती । घाघरा नदी से सिंचाई होती है । मैंने वहां जाकर पूछा जहां ट्यूबवेल बना है तो आपरेटर ने कहा कि कोई पानी लेता नहीं है, आप लोगों से कहिये । गांववालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हम ट्यूबवेल के पानी से सींच दें तो हमारी फसल पीली पड़ जाय और खराब हो जाय । हमने कहा कि फिर क्यों यहां पर बनाया गया है ? तो आपरेटर ने कहा कि हम क्या करें, यह तो यहां लखनऊ से मंजूर हो कर आया था । तो ट्यूबवेल बनने की जहां जरूरत नहीं थी वहां तो कर देंगे और जहां जरूरत है वहां नहीं करेंगे । तो मैं यह कहूंगा कि अपव्यय तो मामूली ढंग से, जैसा कहा है, वह तो बहुत बढ़ा है लेकिन जिस तरह से आप खर्च कर रहे हैं उसको अगर हम देखें और उसमें यह देखें कि गांवों की जनता तक कितना पहुंच पाता है, तो वह भगवान ही जाने या यह सरकार जाने ।

कई भाइयों ने यह कहा कि इस सरकार द्वारा अन्न की वृद्धि नहीं हो रही है । सरकार ने एक कानून पास किया और कहा कि उससे अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा । सीलिंग लगाई, लेकिन उस दिशा में सरकार अब बढ़ नहीं रही है । इसका परिणाम क्या होगा, मैं कह नहीं सकता ।

कुछ लोगों ने उदाहरण दिया कि सहकारिता में इजराइल में सफलता मिली है । लेकिन हर काम हर जगह के लिये सुविधाजनक नहीं हो सकता । इसके लिये एक मिसाल दूं । इसी सदन में एक कानून पास किया गया । जौनसार भावर में बहुपति प्रथा लागू है । अच्छी खासी सहकारिता चल रही है । लेकिन सदन में कहा जाय कि इसको पास किया जाय तो खोपड़ी फूट जाय । तो जो चीज जहां के लिये उपयोगी होती है वहीं के लिये हो सकती है, सब जगह के लिये नहीं हो सकती ।

इस समय सहकारी खेती का बहुत जोर है । लेकिन जब से सहकारी खेती का प्रचार इस प्रदेश में हो रहा है, पैदावार हर साल गिरती ही जा रही है । यह इसलिये कि किसान निश्चित नहीं है कि उसकी जमीन का भविष्य क्या होगा । आज कोई कानून बनता है, कल दूसरा तो परसों तीसरा । लोग भयभीत हैं कि कल को उनका खेत उनके पास रहेगा या नहीं । इसलिये लोगों को जितनी मेहनत करनी चाहिये वह नहीं कर रहे हैं । जब किसी के मन में यह शंका है कि उसका खेत रहेगा या जायेगा तो किस प्रकार उसकी उर्वरा शक्ति को वह बढ़ायेगा । किसी आदमी को यह पता हो जाय कि मेरी बीवी भागने वाली है तो किस प्रकार वह उसको जेवर बनवायेगा । नामुमकिन बात है । इसलिये मैं कहता हूं कि इन बातों पर समझ-बूझ कर विचार किया जाय नहीं तो इसका परिणाम खराब होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का तहेदिल से विरोध करता हूं क्योंकि यह देश, समय और कांग्रेस संस्था के अनुकूल नहीं है और शराब की आमदनी पर यह आधारित है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस आदरणीय सदन के समक्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट प्रस्तुत किया है । इस सदन में आजादी के बाद १४–१५ साल से बजट प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं । उन सब बजटों की केवल एक ही मंशा रही है कि उनके द्वारा हम अपने देश और प्रदेश की गरीबी को मिटायें । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया है कि दरिद्रता के चक्कर को कैसे मिटायें, यही सारी योजना का मूल मंत्र है । श्रीमन्, हम १४–१५ सालों से बेरोजगारी, फिजूलखर्ची, दरिद्रता, नेपोटिज्म, और फेवरिटिज्म को मिटाने के प्रयत्न करते आए हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस १५ साल के शासन के बावजूद भी आज में ही नहीं, आम जनता यह कहा करती है कि इस सरकार में बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता, यह सरकार असफल हो रही है दरिद्रता मिटाने में और बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड करने में ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इकोनामी की बात कही तो उसकी बड़ी चर्चा की गयी, अखबारों में बयान दिया गया कि हम इकोनामी करेंगे । और जब इकोनामी की गयी तो वह ५२ लाख रुपये की हुई और उस ५२ लाख में भी ३० लाख के करीब रुपया तो इन छोटे छोटे कर्मचारियों के टी० ए०, डी० ए० को काट कर, उनके नियमों में संशोधन करके बचत दिखलायी गयी और उसी जी० ओ० में श्रीमन्, यह है कि मिनिस्टरों के साथ जो पी० ए० काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है, उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा । (शर्म-शर्म की आवाजें) । तो यह है सरकार की समाजवादिता और समानता, जो करके उसने कमी दिखलायी । हमें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार इस संबंध में कोई सही कदम उठायेगी ।

इस सदन में हमेशा यह कहा गया है कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है । आजादी के पहले जिले में एक एस० पी० होता था, उसके नीचे एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस होता था तथा इंसपेक्टर, दारोगा और पुलिस के कर्मचारी होते थे । श्रीमन्, आजादी के बाद एक एस० एस० पी० हुआ, उसके बाद ए० एस० पी० हुआ, फिर ए० एस० पी० हुआ और फिर डी० वाई० एस-पी० हुआ और उसके बाद इंसपेक्टर पुलिस हुआ, तो इस तरह से टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता गया ।

श्रीमन्, इसी सेक्रेटेरिएट में देख लीजिये–सेक्रेटरी हुआ, स्पेशल सेक्रेटरी हुआ, ज्वायंट सेक्रेटरी हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी हुआ और जब सेक्रेटरी से भी काम नहीं चला तो उसे कमिश्नर बना दिया। श्रीमन्, आप देखें कि मेरे पास एक किताब है जिसमें हर पोस्ट के सामने स्पेशल पे लिखा हुआ है । माननीय नवल किशोर जी ने भी उसकी चर्चा की थी । आप देखें कि स्पेशल पे कितनी देनी पड़ता है । आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लें । रेवेन्यू को लें, जुडिशियल को लें, हर आफिसर के सामने ३०० रु०, २५० रु० और १५० रु० स्पेशल पे लिखा हुआ है । एक आई० ए० एस० आफिसर या आई० सी० एस० आफिसर जब १,८०० रु० या २,००० रु० तनख्वाह के रूप में पाता है तो फिर उसको ३०० रु० स्पेशल पे लेने की क्या जरूरत है ?

एक सदस्य—यह तो हमेशा से मिलता आया है ।

श्री नेकराम शर्मा—मिलता आ रहा है, या नहीं आ रहा है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन स्पेशल पे देना गलत है जब कि वे भारी पे पा रहे हैं । लेकिन मेरे पास जो किताब है उसमें दिया हुआ है कि एक कमेटी बैठी थी जिसने सिफारिश की थी कि अगर स्पेशल पे का देना ही बन्द कर दिया जाय तो उसी से करीब ७–८ लाख रुपये की बचत साल में सरकार को हो जायगी । आप एक मजदूर को ५० रु० देते हैं, एक टीचर को ५० रु० देते हैं और सबसे बड़े सरकारी कर्मचारी को ३,००० रु० देते हैं और इस बजट का आधा रुपया तो इन सरकारी

[श्री नेकराम शर्मा]

कर्मचारियों की तनख्वाह में ही चला जाता है । माननीय गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने आंकड़े दिये थे कि कितनी पे उनकी जेब में चली जाती है। किस तरह से योजना बनायी जाय तो बजट आधी रकम की बचत तनख्वाहों में की जा सकती थीं । श्रीमन्, कुछ पद ऐसे हैं जिनको तोड़ कर बचत करने की बात कही गयी थी और कुछ पद सरकार ने तोड़े भी लेकिन जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ देखा जाय तो मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन पदों में और भी कमी करें ।

दो सेक्रेटरी हैं, एक असेम्बली के और एक कौंसिल के, फिर क्या जरूरत है सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की ? १,८०० रु० तनख्वाह, ३०० रु० स्पेशल पे, ४०० रु० का स्टेनो, १०० रु० का चपरासी, १०० रु० महीने खर्च टेलीफोन का, इस तरह से उन पर ४०,५० हजार रुपये साल में खर्च करने की क्या जरूरत है ? लोक सभा में आप देखें वहां कौंसिल आफ स्टेट के अलग सेक्रेटरी हैं और लोक सभा के अलग सेक्रेटरी हैं, तो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट जो सुपरफ्लुअस है उसके रखने की क्या जरूरत है ? माननीय वित्त मंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि यह व्यर्थ की पोस्ट है, यह सुपरफ्लुअस है और उसको बिलकुल एबालिश कर दिया जाय। और सभी सुपरफ्लूअस पोस्टों को समाप्त कर देना चाहिये जिससे लाखों की बचत हो जायगी। इतना ही नहीं, जब यह सरकार आई तो मंत्री जी ने ऐसे विभाग खोल दिये जिन की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसे स्पोर्ट्स एण्ड गेम्स का विभाग खोला गया, एक विभाग कम्युनिटी डेवलपमेंट का खोला गया जब कि एक डिपार्टमेंट को खोलने में एक डेढ़ लाख रुपया कम से कम लगता है। हमने कई बार इस बात को सदन में कहा कि व्यर्थ के विभागों को कम किया जाय, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है । सोशल वेलफेयर हरिजन, स्पोर्ट्स एण्ड गेम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट आदि कितने ही ऐसे विभाग हैं कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक रिसर्च ऐंड ऐक्शन इन्सटीट्यूट खुला है, उसने आज तक क्या काम किया ? इन विभागों की कमी से लाखों रुपये बच जायेंगे। एक इकोनामी कमेटी भी बिठाई गई है उसने तमाम तरह से परीक्षा की लेकिन सवाल यह होता है कि इकोनामी की राय देने वाले तो वही आफिशियल्स होते हैं उनकी राय से इकोनामी नहीं हो सकती जैसा कि अभी हमारे मित्र माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि हमारी इकोनामी की हालत यह है कि जो लोन्स हमने प्रोडक्टिव समझकर लगाये थे वे अन्त में अनप्रोडक्टिव साबित हुये । जो इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट आई भी तो उसका असर किस पर पड़ा ? उसका असर चन्द गरीब मालियों और चपरासियों तक ही सीमित रहा और क्या उसका कोई असर बड़े बड़े अफसरों पर पड़ा हो तो माननीय मंत्री जी बतायें । जितने भी यह सोशल वेलफेयर आदि विभाग हैं इनको तोड़कर रेशनेलाइजेशन किया जाय । पहले भी यह कहा जा चुका है और आज भी हम देखते हैं कि विभागों में कोई सामंजस्य नहीं है । आज भी पुलिस और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है। कितनी बार कहा गया कि एग्रीकल्चर, सिंचाई और कोआपरेटिव यह एक साथ हो और एक रेशनल तरीके पर उनका वितरण किया जाय, लेकिन वह आजतक नहीं हुआ ।

ब्रिटिश हुकुमत का एक तरीका था सेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर का और उसने उसको मजबूत किया, लेकिन आज अगर हमें अपने यहां प्रजातंत्र को चलाना है तो हमें डिसेन्ट्रलाइजेशन की नीति को अपनाना होगा। और यही राय आज हमारे देश के प्रमुख भूदानी नेता, श्री जयप्रकाश जी आदि की है कि यहां विकेन्द्रीकरण ग्राम स्तर तक होना चाहिये । हम सब चाहते हैं और बात करते हैं कि यहां समाजवाद आये । प्रजातंत्र की जो आखिरी लिमिट या इकाई है वह हमारे गाँव हैं और अगर हमें गांवों तक शक्ति को विकेन्द्रित करना है तो मैं अपनी पूरी प्लानिंग को पहले वहीं से आरम्भ करना होगा, आज गांव के प्रधानों के क्या अधिकार हैं, उनकी क्या आवश्यकतायें हैं और कितने कुयें आबपाशी के वास्ते हों, उनके खाद बीज क्या प्रबन्ध हो, इसका आरम्भ वहां से गांवों से परामर्श के बाद होना चाहिये, ऊपर से प्लानिंग

नहीं थोपा जाना चाहिये । मैं बड़े खेद के साथ कहूंगा कि जितना भी रुपया हमारे यहां ब्लाकों में खर्च हुआ है वह सब बेकार और व्यर्थ गया है और मैं आज यह मांग करता हूं कि आप इन ब्लाकों को तोड़ डालिये और सर्विस कोआपरेटिव और साधन समितियां गांवों में बनाइये और उनके द्वारा अपने कामों को आगे बढ़ाइये । उनको सजग और जिन्दा बनाइये तब आपका काम अच्छे तरीके से चल सकता है ।

सर्विस कोआपरेटिव्ज की स्थापना की बात कही गई । कांग्रेस का प्रस्ताव पास हुआ कि सरविस कोआपरेटिव्ज बनाई जायंगी लेकिन एक दिन में दस हजार समितियां कागज पर बन गईं । मैं जरा सदन को सूचना के लिये बता दूं कि मैं यहां से इजराईल गया और थोड़े दिन वहां रहा । मैंने वहां की सर्विस कोआपरेटिव्ज तथा गांव नियोजन आदि के प्रबंध को देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा---वहां पर ४ तरह गावों की व्यवस्था है । एक तो हैं 'किबुटस' । वहां की लाइफ कम्युनिस्टिक लाइफ है, वह लोग एक फैमिली की तरह रहते और काम करते हैं । जमीन सबकी है । सब उस पर काम करते हैं । वह एक जगह खाना बनाते और खाते हैं और एक जगह एक तरीके से रहते सोते हैं, एक डाईनिंग हाल है वहां खाना खाते हैं ।

एक दूसरा सिस्टम है 'मोशोव' । उसका एक कोआपरेटिव ढंग है और गांव को सारे पैदावार के साधन वह सोसाइटी प्रोवाइड करती है और जो पैदावार होती है उसे सोसाइटी खरीदती है । इसी आधार पर हमारी कांग्रेस ने, हमारे नेताओं ने सोचा कि कोआपरेटिव फार्मिंग से पहले सर्विस कोआपरेटिव लाएंगे लेकिन इन सर्विस कोआपरेटिव के बारे में जो नीति बरती जा रही है उससे कभी भी सर्विस कोआपरेटिव नहीं बन सकतीं और न कामयाब हो सकती हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैं लौटा तो कोआपरेटिव मिनिस्टर से मैंने कहा कि मैं अपने गांव में सर्विस कोआपरेटिव वहां के माडल पर चलाना चाहता हूं । उन्होंने मेरे पत्र को रजिस्ट्रार के पास भेज दिया । उन्होंने कहा कि गांव हमारा तीन गांवों में बंटा हुआ है । एक नगला जिसकी आबादी ३०० है उसमें सर्विस कोआपरेटिव चलाना चाहता था । उन्होंने कहा कि जो नियम है उसी में चल सकती है, यह अलग हैमलेट में नहीं चल सकती, आप उसको सारे गांव में वैसे ही चलायें । मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता था अपने गांव में लेकिन इस नौकरशाही ने इतनी-सी बात एक्सपेरीमेंट की ठुकरा दी ।

श्रीमन्, हम समाजवाद की बात कहते हैं । हमारा सिस्टम क्या है ? १५ साल के राज्य में यह आज तक नहीं हो पाया कि क्या हमारा सोशल उद्देश्य, सिस्टम होगा । आज चार तरह के किसान हैं । सीरदार, भूमिधर, अधिवासी और आसामी । तो समाजवाद में चार-चार तरह के किसान रहेंगे जाति पांति, छुआछूत, असमानता रहेगी तो समाजवाद नहीं आ सकता, न दरिद्रता मिट सकती है । नेहरू जी ने स्वयं कहा कि हामारी इनकम बढ़ी लेकिन वह कहां चली गई यह पता नहीं, उसकी खोज होनी चाहिये । राष्ट्रीय इनकम बढ़ी, यहां भी बढ़ी, लेकिन अभी कुछ साथी बता रहे थे कि यहां तो गिरी है, लेकिन हमारे देश की बढ़ी है, वह कहां गई ? कंट्रैक्टर्स और आफीशियल्स ऐसे लोगों की एक नई क्लास बन गई है, इन लोगों के हाथ में चली गई । आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है । क्यों ? इसकी जांच होनी चाहिये ।

माननीय नवल किशोर जी ने बताया कि अनप्राडक्टिव हमारे प्राजेक्ट्स बनाये गये । उसकी एक, दो मिसाल माननीय मंत्री जी यदि जानना चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं । एप्रोप्रियेशन एकाउंट १९६९-६० में है कि एक चैनल १९५५ में १२९ लाख रु० बनाने के लिये मंजूर हुआ । उसके बाद उसको कुछ बनाने की कोशिश भी की गई और उस प्रोजेक्ट के लिये जितना रुपया एस्टीमेट किया गया था उसका १७५ लाख रु० हो गया और चैनल ४४१ मील के बजाय २८५ मील रह गई । कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जनरल मैनेजर हैं वे रिहन्द के चीफ इंजीनियर हैं । ट्रांसमिशन लाइन कानपुर-इलाहाबाद के बीच में निर्माण की बात हुई कि इलैक्ट्रिसिटी पैदा होगी तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ेगी ।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमान् ने रिपोर्ट दी कि जरूरत नहीं है, वहीं लोड पूरा हो जायगा । मेरी इत्तिला है कि हमारे यहां रिहन्द में बिजली मौजूद है, लेकिन ट्रांसमिशन का लाइन नहीं है, वह अनयूज्ड पड़ी हुई है और आज सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में ट्रांसमिशन लाइन के लिये रूपया मांगते हैं । श्रीमन्, ६० साल हो गये हैं और एक्सटेंशन दिया जाता है । तो उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं है तो मान लिया गया कि नहीं है और कहा कि जरूरत है तो कह दिया कि हां ठीक है । तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । ऐसे अफसरों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जावे और उन्हें एक्सटेंशन न दिया जावे ।

मैं बताऊं कि सरकारी कर्मचारी किस साठ गांठ से आपके मंसूबों को पूरा नहीं होने देते । आप ईमानदारी और सच्चाई से देश प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन वह आपके काम में रुकावट डालते हैं । मार्टिन बर्न ने सरकार के आर्डर्स को डिफाई किया, रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा । सरकार ने केस दायर किया, लेकिन उसी को ३० लाख रुपये का लोन दे दिया गया या दिया जा रहा है और जिस कम्पनी ने अपने रुपये से कुछ मशीनें मंगाई थीं वह उसमें डेवलपमेंट लोन में शो कर दिया गया । सारे केस हल्फनामा लगाकर अफसरों की साठ-गांठ से वापिस हुये । इन सब की जांच होनी चाहिये ।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

बहुत से कर्मचारी अच्छे भी हैं, सब ऐसे नहीं हैं लेकिन हमारा अनुभव यह बता रहा है कि इन १४, १५ साल की हुकूमत में, शुरू-शुरू में यह नारा लगाया गया कि १९५१ में हम खाद्य समस्या में आत्म निर्भर हो जायेंगे। उसके बाद प्रथम और दूसरी योजनाएं बनीं जिनमें खाद्य को प्राथमिकता दी गई । लेकिन श्रीमन्, प्लानिंग कमीशन के मेम्बर श्रीमन्नारायण क्या कहते हैं आंकड़ों के बारे में ? हमारे सदस्य क्या कहते हैं ? क्या हम सचमुच फूड में सेल्फ सफिशियेंट हो गये ? हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है जिसकी वजह से अनाज नहीं खरीद सकते और लोग अधभूखे मर जाते हैं । गांवों में जाकर देखिये नंगे बच्चे जाड़े, गरमी, और बरसात में फिरते हैं । आज मैं आ रहा था ४०, ५० आदमी सदन की कार्यवाही देखने आ रहे थे, मेरे साथ एक माननीय सदस्य भी थे तथा पी० टी० आई० के श्री पुरी भी थे, मैंने दिखाया कि उन ५० आदमियों में से ४० के पैर में जूता नहीं था । एक तरफ तो गरीब गरीब होता जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है । क्या सरकार इसका समुचित प्रबन्ध करने की सोच रही है ? मैं कहता हूं एक हाई पावर कमेटी इस हाउस के सदस्यों की बनाइये और सरकारी कर्मचारियों से राय लेना छोड़ दीजिये । आप स्वयं कमेटी बनायें, सोचिये और कहिये कि हमको यह करना है जो तुमको करना पड़ेगा ।

गांधी जी ने कहा था कंट्रोल तोड़ने के सम्बन्ध में कि एक आई० सी० एस० को हुक्म दीजिये कि कंट्रोल तोड़ना है तो वह वैसी स्कीम बना देगा और अगर कहा जाय कि कंट्रोल रखना है तो वह वैसी स्कीम बना देगा । इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप अपनी स्कीम बनाकर इम्प्लीमेंट करायें और इनकी जिम्मेदारी फिक्स कर दीजिये कि इन ५ सालों में हम तुमको यह काम देते हैं । अगर वह उसको पूरा करता है तो उसका ऐस्टीमेंट लीजिये और अगर तैयार नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन पर थोपिये, आपको जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिये । अगर जिम्मेदारी को पूरा न करें तो सजा दीजिये । रोज-रोज सचिवों को न बदलिये । आज ऐजूकेशन सेक्रेटरी हैं, कल सार्वजनिक निर्माण विभाग के हो गये और जितने भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनको आदेश देना चाहिये कि चूंकि वह हमारी पेंशन पाते हैं इसलिये किसी भी प्राइवेट फर्म में काम नहीं कर सकते । होता क्या है ? यहां से रिटायर हो कर प्राइवेट फर्म्स में नौकरी करते हैं और काउन्सिल हाउस में जाकर निगोशियेट करते हैं और अपना काम करा ले जाते हैं मंत्री जी तक खबर भी नहीं पहुंच पाती । इस सम्बन्ध में एक स्टेप लीजिये कि जब हम तुमको पेंशन देते हैं तो किसी प्राइवेट मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकते ।

केन्द्रीय मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने कुछ अपने टैक्सेशन का भार कम किया है सदस्यों की प्रार्थना पर लेकिन आपने उसको बढ़ा दिया है। सिंचाई की दर में जो रिबेट मिलती थी तीन आने की उसको भी आपने वापस ले लिया है जिससे आपको कुल दो करोड़ रुपये की आमदनी होगी। जब कि सेस का करोड़ों रुपया बाकी है, सरकारी कर्मचारियों पर मोटरकार, हाउस बिल्डिंग तथा अन्य कर्जों का जोड़ करीब १२ करोड़ के बाकी है और इसी कानपुर में एक मिल ओनर पर ५५ लाख रुपया बाकी है। इनको तो वसूल नहीं किया जाता है, इधर किसानों से दो करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं। माननीय मोरार जी देसाई ने बहुत से कन्सेशन कर दिये हैं जनता की राय से और अगर आपने रिबेट नहीं वापस किया तो जिन लोगों ने इस सम्बन्ध में आन्दोलन किये वे तथा किसान हमारे और आपके तुरन्त दुश्मन हो जायेंगे और १९६२ में डटकर बदला लेंगे।

किसान के आप हमदर्द हैं उन्हीं के लिये आप मरे जा रहे हैं, अधिक से अधिक रुपया उन्हीं के लिये खर्च कर रहे हैं, दूसरे लोगों को करोड़ों रुपया दिया जाय और वसूल न करें और किसान से वापस लिया जाय यह उचित नहीं है। किसानों की अगर उन्नति करनी है, तो सर्विस कोआपरेटिव स्थापित कीजिये, उनको फाइनेन्स दीजिये और जो रुपया बड़े बड़े लोगों पर बाकी है उसको लीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इस दो करोड़ रुपये की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

२४ हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट थे उसमें से १८ बन्द हो गये और उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद क्या एचीवमेंट हुये ? अब भी जितने ब्लाक्स काम कर रहे हैं क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके हैं या पहुंच रहे हैं ? यदि नहीं तो इन्हें शीघ्र बन्द करिये। इन ब्लाकों का रुपया सर्विस कोआपरेटिव को दीजिये और तब देखिये कितनी उन्नति हो रही है। इकोनामी कराइये तो आपको करोड़ों रुपये नये टैक्सेज के लिये नहीं लगाने होंगे। करोड़ों रुपया जमींदार तथा पूंजी पति इंडस्ट्रीज के नाम पर लिये हुये हैं और खर्च दूसरे तरीकों पर कर रहे हैं उनसे रुपया वसूल करिये और फिजूलखर्ची को रोकिये। जो स्पेशल पे हैं उनको खत्म करिये। जो बेकार के पद हैं जैसे सेक्रेटरी, लेजिस्लेचर का, इनको एबोलिश करिये। टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करिये। सिंचाई की दरों को वापस लीजिये तभी किसान आपका यश-गान कर सकेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण के उस अंश से बिलकुल सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बजट पिछले बजटों की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है और इस बजट में हमें नई नीतियां अपनानी होंगी। लेकिन मुझे खेद है जब माननीय वित्त मंत्री ने और उनके विभाग ने इस बजट को तैयार किया तो स्वयं वह इस बात को भूल गये जिस बात का कि उन्होंने अपने भाषण के अन्दर जिक्र किया था।

इस बजट का अगर हम शुरू से आखिर तक निरीक्षण करें तो हमें इस बजट के अन्दर कहीं भी, जो सरकार की पिछली बजट पालिसीज थीं, सरकार की अर्थ नीति थी, उससे कोई अलग नई चीज हमें नहीं मिलती है। मुझे इस बात का खेद है कि इस बजट को बनाते समय माननीय वित्त मंत्री पिछले १० वर्षों की उस पृष्ठ भूमि को भूल गये और आगे की प्लानिंग का जो लक्ष्य है उसे भुला कर इस बजट को बनाया गया है। इस बजट को बनाते समय हमारे प्रदेश की सरकार के कर्णधारों को इस बात पर गौर करना चाहिये था कि वे कौन सी बातें हैं जो हमारे प्रदेश की अर्थ नीति के अन्दर एक बड़ा रोड़ा बन कर खड़ी हो गई हैं और जो हमारे प्रदेश के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बाधा बनी हुई हैं। उन्हें इस बात पर सोचना चाहिए था कि सन् ५१ में हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय २५८ रुपये थी लेकिन १० वर्षों के सरकारी प्रयासों के बावजूद तथा योजनाबद्ध अर्थ नीति के बावजूद आज हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय २५५.३ रुपया हो गई है। तो वित्त मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिये था कि जब कि हमारे देश में पिछले १० वर्षों के अन्दर प्रति व्यक्ति आय ५४ रुपये बढ़ गई तो क्या वजह है कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ५१ के मुकाबले में ३ रुपये नीचे गिरी है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

वित्त मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिये था कि १९५०–५१ में हमारे प्रदेश में पूरे प्रदेश के बेकारों की १६ फी सदी लोग थे किन्तु १० वर्षों की योजनाओं के बावजूद तथा सरकारी प्रयासों के बावजूद बेकारों की संख्या बढ़कर २५ फीसदी हो गई है । हमें इस बात पर सोचना चाहिये था, जो वित्त मंत्री महोदय को बधाई दी गई है बजट के अन्दर, कि कृषि पर बड़ा जोर दिया गया है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं तो मैं यह बात उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर भी सरकार ने कृषि पर जोर दिया था । परन्तु सारे जोर के बावजूद क्या वजह है कि हमारे प्रदेश की कृषि का उत्पादन दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है ? १० वर्षों के अन्दर प्रदेश के अन्दर जितनी जनसंख्या बढ़ी है उसको देखते हुये १८१ लाख टन अनाज हमें पैदा करना चाहिये था लेकिन हमने १३० लाख टन अनाज ही पैदा किया है और ५१ लाख टन अनाज की हमारे पास कमी है । वित्त मंत्री महोदय को यह भी सोचना चाहिये था कि १९५०–५१ में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति कृषि का उत्पादन ३९७ पौंड था और आज वह घट कर ३८७ पौंड हो गया है । तो ये गंभीर बातें हैं जिन पर उन्हें सोचना चाहिये था ।

मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार की कृषि नीति ने प्रदेश के अन्दर एक पूंजीवादी विकास का रास्ता खोल दिया है । आज सरकार की कृषि नीति से हमारे प्रदेश के छोटे और गरीब किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं । हमारे प्रदेश का बड़ा किसान जिसके पास ज्यादा खेती है, जिसके पास साधन हैं आज वह सम्पन्न हो रहा है । श्रीमन्, आज से दस वर्ष पहले हमारी पार्टी ने सरकार को इस बात के लिये आगाह किया था कि जिस प्रकार का कृषि सुधार और भूमि सुधार हो रहा है उससे हमारे प्रदेश की जनता की स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है । लेकिन तत्कालीन माल मंत्री, चौधरी चरणसिंह ने आज से पांच साल पहले इस बात की घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हमने कृषि-क्रान्ति कर ली है । उत्तर प्रदेश ने सारे देश का नेतृत्व किया है, कृषि और भूमि सुधारों के अन्दर । जो माल मंत्री सैद्धान्तिक रूप से इस बात के विरोधी हों कि जमीन गरीब किसानों को बांटी जाय, जो माल मंत्री मुख्य रूप से इस बात के समर्थक हों कि बड़े किसानों को सहायता दी जाय, बड़ी-बड़ी होल्डिंग रखी जायं अगर ऐसे तत्व सरकार में हों तो साफ जाहिर है कि उस सरकार द्वारा ऐसी नीतियां नहीं बनायी जा सकतीं जिनसे गरीब किसानों का फायदा होगा ।

यह बात साफ है कि हमारी सरकार कृषि के अन्दर आज जिस प्रकार से मदद कर रही है सरकार की बुनियादी नीति इस बात के लिये जिम्मेदार है कि हमारा गरीब किसान जिन जंजीरों के अन्दर बंधा हुआ है उनसे वह छूट नहीं पा रहा है । आज हम देखें कि बीज किस को मिलता है । यह बहुत स्पष्ट है कि अगर दो सौ बीघे का एक किसान अपने फार्म में ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसको आसानी से कर्ज मिल जाता है । अगर दो सौ बीघे का किसान बीज या खाद लेना चाहता है तो प्रान्तीय स्तर के अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारी उसकी सहायता करने में पूरी तत्परता दिखाते हैं लेकिन छोटा किसान जिस प्रकार की व्यवस्था है आज इन बातों का फायदा नहीं उठा पा रहा है । यही वजह है कि सारे नियोजन के बावजूद हमारे प्रदेश का कृषि उत्पादन बराबर गिरता चला जा रहा है । आज स्थिति यह पैदा हो गयी है कि पूरे देश के नक्शे में उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर वित्त मंत्री ने ईमानदारी से इस बात को महसूस किया है कि इस बजट के अन्दर हमें नई नीति अपनानी चाहिये तो उनको इन बातों को सोचना चाहिये और जो सही दिशायें हमारे प्रदेश की उन्नति के लिये हो सकती हैं उनके ऊपर चलना चाहिये ।

दूसरी बात हमारे उद्योग की स्थिति है । मैं इस बात को कहना चाहता हूं और बड़े दुखी दिल से कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश की औद्योगिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है ।

पिछले दस वर्षों के अन्दर जब सारे देश की औद्योगिक प्रगति लगभग २६ फीसदी बढ़ी है तो हमारा प्रदेश आज भी वहीं है जहां वह सन् १९५०–५१ में था । इसके लिये भी सरकार की औद्योगिक नीति जिम्मेदार है । पब्लिक सेक्टर की सरकार ने जानबूझ कर उपेक्षा की है । मैं तो इस सरकार पर यह भी चार्ज लगाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस और सरकार केन्द्रीय सरकार की उन नीतियों को भी कार्यान्वित नहीं करती जिनको अखिल भारतीय कांग्रेस ने अपने सम्मेलनों के अन्दर स्वीकार किया है । यहां की कांग्रेस और शासन के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं वे कांग्रेस ने जिन नीतियों को जन आन्दोलनों के दबाव से स्वीकार किया है उसको भी लागू नहीं करते ।

आज पब्लिक सेक्टर को अगर देखा जाय तो क्या सरकार यह बता सकती है कि पिछले दस वर्षों ने इस तरफ उसने कौन से कदम उठाये हैं ? इस बजट के अन्दर केवल ५२ लाख रुपये की व्यवस्था इस सम्बन्ध में है । क्या सरकार इतने धन से पब्लिक सेक्टर में उद्योग का सही माने में विकास कर सकती है ? क्या इस सरकार का गठबन्धन हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों से नहीं है ? आज हमारे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में एक गम्भीर अशान्ति और खतरा पैदा हो गया है। जिस तरह से आज चीजें हो रही हैं अगर हम उनको देखें तो अभी दस दिन पहले इसी सदन में माननीय उद्योग मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे प्रदेश में चीनी मिल मालिक किसानों का दस लाख मन गन्ना इसलिये नहीं ले रहे हैं कि उनकी गरीबी और बेबसी से फायदा उठाना चाहते हैं । नेपाल से खरीदते हैं । सरकार ने एक रुपये सात आने और एक रुपये नौ आने मन का भाव स्वीकार किया है । लेकिन गरीब किसान एक रुपये या बीस आने मन पर अपना गन्ना बेचने के लिये मजबूर किया जाता रहा है और हमारी सरकार तमाशा देखती है ।

कानपुर में जो हालत हुई है वह यह है कि कानपुर के मिल मालिक मजदूरों से काम ज्यादा लेते हैं और ८ घंटे से ज्यादा उनको काम करना पड़ता है । इतवार को भी वह चार घंटे काम करने के लिये मजबूर किये जा रहे हैं । कानपुर की स्वदेशी काटन मिल तथा एक दूसरी मिल के दस हजार मजदूरों ने हड़ताल की है और जो सरकार मान चुकी है, उन हकों को भी उनको नहीं दिया जा रहा है । जब मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल श्रम मंत्री जी से मिलने के लिये आया तो उन्होंने कहा कि हड़ताल कराना राष्ट्र विरोधी कार्य है । मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर में २०० लूम बंद पड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी किस की है ? अगर उत्पादन गिरता है तो जिम्मेदारी किस की है ? पिछले दस वर्षों में सूत का उत्पादन गिरा है और इसके लिये जिम्मेदार है सरकार की औद्योगिक नीति, इसके लिये पूंजीपति जिम्मेदार हैं जो अपना संगठन बनाकर आज सरकार के ऊपर हावी हैं ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश की औद्योगिक हालत को देखिये । हमारी सरकार ने मिनिमम वेजेज ऐक्ट स्वीकार किया है । लेकिन सिल्क कारखानों के २५ हजार मजदूरों को वह हक नहीं मिल रहे हैं जो उनको सरकारी कानून के अनुसार मिलने चाहिये । हमारे प्रदेश में फिरोजाबाद का ग्लास वर्क्स तथा करघा उद्योग दिन प्रति दिन गिरते चले जा रहे हैं । हमने मांग की है कि सरकार छोटे-छोटे उद्योग धंधों की ओर ध्यान दे ।

एक तरफ तो हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ाने की बात करती है और दूसरी तरफ सूत के कारखानों का ह्रास होता चला जा रहा है । श्रीमन्, हमारे प्रदेश में भी मऊ, टांडा तथा कोयम्बटूर बन सकते हैं अगर सरकार इनको सूत मिलने की उचित व्यवस्था कर सके। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती । उद्योगों के संबंध में आज एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। अगर सरकार इन कानूनों को तेजी से लागू करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती है और इस क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण पैदा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी । अगर हमारा उत्पादन गिरता है तो यह राष्ट्र विरोधी कार्य हमारी सरकार करती है और सरकारी अधिकारी करते हैं जो सरकारी कानूनों का भी पालन नहीं करा सकते हैं ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन में कई बार पी० डब्लू० डी० मजदूरों का प्रश्न उठा चुका हूं कि पश्चिम के मजदूरों को सरकार पूरब के मजदूरों से अधिक मजदूरी देती है। पश्चिम में कम मजदूर मिलते हैं इसलिये ज्यादा मजदूरी सरकार देती है और पूरब में ज्यादा मजदूर मिलते हैं इसलिये कम मजदूरी देती है। तीस तीस साल से भी अधिक काम करने के बाद उनकी नौकरी का कोई स्थायित्व नहीं है। अगर सरकार मजदूरों की बेबसी के कारण सौदेबाजी की नीति अपनायेगी तो जिम्मेदार कौन होगा ? श्रीमन्, आज यह खतरा पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया है कि अगर कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है तो सरकार कहती है कि हमारी आय देखिये और ऐसे मौके पर वेतन बढ़ाने की मांग करना, जब कि विकास के कार्य के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं, उचित नहीं होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में जीवनोपयोगी सामग्री की कीमत बढ़ी है और जीवन स्तर गिरा है, अगर वह ऐसी स्थिति में वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं---(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दें दे---तो वह अपने हक की बात करते हैं। आज केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के बाद देश के सामने एक प्रश्न उपस्थित है। सरकार चाहे अपनी तानाशाही रवैये से भले ही उसको दबा दे, लेकिन यह प्रश्न अपनी जगह पर है। आज देश में प्राइसेज का रिवीजन करना पड़ेगा। बढ़ती हुई कीमतों को देखकर अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना पड़ेगा। सरकार कमीशन बनाने के नाम से चिढ़ती है। सरकार ने हमारे प्रदेश के छोटे कर्मचारियों का वह अधिकार भी छीन लिया जो कि उनको संविधान में मौलिक अधिकार मिलता था। वह निरंकुशता कर सकते हैं लेकिन उनकी जिन्दगी की उस सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। अगर सरकार कमीशन के नाम से घबड़ाती है तो पे कमेटी के नाम से उसको बनाये। वह जांच करे जिससे सही मानी में वेज और प्राइस में संतुलन हो सके।

हमारे प्रदेश में शिक्षा की जो दशा है उस पर बार बार कहा जा चुका है। पिछले दस वर्षों के अन्दर जब कि पूरे देश के अन्दर ६ और ११ वर्ष के बच्चों की शिक्षा में प्रगति हुई है, जब कि पूरे देश का औसत ६० फीसदी और मदरास का ७५ फीसदी है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश के अन्दर केवल ४० फीसदी है। आज प्रदेश के अन्दर शिक्षकों में गहरा असंतोष छाया हुआ है। अध्यापकों के वेतन की समस्या, गिरता हुआ शिक्षा स्तर, शिक्षा के अन्दर कोआर्डिनेशन ये समस्यायें हैं। इन पर विचार करते समय देश के हित में विचार न करते हुए सरकार अपने गुट के हित में विचार करती है। सेकेन्डरी एजूकेशन कमीशन बनाया गया था। उसको भंग कर दिया गया। उसका कारण गुटबाजी के सिवा और कुछ नहीं था। सरकार ने अध्यापकों की उस मांग को ठुकरा दिया। इन बातों पर सरकार गंभीरता से बिचार करे।

दूसरी बात यह है कि जिस समय यह नयी सरकार आयी इसने बड़े सुधारों का आडम्बर किया। माल मंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में नौकरशाही सब से बड़ा रोड़ा बनी हुई है। उस नौकरशाही के रोड़े को हटाने के लिये सरकार की तरफ से क्या किया गया है ? आज प्रदेश का शासन संचालन मंत्रिमंडल के हाथ में नहीं है, बल्कि कुछ चुने हुए ब्यूरोक्रैट्स के हाथ में है जिन ब्यूरोक्रैट्स के अन्दर इफीशेंसी की कमी है, वह शासन के ऊपर हावी हैं, मंत्रिमंडल उनके जरिए संचालित हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री तो स्वयं इसके शिकार रह चुके हैं। इसके पहले मंत्रिमंडल ने जौनपुर के अन्दर एक कलेक्टर को तानाशाह बना दिया था। अलगू राय शास्त्री जी गवाह होंगे कि आजमगढ़ का जिलाधीश तानाशाह बना बैठा था। श्री मलखान सिंह को मालूम है कि अलीगढ़ के अन्दर अधिकारी कैसे तानाशाह थे। सरकार ने उसको अपने विरोधियों को कुचलने का अपना एक साधन बना लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ का वह जिलाधीश जो तीन चार वर्ष से एक सामन्त बन कर बैठा हुआ है, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की सरकार की हिम्मत है ?

आज सही माने में वक्त आ गया है कि हमें इस बात पर ठंढे दिल से बिचार करना है कि आज जो हमारे प्रदेश की स्थिति है, पिछले दस वर्षों के अन्दर बावजूद नियोजन के, समाजवाद के नारे के, हमारा प्रदेश पीछे चलता चला जा रहा है। अगर सरकार ने हिम्मत के साथ कदम नहीं उठाया, अगर वस्तु स्थिति को देखकर अपनी नीतियों के अन्दर परिवर्तन नहीं किया तो एक भयंकर खतरा आगे है। जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं उनको इसीलिये नारा लगाने का मौका मिलता है कि प्लानिंग से, जमीन के बटवारे से और कोआपरेटिव फार्मिग से आज प्रदेश को फायदा होने वाला नहीं है, आज जो जनवादी भूमि सुधार हो रहे हैं उनसे फायदा होने वाला नहीं है। प्लानिंग से, जनवादी भूमिसुधारों से, सहकारिता से, बावजूद तमाम कमियों के हमारा देश पिछले दस वर्षों में आगे बढ़ा है लेकिन हमारा प्रदेश इस प्रगति में इतना पिछड़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण हमारी गलत नीतियां और प्रशासकीय अक्षमता है। खतरा इस बात का है कि आने वाले दस वर्षों में देश का यह सब से पिछड़ा हुआ भाग रह जायगा। यह हमारे प्रदेश की सरकार की कमजोर नीतियों के कारण और हमारे प्रदेश की सरकार के पूंजीवादी शक्तियों से समझौता करने के कारण, हमारे प्रदेश की सरकार के सामन्तवादी शक्तियों से गठबन्धन करने के कारण और हमारे प्रदेश के ऊपर जो नौकरशाही छायी हुई है, उस नौकरशाही के कारण यह स्थिति है। इसलिये मैं आखिर में अनुरोध करूंगा माननीय वित्त मंत्री से कि इन सादी बातों पर वह गंभीरता से विचार करें और उन प्रश्नों को, जिन्हें मैंने उठाया है, उनको वह बतायें कि वह कौन-सी नयी नीतियां हैं जो उन्होंने अपनायी हैं और कौन से नये कदम हैं जो वह उठा रहे हैं।

श्री गंगाप्र साद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आम विवाद बजट पर हो रहा है जिसे कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बजट को पढ़ने और देखने से हमें यह अच्छी तरह पता चला कि आज जो कांग्रेस की नीति है वह समाजवाद की नीति है, लेकिन इस बजट का उस समाजवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ उसमें एक ही बात मुझे ध्यान से देखने पर मिली और वह यह है कि १२९ से ३०० रुपये के ग्रेड के अफसरों के जो अर्दली हैं वह अब निकाले जा रहे हैं। तो इस बजट को देखने से यह पता चला कि सैकड़ों आदमी तो पहले से ही बेकार हैं और ऊपर से यह और बेकार होने जा रहे हैं। समाजवाद में यह बेकारी और बढ़ती दिखाई पड़ रही है।

दूसरी चीज, यहां किसान की बात कही जाती है। आज किसानों के लिये कांग्रेस का एक रिजोल्यूशन है कि किसानों की तरक्की की जाय। किसानों को औजार और बीज आदि देने का जहां तक ताल्लुक है, उसके लिये तो सरकार बधाई का पात्र है। लेकिन सिंचाई के संबंध में जो तीन आने रुपये छट मिली थी वह तीन आने रुपये की छूट जो वापस ली जा रही है इससे किसानों के अन्दर बहुत बड़ा विरोध पैदा हो रहा है। आज जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मतदाता है वह किसान है और उसी के बल पर यह कांग्रेस सरकार यहां बनी हुई है। लेकिन उनसे जो तीन आने की छूट वापस ली जा रही है, इस कारण हर जिले में और हर गांव के किसानों में हाहाकार मचा है। यह उनके ऊपर एक कर लगा दिया गया है और इस कर से किसान बहुत दुखी है। तो मैं वित्त मंत्री जी से आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस कर को वह वापस लें, जिससे किसानों को राहत मिले। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम बजट में गोंड़ा जिले के लिये सिंचाई का कोई साधन नहीं रखा गया है। पूरा बजट पढ़ने के बाद और सिंचाई का सारा नक्शा देखने के बाद यह पता चला कि यहां किसी प्रकार के भी साधन का प्रबन्ध नहीं किया गया है। नलकूप का तो कोई जिक्र ही नहीं है। एक जलकुम्भी योजना चलने वाली थी वह भी खत्म हो गई। एक सरयू योजना थी, वह भी खत्म हुई। तो इस तरीके से इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम बजट में गोंड़ा जिला बिलकुल महरूम हो गया। वहां के किसानों के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और गोंडा जिले के लिये भी सिंचाई के साधन जरूर रखें।

[श्री गंगाप्रसाद]

एक बात और कहनी है और वह है भाई हरीसिंह और कई और भाइयों ने यहां पर कहा कि हरिजन कल्याण और समाजकल्याण दोनों दो विभाग हैं। लेकिन जो आज वित्त मंत्री हैं वह उस वक्त हरिजन कल्याण के मंत्री थे। उन्होंने हरिजन कल्याण के नाम पर इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के बजट में कोई मद नहीं रखी। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। आज एक वह दानी आदमी और वह ठाकुर आदमी जो पहले राज करता रहा हो और किसानों का उपकार करता रहा हो, वह बजट बनाये तो हरिजनों के नाम पर कोई मद न रखे, यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आशा करता हूं कि कहीं न कहीं से धन लेकर वह हरिजनों के लिये कुछ रुपया अवश्य रखेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी शायद यह भूल गए कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट है और इसके बाद ही सन् ६२ में एलेक्शन होने जा रहा है। उनके (हरिजनों के) सुधार की योजना के संबंध में कोई रुपया उनके लिये नहीं रखा गया है जिससे उन हरिजन क्षेत्रों में सुधार की योजना को चालू किया जा सके और उनकी कुछ सहायता की जा सके। यह वह भूल गये हैं। मुझे आशा है कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम बजट में हरिजनों के लिये रुपया जरूर मुहइया किया जायगा जिससे उनका कल्याण हो सके। साथ ही साथ आपसे मेरा यह भी अनुरोध है कि समाज कल्याण और हरिजन कल्याण के जो दो विभाग हैं इनको मिलाकर एक कर दिया जाय। इससे काफी रुपये की बचत हो सकती है और किफायत शारी की तरफ सरकार का कदम हो सकता है। अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

तीसरी बात यह है कि जो हरिजनों के लिये अनुदान दिया जाता है मकान, बैल या कुयें के लिये उसमें आपने ग्राम सेवक से सर्टिफिकेट लेने की बात रखी है। इससे हरिजन लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उसमें से आधा रुपया तो वह ग्राम सेवक खा लेते हैं, जिससे उन गरीबों के पास बहुत कम धन पहुंच पाता है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसका प्रबन्ध सुपरवाइजर (हरिजन) के अधिकार में कर दिया जाय और उसको ही सर्टिफिकेट देने का भी अधिकार दे दिया जाय। उससे लोगों को सर्टिफिकेट लेने में बड़ी आसानी होगी। वह हरिजन अफसर बैठे रहते हैं और दूसरे लोग उस काम को करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हरिजन सुपरवाइजर के जिम्मे इस काम को कर दिया जाय। तब यह काम ठीक तरीके से हो सकता है।

अभी पूर्वी जिलों में पिछले दिनों ओला बहुत पड़ा था। कुछ जगहों पर आज भी लगान वसूल हो रहा है। वहां के किसान खरीफ और रबी दोनों फसलों का लगान नहीं दे सकते हैं। खरीफ की फसल को तो उन्होंने खा लिया है और रबी में उनके पास कुछ नहीं रह गया है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने विभाग से ऐसे आदेश दें कि जहां पर ओला गिरा है वहां पर लगान की वसूली रोक दी जाय। उनका लगान उस वक्त लिया जाय जब कि खरीफ की फसल तैयार हो।

एक बात मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। आज मैं जानता हूं और यह हाउस भी जानता है और प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि माननीय चौधरी चरणसिंह के गृह मंत्री होते ही सब को यह आशा हो गई कि इस विभाग में सुधार हो जायगा क्योंकि वह बहुत ही सख्त आदमी हैं और कुछ थोड़ा बहुत होता भी दिखाई दिया लेकिन कुछ सुधार आने के बाद एक बाढ़ सी अब चोरी और डकैती की प्रदेश में आ गई है। इसका कारण यह है कि कुछ अफसरों को इनके समय में तरक्की दी गई और कुछ अफसरों को उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया। इस बारे में अभी मतभेद चल रहा है। यही नहीं बल्कि ऐसा किया गया जो अच्छे अफसर थे उनको सजा दी गई और जो बदनाम अफसर थे उनको अच्छे स्थानों पर बदल दिया गया। जो अच्छे अफसर थे उनको वहां से हटाकर कालापानी भेज दिया गया। यह उनको सजा दी गई।

हमारे यहां एक एस० पी० थे। बहुत ही अच्छा काम करने वाले थे। सभी लोग उनको मानते थे और उनके काम की तारीफ करते थे लेकिन अब उनको वहां से हटाकर कालापानी भेज दिया गया है क्योंकि वे अच्छा काम करते थे। जो खराब काम करने वाले थे उनको हमारे सिर पर मढ़ दिया गया है। इसी तरीके से एक-तिहाई व्यक्तियों का तबादला किया गया। ऐसी क्या शिकायत उनकी आ गई थी जिससे इस प्रकार किया गया और उन लोगों को यक-बयक तबादला कर दिया गया? यह सारी चीजें आज के गरीबों के ऊपर की जा रही हैं। वहां पर जो एक अच्छा वातावरण चल रहा था उसको इस तरह से खत्म कर दिया गया।

पुलिस के बारे में मैं यह शिकायत करना चाहता हूं और हमारे गृह मंत्री जी इसको नोट कर लें कि एक ५५ साल का बुड्ढा जिसका नाम पांचू है वह जाति का खटिक है और भेरुपुर, मौजा बकठौरवां का रहने वाला और थाना इंटियाथोक का था, उसके ऊपर ११० का मुकदमा चलाकर उसको बन्द कर दिया गया। वहां पर उसके नाम कई रिपोर्ट्स लिखाई गईं ताकि उसको बन्द किया जा सके। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। अगर वह इस काबिल हो और सजा के मुस्तहक हो तो उसको ११० में जरूर सजा मिलनी चाहिये और अगर वह इस काबिल नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिये। उसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उसके यहां १०० सुअर हैं, बैल, भैंस और गाय सभी हैं। उसके पास ७० बीघा जमीन है। उनके ५ लड़के-लड़की हैं। नाती-पोते सभी उसके पास हैं लेकिन पार्टी-बन्दी की वजह से उसके ऊपर ११० का झूठा मुकदमा लगाकर उसको बन्द कर दिया गया। यह शिकायत आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी उचित रूप से जांच होनी चाहिये। प्राइमरी अध्यापकों के लिये जो तनख्वाह आपने बढ़ाई है वह एक स्वागत योग्य कदम है और यह खुशी की बात है, लेकिन उनको कई स्थानों पर चार चार और छः छः महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। इसके लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उनको समय से उनकी तनख्वाह मिल जाया करे। गोंडा में राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल में इन्टरमीडिएट क्लास खोल दिया जाय, जिससे बालकों की तकलीफ दूर हो।

हरिजनों में अपराधशील जातियों की संख्या १६ लाख है और उनके बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिये सरकार ने एक स्कूल लखनऊ में और एक हरिद्वार में खोला है। एक स्कूल गोंड़ा में खुलने वाला था लेकिन अब सुना है कि वह गोरखपुर में खुल रहा है जब कि गोंडा में तुलसीपुर, पंचपेड़वा के पास उनको ५, ६ सौ बीघा जमीन भी उसके लिये मिल रही थी। वहां अपराधशील जातियों के बच्चे भी काफी तादाद में हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि वह स्कूल गोंडा में ही खोला जाय तो ज्यादा बेहतर होगा।

बिजली के संबंध में यह निवेदन है कि सरकार जो नलकूपों को बिजली देती है वह केवल उसी समय काम आती है जब कि नलकूप चलते हैं। यदि चक्की अथवा किसी और काम के लिये बिजली मांगी जाय तो कनेक्शन आसानी से नहीं मिलता। हमारे यहां जो छोटे-छोटे बाजार हैं उनमें अगर लोगों को बिजली दे दी जाय तो वहां उद्योग आसानी से चल सकते है और लोगों को काम मिल सकता है। इस ओर मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान जाय।

माननीय बलदेव सिंह जी ने शराबबन्दी का जिक्र किया और कुछ आंकड़े पेश किये। वे आंकड़े सही हैं। आज शराब पहले से जैसे ज्यादा नाजायज तौर पर बन रही है। और उसका कारण यह है कि शराबबन्दी के लिये जैसे कदम सरकार को उठाने चाहिये उतने सख्त कदम वह नहीं उठा पा रही है। कानपुर में शराबबन्दी है। लेकिन वहां हालत यह है कि आपको घर घर में शराब मिल सकती है। अगर सख्ती से शराबबन्दी सरकार नहीं करा सकती तो उसे चाहिये कि कानपुर से वह शराब बन्दी उठा ले। ऐसा करने से सरकार को कई लाख का फायदा हो सकता है। आज वहां शराबबन्दी से केवल पुलिस और एक्साइज वाले

[श्री गंगाप्रसाद]

मालामाल हो रहे हैं। अगर कानपुर से मद्यनिषेध उठा लिया जाय तो सरकार को लाखों का फायदा हो सकता है। अगर मद्यनिषेध उसे करना ही है तो उसे तीर्थ स्थानों में करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त हो गया।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह**---मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी, दूसरी हो गयी और अब तीसरी मे हम पदार्पण कर रहे हैं। पिछले दस सालों में अरबों रुपया खर्च करने के बाद, जब करों से हमारी कमर टूट चूकी है, ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सरकार की नीतियों की ओर दिलाना चाहता हूं। जो पर कैपिटा इन्कम १९५०-५१ में २५५ थी, वह १९५९-६० में २५५.३ हो गयी। मैं आज यह जानना चाहता हूं कि जो भी दुनिया के देश हैं उनमें उन्नति को नापने का कौन सा माप दन्ड है? परकैपिटा इनकम सन् १९५०-५१ के मुकाबले में आज घटी है, बढ़ी नहीं है। अगर १७ फीसदी नैशनल इनकम में वृद्धि हुई है, तो आबादी भी उसी अनुपात में बढ़ी है। अगर उत्तर प्रदेश में टोटल इन्कम में कोई बढोत्तरी हुई है तो उसकी जन संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के जो मंत्री रहे हैं, जो इसके पहले रहे हैं या जो आज हैं वे यह बतायें कि क्या वे यह नहीं समझते थे कि जन-संख्या में भी वृद्धि होगी? क्या वे मासूम बच्चे थे? क्या वे इस बात को उस समय नहीं समझते थे? आदि काल से ही जब इस सृष्टि में स्त्रियां और पुरुष हैं, बच्चे अवश्य पैदा होंगे, आबादी अवश्य बढ़ेगी।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस आबादी के रोकने के लिये आज जो भी कदम आपने उठाये हैं, फैमिली प्लानिंग की जो भी स्कीम आपने चालू की हैं, उसको १० वर्ष पूर्व क्यों नहीं चालू किया? उस समय आप क्यों सोते रहे? इस बात का ध्यान आपको उस समय क्यों नहीं आया? परिवार नियोजन आज से १० साल पूर्व होना चाहिये था। मगर इसके लिये उनको क्या समझाने की जरूरत है जिनकी कि उम्र ही पास हो चुकी है? वे इसको क्या समझेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप समझते हैं कि वन में रहने वालों की भी आबादी बढ़ी है?

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, मैं देहात का रहने वाला हूं, वहां के बारे में ही बता सकता हूं। इसका उत्तर तो माननीय वन मंत्री महोदय ही दे सकते हैं।

अब मैं कृषि के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ८० प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। मैं उनकी इस बात को स्वीकार कर लेता हूं। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने ७४ फीसदी बतायी थी, इसमें कोई फर्क नहीं.....

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---७४ प्रतिशत मैंने पहले की बतायी थी, अब ७९ प्रतिशत है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माननीय मंत्री जी की ही बात को माने लेता हूं। तो मैं यह कहूंगा कि कृषि में तब तक कोई उन्नति नहीं हो सकती जब तक कि आप किसानों को आवश्यक सुविधायें प्रदान न करें। आप उनको वह सुविधायें दीजिये जिनकी कि उनको जरूरत है। खेती में तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक कि आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे। जब तक कृषि में सुधार नहीं होगा, तब तक इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार नहीं हो सकता।

मैं, श्रीमन्, यह मानता हूं कि कृषि में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनसंख्या में भी उसी प्रकार वृद्धि नहीं हुई?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह भी माने लेता हूं कि १४ लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई हुई। परन्तु जब तक किसान प्रति एकड़ अधिक अन्न नहीं उपजा पाता उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधेरगी । आपके बी० डी० ओ०, डी० पी० ओ० और प्लानिंग कमिश्नर की बातों पर किसान को कोई आस्था नहीं है । किसान को अगर आप मालगुजारी अबवाब और किसी चीज की छूट दीजिये तो बात उसकी समझ में आयेगी और उससे वह प्रोत्साहित होगा। मैं तो समझता हूं कि अगर माननीय वित्त मंत्री दो करोड़ रुपये की छूट दिये होते तो उससे गल्ले की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता था लेकिन आप तो कृषि विभाग ने जो दो करोड़ रुपये की छूट दे रखी थी उसको और कमाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक प्लानिंग कमीशन नहीं हजार प्लानिंग कमीशन भी कुछ नहीं कर सकते हैं । उनको अन्त में मानना पड़ेगा कि आपके भाषणों, आपकी जीपों और साहबों के कोट पतलून का कोई भी असर किसान पर नहीं पड़ता है । आपके आई० सी० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स से किसान प्रभावित होने वाला नहीं है । वह तो चाहता है कि उसको लगान, अबवाब और सिंचाई की दरों में छट मिले। मान्यवर, जिस खजुराहट के इलाके से मैं आता हूं उसी इलाके से आप भी आते हैं और आप जानते हैं कि वहां पर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स पर १८ लाख रुपया सर्फ हुआ लेकिन उससे कोई भी अन्तर नहीं हुआ है।

मान्यवर, सहकारी खेती के बारे में मेरे माननीय दोस्त ने इजराइल की बातें बताईं। हमारे माननीय नेकराम शर्मा जी इजराइल गये थे। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सहकारी खेती का नारा भयंकर नारा है जिस प्रकार से कि मौजूदा गृह मंत्री पहले चकबन्दी का नारा दिया करते थे, यह नारा आपका चलने वाला नहीं है। बीकापुर तहसील में एक बच्चा भी चकबन्दी नहीं चाहता है लेकिन जबर्दस्ती चकबन्दी लादी जा रही है। आपकी जिस पालिसी में जनता की आस्था न हो वह कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, मैं इस थोड़े से समय में कुछ शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं। मौजूदा वित्त मंत्री भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं इसलिये वह मेरी बातें अच्छी तरह से समझ सकेंगे । मान्यवर, मैंने माना कि बुराइयां हैं। ब्रिटिश हुकूमत के बारे में तो कहा जा सकता था कि इस देश में उन्होंने अच्छे बाबू पैदा किये लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सामने राधाकृष्णन् रिपोर्ट है, आचार्य नरेन्द्रदेव रिपोर्ट है और मूथम रिपोर्ट है और साथ ही साथ एक दूसरा कमीशन भी यूनिवर्सिटियों के सम्बन्ध में बैठाया गया है लेकिन आज का बाबू बाबू भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज एम० ए० पास बाबू अंग्रेजी में प्रार्थना-पत्र भी नहीं लिख सकता है जबकि इंग्लिश उसका सब्जेक्ट रहा हो। आप बराबर स्कूल खुलते चले जा रहे हैं अस्पताल खुलते जा रहे हैं लेकिन स्कूल में बैठने के लिये जगह होनी चाहिये। हां, आपने चार रुपये की प्राइमरी मास्टर की तनख्वाह में वृद्धि की उसके लिये आप बधायी के पात्र हैं। उससे इनको कुछ सहूलियत जरूर मिलेगी ।

मान्यवर, यह सरकार पिछले १४ सालों से हुकुमत करती चली आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बेरोजगारी को दूर करने में कहां तक सफल हुई है ? पहली दो योजनाओं के बाद अब तीसरी पंचवर्षीय योजना आ रही है लेकिन हमारे पास बेरोजगारी दूर करने का कोई हल नहीं है। लगातार पढ़े-लिखों और मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है २ सौ अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर्स नहीं हैं। आज तनख्वाह बढ़ाने के लिये सोचा जाता है लेकिन इससे क्या गारन्टी है कि डाक्टर्स उनके लिये मिल ही जायेंगे और अगर यही औषधि थी तो आज तक क्यों नहीं उन अस्पतालों के लिये डाक्टर्स मुहइया किये गये ? यह कहां कि दूरदर्शिता है इस सरकार की कि इन २ सौ अस्पतालों को बिना डाक्टर्स के आज तक रखा गया ।

जहां तक टैक्स से आमदनी की बात है २ करोड़ सिंचाई टैक्स से मिल जायेगा। उसके बाद सेल्स टैक्स में रद्दोबदल हो जायगा गो कि उसका असर भी हम कंज्यूमर्स

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

पर ही पड़ेगा । साथ ही साथ डीजल से और शराबों से टैक्स मिलेगा । मैं निर्भयता के साथ कहना चाहता हूं कि या तो सारे ५४ जिलों में प्राहिबिशन होना चाहिये और नहीं तो १२ जिलों में शराब बन्दी करके वहां के लोगों के स्वास्थ्य को क्यों नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं ? स्वतंत्र पार्टी के सदस्य अभी कह रहे थे कि वे शराबबन्दी से बचत को पसन्द नहीं करते । हिन्दुस्तान में ही शराब नहीं बरती जाती । अमरीका में और फ्रांस में सब जगह बरती जाती है ।

एक सदस्य—यह तो पीने के ढंग पर है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—फर्क इतना ही है कि कुछ लोग बाथरूम में पीते हैं और कुछ एलानिया पीते हैं । खैर ।

बड़ा नक्कारा पीटा जा रहा है कि ५२ लाख रुपये की किफायतशारी की जा रही है । माननीय श्रीपालसिंह जी कह रहे थे कि ७ करोड़ रुपया बचाया जा सकता है और किफायतशारी से काम किया जाय । लेकिन यह किफायतशारी उसी तरीके की है जैसे ताल्लुकेदारों, जमींदारों और राजाओं के जमाने में कोयलों पर मुहर लगती थी और मुहरें लुटायी जाती थीं । मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि बंगला मिनिस्टर साहब क्यों रखें, मोटरें क्यों रखते हैं या वह कुंवारें क्यों नहीं रहते कुछ लोगों की तरह से, मैं इस दलील से कतई सहमत नहीं हूं लेकिन और किफायत करना है तो ठीक करना होगा । उस किफायतशारी को पूरा करने के लिए साढ़े ८ करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है । लेकिन यह फर्जी घाटा है, यह सरप्लस हो जायगा जैसा कि हम पिछले सालों में देखते चले आ रहे हैं कि घाटे का, डेफीसिट बजट सरप्लस होता जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि फायनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है या तो टैक्सेशन करने के लिये उन्होंने नीति बना ली है कि डेफीसिट को दिखाकर के टैक्स को बढ़ावें अन्त में उनकी लियाकत होगी, भले ही कुछ लोग इसे लियाकत न मानें, कि साल के अन्त में सरप्लस होगा और ५।। करोड़ रुपया इकानामी से बच सकता है । हमारे मुख्य मंत्री जी हिसाब किताब में जरूर दक्ष हैं और जहां तराजू मार दी जाती है तो क्या १ अरब ५४ करोड़ के बजट में ५।। करोड़ रुपये की बचत होना कोई कठिन है ? नहीं है ।

लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बढ़ती जा रही है । मेरी सरकार को चेतावनी है कि नौकरशाही हर साल अधिक शक्तिशाली होती जायगी । कारण यह है कि दिमाग उनका है, काम जानते हैं और हिन्दुस्तान की सर्विसेज अभी ऐसी काबिल नहीं हैं कि उनको इतना शरीफ समझा जाय कि उनके किये की नेकनामी आपके सिर चली जाय । यह हमारा कसूर है कि हम कलेक्टर और कमिश्नर के यहां ही ही करते पहुंचते हैं । हम उनके सामने भिक्षा मांगने जाते हैं । अगर मिनिस्टर अपने पोर्टफोलियो को समझता है तो यह तमाशा रुकेगा वरना नहीं ।

विकेन्द्रीयकरण की बात भी आई । बलवन्तराय मेहता रिपोर्ट से लेकर और उसके पहले भी, कम्यूनिटी डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन भी किया गया और यह मालूम हुआ कि इसमें कोई फायदा नहीं है । हम कहते कहते थक गये और वह भी वादे करते करते थक गये, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करा देंगे लेकिन वह नहीं हो पाया और अन्तरिम जिला परिषदें जो कि चन्द दिनों के लिये थीं, हमारे ऊपर लादी जा रही हैं । अगर यही हाल रहा तो पंचायतें और म्युनिसिपल बोर्ड वगैरह का क्या होगा ? भले ही मंत्री महोदय की आस्था विकेन्द्रीयकरण में हो लेकिन जिले का कोआपरेटिव अफसर कोआपरेटिव के नाम पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है । यह ठीक है कि माननीय चरणसिंह के आने पर पुलिस में कुछ चमक-दमक आ गई हो लेकिन शायद आपको भी जानकारी न हो कि एक एडीशनल आई० जी० पी० बनाया जा रहा है । यह किसलिये ? क्या पुलिस डिपार्टमेंट में बैलेंस आफ पावर किया जा रहा है ? मुमकिन है उनकी खफगी मुझसे हो लेकिन मुझे पुराने माल मंत्री से कोई खफगी नहीं है और जब्र तक यह मनोवृत्ति नहीं बदलती है मैं उसका विरोध करता हूं ?

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। इस बजट में कुछ बातें ऐसी है जिन पर हम वित्त मंत्री जी को बधाई दे सकते हैं। अध्यापकों को ४ रुपया बढ़ोतरी करके राहत दी गयी, देहात में कार्य करनेवाली अध्यापिकाओं को कुछ सुविधायें दी गयीं, डाक्टरों के वेतनक्रम में कुछ बढ़ोतरी की गयी, और बहुत-सी ऐसी बातें हैं। इसके अलावा भी इसमें किफायतशारी का हवाला दिया गया है। किफायतशारी होनी चाहिये। लेकिन जो किफायतशारी दिखायी गयी है उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। डेढ़ अरब के बजट में हम कुछ लाख रुपया बचाकर किफायतशारी का दावा करें, यह कोई उचित बात नहीं है। इतने बड़े बजट में करोड़ों रुपये की बचत करने की आवश्यकता थी।

आज जिला स्तर पर इतने अधिकारी भरे हुए हैं कि उनके पास काम नहीं है। प्रोबेशन अधिकारी, उद्योग अधिकारी-समाज कल्याण, हरिजन कल्याण और न जाने कौन कौन से अधिकारी वहां भरे पड़े हैं। इंसपेक्टरों की लाइन ही लगी हुई है। इन तमाम विभागों को मिलाकर एक या दो के अधिकार में किया जा सकता है। इसी प्रकार से ब्लाक के स्तर पर ८-८ ए० डी० ओज० भरे पड़े हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि जीप में बैठकर इधर उधर घूम आते हैं।

एक काम रखा गया है ग्रामीणों को टेक्निकल सहायता देने का। उसके लिये एक ओवरसियर की नियुक्ति की गयी। बंधी, पुलिया, सड़क, पंचायतघर आदि बनाने के लिये जो अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है उसके बनाने की सलाह देने के लिये ओवरसियर रखा गया है। दो पंचवर्षीय योजनायें निकल गयीं लेकिन ओवरसियर की आवश्यकता नहीं हुई। अब वह रखा गया है। जब वाउचर बनता है तो उसमें से वह अपना प्रतिशत मांगता है। इसके कारण निर्माण कार्य करने वालों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गयी है। बजाय उसके पी० डब्यू० डी० के ओवरसियर को लगा दें लेकिन उसको भी अनिवार्य न किया जाय। बहुत से बिलों को साल साल डेढ़ डेढ़ साल हो गया, इन ओवरसियर महोदयों के कारण पास नहीं हो पाये।

देहात में सेनीटरी इंसपेक्टरों की भी नियुक्ति की गयी है। शहरी इलाकों में तो उनकी आवश्यकता होती है लेकिन देहात में उनकी क्या आवश्यकता है? कोई हल्दी भरता है, कोई चना तो कोई धान भरता और कोई किसान सेर आध सेर घी लेकर अपने बच्चों का पेट काटकर दूसरी चीजें लेने मंडी में आता है तो उससे कहता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। विक्रेता के पास लाइसेंस हो, यह बात तो समझ में आती है लेकिन उत्पादक, जो अपने बच्चों के मुंह से बचाकर अपनी दूसरी जरूरत की चीजों को लेने के लिये बाजार में चीजें लाता है, उससे लाइसेंस मांगा जाय, यह अजीब बात है। यह आपका सेनीटरी इंसपेक्टर काम करता है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि ओवरसियर और सेनीटरी इंसपेक्टरों की गांवों में कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि विभाग की ओर से खाद बांटी जाती है। आज खाद की दशा क्या है? अगर खाद के बारे में किसानों को समझा दिया जाता कि उससे क्या क्या लाभ है, उससे अन्न की ज्यादा पैदावार बढ़ जायगी तो किसान उस खाद को लेने की कोशिश करते लेकिन आज हालत यह है कि खाद तो ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं और आंकड़ा में दिखला दिया जाता है कि फलां ब्लाक में इतनी खाद बांट दी गयी। खाद बांटने का काम सेक्रेटरीज और वी० एल० डब्ल्यू० के जिम्मे कर दिया गया है और ऐसी मिसालें तक मिली हैं कि सेक्रेटरी और वी० एल० डब्ल्यू० की तनख्वाह तक से खाद के रुपये काट लिये गये क्योंकि आज तक उसे किसान उठा नहीं सके। इसलिये जरूरत इस बात की है कि किसानों को खाद का उपयोग अच्छी तरह से समझाया जाय। आंकड़े में भले ही दिखला दिया जाय कि इतनी खाद बांट दी गयी या इतनी पैदावार बढ़ गयी लेकिन प्रत्यक्ष वहां ऐसी कोई चीज नहीं है।

अभी अधिकारी वर्ग की बहुत बात कही गयी कि वे दो-दो और तीन-तीन सौ रुपये तक विशेष भत्ता लेते हैं जब कि एक तरफ गरीब अध्यापकों की ४ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का विशेष भत्ता तो बन्द कर ही देना चाहिये, इसके साथ ही साथ

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

मैं सरकार का ध्यान उन अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से वे जिले के अन्दर बिना अंकुश के हाथी की तरह मदांध होकर काम किया करते हैं। आपको बताऊं कि हमारे जिले झांसी में एक फारेस्ट आफिसर ने किसानों की एक झोपड़ी में आग लगा दी और उन किसानों पर मुकदमा चलाया ३७९ का, जंगल की चोरी करने का और जबरदस्ती जमीन जोत डालने का। वह मुकदमा खारिज हो गया। वहां के सेटिलमेंट अफसर ने अगस्त में उस केस को खारिज कर दिया। मैंने इस सदन में उस मामले को उठाया था कि इसकी जांच की जाय और एक उच्च स्तर पर जांच की जाय। उस वक्त तत्कालीन वन विभाग के मंत्री ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। फिर मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की सेवा में गया और उनको प्रार्थना-पत्र दिया तो उन्होंने भूतपूर्व सभा सचिव श्री महमूद अली खां को इसके लिये नियुक्त किया। वे २ अप्रैल, ६० को वहां जांच करने के लिये गये और जब जांच के बाद मैंने उसका परिणाम जानने का प्रयत्न किया और एक प्रश्न के द्वारा यहां पूछा तो जवाब मिला कि जांच की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है। मैंने कहा कि जनहित में नहीं है विभागीय अधिकारियों के हित में नहीं है, तब बताया गया कि अनेक विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध है। विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है और होने वाली है। उसका भी आज तक पता नहीं कि क्या कार्यवाही हुई। तो आज सरकार की मनोवृत्ति क्या है? इस सरकार का चौकीदार और पटवारी तथा उच्च से उच्च अधिकारी जो अपनी कलम से लिख देता है वही निर्विवाद सत्य है उसकी बात को कोई नहीं काट सकता है। आज यह विडम्बना है कि इस प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमारे रहनुमाओं को यकीन नहीं है।

एक बात मैं और सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखंड की दशा बहुत ही खराब है। वहां बेकारी है और रोज बरोज आजकल हजारों की तादाद में चैतुआ झांसी के चारों तरफ मध्य प्रदेश व कानपुर जिलों में चैत की फसल काटने के लिये जाते हैं। रेलवे ने विशेष मेहरबानी करके उनके आवागमन की सुविधा के लिये कुछ बोगियां जोड़ने का प्रबन्ध किया है। वे लोग दो महीने के लिये अपनी सारी गृहस्थी लेकर चैत काटने के लिये जाते हैं और उसी के जरिये उनको खाना मिलता है। होली और रामनवमी जैसा त्योहार भी वे अपने घरों में नहीं मना पाते हैं क्योंकि उनको त्योहार की नहीं पड़ी रहती है उनको तो अपने पेट की पड़ी रहती है। मोटर वाले आजकल उनसे आवागमन के लिये अधिक पैसा चार्ज करते हैं जिससे वे अपने बाल बच्चों को लेकर तथा अपने सामान को अपने-अपने सर पर रख कर ही जाते हैं। इन तमाम मुसीबतों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अभी हमारे यहां लोक लेखा समिति और पुलिस आयोग के माननीय सदस्यों को जाने का अवसर मिला था। माननीय नारायण दत्त जी जो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, वह यहां उपस्थित नहीं हैं और डिप्टी मिनिस्टर दुबे भी नहीं हैं, उन्होंने जब वहां की दशा देखी थी तो कहा था कि इस क्षेत्र में सिवा इसके कि औद्योगीकरण किया जाय और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है, यहां का उद्धार तभी हो सकता है जब वहां गृह उद्योग तथा बड़े-बड़े उद्योग पनपाये जायें। परन्तु उधर सरकार का ध्यान नहीं गया है, पिछले सालों में दस पांच लाख रुपया अवश्य लघु उद्योगों के नाम पर वहां कर्ज के रूप में बांटा गया लेकिन उसकी भी वहां बड़ी दुर्दशा हुई। हम बड़ा धन्यवाद देंगे सरकार को अगर वह साबित कर दे कि वहां जो लाखों रुपया बाटा गया है उसमें से १५-२० प्रतिशत भी सही उपयोग में लाया गया हो। जितने प्रतिशत में कह रहा हूं शायद उतने का भी उपयोग सही दिशा में नहीं हुआ होगा। जो लोग लेते भी हैं उनका मतलब यह होता है कि यहां ब्याज ४-६ प्रतिशत का देना होता है और वह उसे दूसरों को २ रुपया सैकड़ा या २४ प्रतिशत के ब्याज पर देते हैं और लाभ उठाते हैं। इस प्रकार का

उद्योग उस रुपये से हो रहा है। जो कर्मचारी विभाग के हैं वह भी उसकी वसूली की परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह समझते हैं कि अगर यह सब वसूल हो जायगा तो सब काम समाप्त हो जायगा और उनका पद समाप्त हो जायगा।

किफायतशारी के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप एक गैर सरकारी समिति बनायें और उसमें उन लोगों को रखें कि जो वित्त के काम में ज्ञान रखते हैं। इस अफसरशाही से सभी निजात मिल सकती है क्योंकि कोई भी हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट ऐसा नहीं है कि जो अपने विभाग से चपरासी से लेकर क्लर्क तक किसी को भी हटाना चाहता हो। इसलिये मेरा सुझाव है कि वित्त मामलों में किफायतशारी के लिये वित्त विशेषज्ञों की एक गैर सरकारी समिति बनायें और उसके द्वारा परीक्षण कराया जाय कि कहां-कहां किफायत हो सकती है।

अभी हमारे साथियों ने कहा कि सिचाई कर की छूट जो समाप्त की जा रही है उसका असर सन् ६२ के चुनाव पर बुरा पड़ेगा। अगर हम सन् ६२-६३ की बात सोचते हैं तो बहुत गलत बात है, इस तरह से हम धोखा देते हैं, मुगालता देते हैं अपने मतदाताओं को जिन्होंने हमें यहां भेजा है। हमें तो जो उचित है, जो न्याययुक्त है वही करना है, हमें ६२-६३ के चुनाव को देखकर कोई निश्चय नहीं लेने हैं।

शराब के बारे में मैं कहूंगा कि हमारे यहां दुकानें बढ़ती जाती हैं तो मद्यनिषेध विभाग की क्या जरूरत है, जब आय बढ़ रही है तो शराबबन्दी की क्या जरूरत है? मुझे एक बार एक मद्य-निषेध सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर मिला, उस सम्मेलन का उद्घाटन डिवीजन के बड़े अधिकारी ने किया था। मेरे पास एक बड़े डिवीजनल अफसर बैठे थे, वह बार बार अपने मुंह पर रुमाल लगाते थे और उनके मुंह से शराब की गन्ध फिर भी आ रही थी, मैं भी परेशान था और नतीजा यह हुआ कि थोड़ी देर में वह उठकर चले गये। इस ढोंग की क्या जरूरत है? गांधी जी ने इस विषय में कहा था कि "राज्य का यह कोई कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपनी प्रजा की कुटेवों के लिये अपनी ओर से सुविधायें दे। हम वेश्यालयों को अपना व्यापार चलाने के लिये अनुमति-पत्र नहीं देते। इसी तरह हम चोरों को अपनी चोरी की प्रवृति पूरी करने की सुविधायें नही देते। मैं शराब को चोरी और व्यभिचार दोनों से ज्यादा निन्द्य मानता हूं। क्या वह अक्सर इन दोनों बुराइयों की जननी नहीं होती?" यह गांधी जी के शब्द हैं।

एक जगह है "मैं भारत को गरीब होना पसन्द करूंगा लेकिन मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराबबन्दी जारी करने के लिये लोगों को शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं। मैं यह कीमत चुका कर भी शराब-खोरी बन्द करूंगा।" तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, यह समाजवादी कही जाने वाली सरकार का साल ब साल जो बजट आता है उनको देखते हुये और इस बजट को देखते हुये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट काफी अनियमितताओं से भरा रहता है और उसमें सोच-समझ कर कोई तहरीर नहीं दी जाती। बजट का ठीक से तखमीना नहीं किया जाता और न ब्योरेवार खर्च की मदें ही दिखाई जाती हैं। आकस्मिक व्यय की जो मद दिखाई जाती है उसके बारे में मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह आकस्मिक व्यय जो हर अनुदान में दिखाया जाता है उसी में गड़बड़ घुटाला होता है। बहुत बड़ी रकम इस तरीके से रख दी जाती है और वह हर मद में रख दी जाती है।

पिछले सालों में आप देखेंगे तो सन् ५९–६० में १ अरब २१ करोड़ का जो बजट था उसमें १२ करोड़ का आकस्मिक व्यय रखा गया था। आज हमारा बजट सन् ३६–३७ के बजट से बढ़कर १२–१३ गुना हो गया है। आपने जो टैक्स लगाया और जो रुपया मांगा वह किसी न किसी तरीके से वसूल तो हुआ ही है लेकिन आज जनता में यह चर्चा है कि

[श्री बुद्धीसिंह]

हमारे रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। जिस अनुपात से काम होना चाहिये, जिस जोश के साथ होना चाहिये, वह नहीं हुआ है।

अबकी जो आपकी आडिट रिपोर्ट है उससे भी बहुत शंका बढ़ रही है। इस आडिट रिपोर्ट में करीब-करीब ५० करोड़ के गड़बड़-घुटाले की बात है। उसमें यह दिखाया गया है एक जगह कि राजस्व नियमों के फलस्वरूप ४३ लाख रुपये की छीज हुई है। मैं उस छीज का मतलब नहीं समझा कि रुपये में कैसे छीज होती है। धान का चावल निकालने में भूसी हो सकती है लेकिन रुपये की छीज का जो मैंने शब्द पढ़ा इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। प्रतिवेदन में यह भी जिक्र है कि ४३ करोड़ ४४ लाख रुपये के जो खर्चे के तखमीने दिखाये गये हैं उसमें स्टाम्पशुदा रसीदों का ही पता नहीं है। इसी तरह से बिजली विभाग में ४० लाख का गड़बड़ है, ४० लाख का सिंचाई विभाग में, बाढ़ की मदों में २७ लाख का है। कहीं-कहीं ऐसा भी है कि सरकार ने सामान खरीदा, कीमत पहुंच गई, मशीनें आ गईं, मगर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और उनपर खर्चा पूरा पड़ गया और वह मशीनें खराब हो गईं। यह हालत एक विभाग की नहीं है। तमाम विभागों में यही हालत है।

टेक्निकल स्कूल, बहजोई का मैं जिक्र कर दूं। मैंने इसी सदन में जिक्र किया था। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि आपको होश नहीं है, आप देख नहीं पाते कि कहां गड़बड़ है, लेकिन हम कहीं इत्तला दें और चोरियां पकड़ लें आपकी या सरकार के किसी अधिकारी की या आपके उन दोस्तों की जो कांग्रेसी कभी नहीं थे और आज कांग्रेस में ओहदेदार बने हुये बैठे हैं, बड़े-बड़े कांग्रेस पूंजीपति हैं---टेक्निकल स्कूल, बहजोई का मैं हिसाब पूछना चाहता था। माननीय जगमोहनसिंह नेगी जी ने कहा था कि उसमें ८२,००० रु० का गड़बड़ है। वह प्राइवेट टेक्निकल स्कूल है। फिर मैंने कई चिट्ठियां लिखीं, कि इस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दें और इस स्कूल को कायम रखें लेकिन एक सरकारी कमेटी बना दें जिसमें सरकारी और गैरसरकारी आदमी रहें। लगभग २ साल से मशीन पर सील है और अभी तक बरसात, जाड़ा गर्मी में पड़ी हुई है। स्कूल तो वहां से तोड़ दिया लेकिन यह नहीं बताया कि वह पूंजीपति जिन्होंने ८२,००० रु० सरकार से लिया था उसको वापस करेंगे या नहीं? अतः आप ऐसे लोगों से तो वसूल नहीं करते हैं क्योंकि यह कांग्रेस मन्डल कमेटी, जिला कमेटी के मेम्बर हैं। यह मैंने अपने यहां की घटना बताई।

इसी तरह से तमाम विभागों में गड़बड़ घुटाले से इतनी अशांति है, वैसे सरकार रुपया देने में कमी नहीं करती है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपका उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना, सिद्धान्त हम समझते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवादी समाज का रिजोल्यूशन पास हुआ बगैर किसी तर्क के और आधार पर बड़ी आसानी से पास हो गया। लेकिन पूज्य आचार्य नरेन्द्र देव के समाजवाद और आपके समाजवाद में, वास्तविक समाजवाद में जमीन आसमान का अन्तर है क्योंकि व्यक्तिगत मिल्कियत के जो हामी हैं उनसे आप दबते हैं, वही आपकी सहकारिता की नीति का विरोध करते हैं। हमको यह देख कर बड़ा दुख होता है कि आप उनको टोक नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि सहकारिता सिद्धान्त के मूल्यों को समझ कर लागू करें और जो व्यक्ति सहकारिता और समाजवाद की वास्तविक मुखालिफत करते हैं उनका मुकाबला करें।

अभी गृह मन्त्री जी ने उस दिन जिक्र किया मुरादाबाद में दंगे का कि एक सम्प्रदाय के लोगों ने कराया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो कहना था वह उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में इन ज्यादतियों को और इस तरह की शरारतों को रोकने की हिम्मत नहीं है। मुरादाबाद का झगड़ा बिलकुल एक सम्प्रदाय द्वारा हुआ, मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसी चीजों को भी नजरअन्दाज नहीं करेगी।

मैं आजकल एम० एल० ए० हो जाने के बाद चन्दौसी में रहता हूं और जब अपने इलाके से घूम कर जाता हूं तो आये दिन देखता हूं कि चन्दौसी की सड़कों पर मल्ल युद्ध होता है, जनसंघ के लोगों में और कांग्रेस के लोगों में और खुले आम पिस्तौलें चलती हैं. नींद हराम हो जाती है। लोग मुझसे कहते हैं कि यह अशांति २४ घंटे रहती है और यह तमाम आपके दोस्तों द्वारा होता है जो अपने को कांग्रेसी कहते हैं और संस्था में पदाधिकारी हैं। मुझे इन बातों से बड़ा दुख होता है। बार-बार कहने की मेरी आदत नहीं है। मेरी पार्टी से कभी कभी मुझे साल में बोलने की इजाजत मिलती है अतः अनुशासन में रहते हुये बोलता हूं।

सूबे में ५ करोड़ आबादी, किसानों, मजदूरों उत्पादन कर्ताओं और निर्माण कार्ताओं की है जिनकी आपने पिछले सालों में उपेक्षा की है क्योंकि वह लोग आज देहात में रहकर मौत की सांस ले रहे हैं। किसानों के चार वर्ग करके आपने आपस में ऐसे बीज बो दिये कि बगैर भूमिधर की जमानत के तकावी नहीं मिलेगी। फिर तकावी लेने वाले किसान के दो जोड़ी तो जूते टूट जाते हैं तहसील में जाते जाते। जहां तक विकास खंडों का ताल्लुक है आप देखें कि तहसील के तथा विकास खंडों के जो अधिकार तथा कर्मचारी हैं उनमें तारतम्य नहीं मिल रहा है। एक तकावी की दरख्वास्त जाती है तो तहसील कर्मचारी २०, २५ रुपये उसमें खा लेते हैं। आपका ग्राम सेवक दरख्वास्तों को लेकर जाता है उसकी तो परवाह नहीं की जाती। फिर ग्राम सेवक ९० फीसदी ऐसे नियुक्त किये गये हैं जिनको कोई देहाती समस्या का ज्ञान नहीं। कालेज से निकले और महीने, दो महीने की ट्रेनिंग देने के बाद आपने उनको तैनात कर दिया। आपने पिछले वर्ष में जो अनुदान दिये हैं उनके मुताल्लिक में यह सोचता हूं—

धान के खेतन में न परे जल लेकिन ऊसर पर बरसाये,
बाग बगीचन सींचन छांड़ समुद्र पर नीर उलीचन धाये,
सम्पति के पूरे अधूरे विवेक के दान के रूरे विधान बनाये,
मूसरचन्द के मूसल धार धड़ाधड़ ऊसर पे बरसाये।

करोड़ों अरबों रुपया उद्योग के नाम पर खर्च किये गये लेकिन आप यह देखें कि ५ करोड़ की जो प्रदेश की आबादी है उसके लिये आपने कितना दिया है। पिछले वर्षों का लेखा जोखा आपके सामने रहना चाहिये। मैं गांव का रहने वाला हूं। अपने घर का बजट बनाता हूं तो देख लेता हूं कि कितना खर्च करना है। असाढ़ में जमीन पर अगर हल चलाना है तो देख लेना है कि कितना गेहूं डालना है, कितना निराई में खर्च करना है, कै बैल चलाने हैं, लेकिन अगर क्वार में बैल बैठ जायें, गेहूं खत्म हो जाय, हम थक जायं और आमदमी न हो तो फिर क्या किसानी हमारी चल सकेगी? इसी तरह से राज काज की बात है। वह एक बड़ी बात है और घर की बात छोटी। अगर बजट बनाने में आप इस तरह की अनियमितताये करते हैं तो काम कैसे चल सकता है ?

ज्यादातर शिकायतें मैंने देखा आकस्मिक व्यय की हैं। हर अनुदान में आकस्मिक व्यय। यह क्या बीमारी है? मैं समझता हूं कि जब आपके अधिकारी चाहते हैं और जिस प्रकार से चाहते हैं व्यय करा लेते हैं और जब लेखा परीक्षक रिपोर्ट देता है तो कहीं–कहीं आपके खिलाफ कह देता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूं कि आप चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें, विद्युत के क्षेत्र में देखें, सहकारिता के क्षेत्र में देखें आप यह पायेंगे कि गबन की अनियमितताये बढ़ती गई हैं। इनकी आप जांच करें।

योजनाओं पर बहस करने के बजाय अच्छा हो अगर उन्हें असली जामा पहनाया जाय। हमारे देश के प्रधान मन्त्री जी कहते हैं जैसे कि कल नवल किशोर जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है। लेकिन दूसरी बात वह छोड़ गये जो पंडित नेहरू ने कही कि राष्ट्रीय आय बढ़ी है तो वह गई कहां? यह उन्होंने पिछले दिनों पार्लियामेन्ट में कहा

[श्री बुद्धीसिंह]

था। आप के उत्तर प्रदेश में तो फी कस आमदनी घटी है और देहाती तथा शहरी आमदनी में आज भी कितना अन्तर है। लिहाजा सब चीजें ठीक तरह से देखी जायें और पिछले तजुर्बे से फायदा उठाया जाय।

आप कहते हैं कि विकास से नक्शा बदला है। आपने पंचायतों को ५०० रुपये दीवानी में डिक्री का अधिकार दिया है लेकिन कागज दुरूस्ती का अधिकार नहीं दिया। यह तो मामूली बात है कि प्रधान के यहां वह कागज रखा रहे, प्रधान को वसूलयाबी का अधिकार हो तो आपकी दिक्कतें दूर हो जायं।

यह भी कहा गया था कि गांव में प्रत्येक ५ मील पर अस्पताल खुलेंगे लेकिन मेरे गांव में ८ मील पर भी कोई अस्पताल नहीं है। पारसाल ठाकुर साहब से भी कहा गया। बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी के स्वर्गवास के पश्चात् जब मैंने थोड़ा रुपया दिया और १०, १२ हजार रुपया रेडक्रास से मिल गया तो वहां पर एक प्रसूति केन्द्र बन गया। मैं चाहता हूं कि एक चिकित्सालय बन जाय लेकिन मुझे उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। मुझमें रोजाना मिनिस्टरों के यहां जाने की हिम्मत नहीं है या मैं जाना पसन्द नहीं करता। मैंने यह भी लिखा था कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, भीख मांगने की मेरी आदत नहीं है। ८ मील के फासले पर यह अस्पताल है। चाहता हूं कि एक मामूली अस्पताल बराबर में और खोल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरा दिन है कि हम सन् ६१–६२ के बजट पर आम बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इस बजट के हर पार्टी के मोहतरम मेम्बरों ने अपने-अपने नुक्ते खयाल से इजहारे राय किया है। कुछ लोगों ने इस बजट को तीसरे पंचसाला मन्सूबे का पहला बजट होने के लिहाज से और इस लिहाज से कि इसमें प्राइमरी मुदर्रिसान की कुछ न कुछ सहायता की गई, गांवों में जाने वाले डाक्टरों की तनख्वाहों में कुछ न कुछ इजाफा करके उनकी हिम्मत अफजाई की गई, गांवों में जनाना मुदर्रिसीन के रहने के मकानात का कुछ न कुछ इन्तजाम सोचा गया, काबिल मुबारकबाद करार किया। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह देख कर कि इस बजट के जरिये सिंचाई में जो तीन आने छूट दी जा रही है जिसकी मजमुई रकम करीब दो करोड़ होती है, वह वापस ले ली गई और कुछ इस तरह की बातें पेश करके इसे नाकाबिल मुबारकबाद करार दिया। बहर-हाल, मैं भी इस सिलसिले में अपने नाचीज ख्यालात आपके जरिये मन्त्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं।

मेरे नजदीक कोई ऐसा मुल्क जो मन्सूबेबन्दी के दौर से गुजर रहा हो वह टैक्सेशन के इरादे से वंचित नहीं रह सकता। जब किसी मुल्क में मंसूबाबन्दी होगी उस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर मंसूबे के जरिये ले जाने की कोशिश हो रही होगी तो लाजिमी तौर पर टैक्स बढ़ेंगे, लाजिमी तौर पर मन्सूबे की जरूरियात को पूरा करने के लिये आमदनी बढ़ानी पढ़ेगी। मैं तो काबिले मुबारकबाद समझता हूं वजीरे खजाना को कि तीसरे मन्सूबे का बजट पेश करते हुये उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बड़ी काबिलियत है उनकी। और यह जो सिंचाई की छूट वापस ली गई है इसके बारे में बाज भाइयों ने जो एक इजहारे खयाल किया कि इस वापसी का असर पैदावार पर पड़ेगा इसलिये कि किसान तो अबवाब में छूट देखता है, लगान में छूट देखता है, इसी तरह का प्रचार है, यही कोशिशें हैं कि जो हमारे मुल्क की पैदावार बढ़ने नहीं देती। अगर हम सब लोग यह समझ लें कि यह एक कौमी मसला है, जमाती मसला नहीं है कि मुल्क की पैदावार बढ़े.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कल बोलियेगा। मैं अपने विशेष अधिकार से सदन का समय १५ मिनट बढ़ा देता हूं और इस समय में विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में माननीय शांतिप्रपन्न जी कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो विषय चल रहा हो उसके लिये आप अपने विशेष अधिकार से समय की वृद्धि कर सकते हैं या उस विषय को रोक कर किसी दूसरे विषय के लिये भी समय की वृद्धि कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—वह तो मैं जब चाहूं आवश्यकतानुसार कर सकता हूं, विषय की कोई बात नहीं है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विवाद के लिये तिथि का निर्धारण

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं से बातचीत कर ली है कि यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट बिल जिसके लिये एक-एक घंटा बढ़ा कर पांच घंटे का समय देना था वह अब ३० तारीख को लिया जायगा। और उसके बदले जो शनिवार, २२ अप्रैल का है उसे लेकर २४ दिन बजट के पूरे कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, बजट में यह व्यवस्था है कि उसके बीच में कोई बात नहीं आ सकती तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अबकी बार ही है या कहीं परम्परा तो नहीं बन जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है। ३० तारीख को बजट का कोई कार्य नहीं होगा। उस दिन केवल विश्वविद्यालय विधेयक पर ही काम होगा तो यह बजट के बीच में काम नहीं हुआ और २२ अप्रैल को उसके एवज में अनुदान ले लिये जायेंगे। अगर उस दिन ३० मार्च को बजट कार्य ५ मिनट भी होता तो यह विधेयक नहीं आ सकता था।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह ठीक है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, कल माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी आये थे कि एक शनिवार बाकी है, उसे दे दो तो मैंने कह दिया कि ले लो।

श्री उपाध्यक्ष—विश्वविद्यालय विधेयक पर ५ घंटे ३० तारीख को लिये जायेंगे और उसके बदले २२ अप्रैल को अनुदान ले लिये जायेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन बन्द किया गया है, उसके लिये ढाई घंटे का विवाद नियत किया गया है, उसकी भी व्यवस्था कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तय नहीं हुआ है। इसके लिये आप सरकार से बात कर लें, अगर आप रखना चाहें।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, वह तो आपको अधिकार है। हम लोगों का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप चाहते हैं कि ५ बजे के बाद बहस की जाय तो हम व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, यहां वन मन्त्रीजी बहुत कम रहते हैं । जब से वह मन्त्री हुये हैं, वह ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। उन्होंने वक्तव्य दिया था कि उसकी कापी बांटनी हैं और एक क्वेरी दी गई थी तो वह आवरणीय सदन को दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—वन मन्त्री जी २९ तारीख को स्पष्टीकरण देंगे। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित होगया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२७ मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

सरकार से प्राप्त ऋणों का विवरण १–४–१९५३ से ३१–१२–१९६० तक

ऋण की प्राप्ति वर्ष	ऋण की धनराशि	किस्तें जो अदा की गईं १–४–१९५३ से ३१–१२–१९६० तक	
		मूलधन	ब्याज
१९५३–५४	५,७०,०००·००	..	..
१९५४–५५	२२,४७,०००·००	१३,३५८·००	२७,८००·००
१९५५–५६	३५,३०,०००·००	४३,८४९·६२	१,५६,१७४·३८
१९५६–५७	२३,००,०००·००	४५,७९९·८१	१,५४,२२४·१९
१९५७–५८	५५,४०,०००·००	७४,९२९·९३	२,४२,१८६·०७
१९५८–५९	३३,८८,०००·००	१,७८,२६६·५०	३,१३,०७६·५०
१९५९–६०	१४,२५,७५०·००	३,४३,५८२ ३३	९,४६,३५०·२०
१९६०–६१	..	७३,५१२·६३	४,८०,०८६·६२
योग	१,९०,००,७५०·००	७,७३,२९८·८२	२३,१९,८९७·९६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१६ पर)

सूची—

१—रियोनाई,

२—सकरी कासिमपुर

३—इस्लाम नगर,

४—बिसौली

५—गौतरा,

६—गुनौर

७—मदरौली,

८—दातागंज,

९—घटपुरी,

१०—आसफपुर।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२१ पर)

सूची—

(अ) सहकारी समितियां जिनमें आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन हुआ।

(१) सहकारी समिति लि०, नैनी

(२) सहकारी संघ खिलपतिफाट, खतेड़ा,

(३) लक्ष्मी व्यापारी सहकारी समिति, ताड़ीखेत,

(४) सहकारी संघ मल्ला पालविलौन, द्यूरी,

(५) सहकारी समिति लि०, खलझूनी, झूनी,

(६) सहकारी संघ लि०, अस्सी फड़का,

(७) कुमायूं सहकारी संघ, लि०, अल्मोड़ा,

(८) सहकारी समिति लि०, तोली,

(९) सहकारी समिति लि०, मनान,

(१०) सहकारी समिति लि०, गडेरा,

(११) सहकारी समिति लि०, छाना,

(१२) सहकारी समिति लि०, विलौनासेरा,

(१३) सहकारी संघ लि०, सिधौली,

(१४) सहकारी समिति लि०, दुधियागैर,

(१५) सहकारी संघ लि०, गुवालतगोवन।

(ब) सहकारी समितियां जिनमें आडिट रिपोर्ट के अनुसार गलत हिसाब रखा गया।

(१) सहकारी विकास समिति लि० , रानीखेत,

(२) सहकारी समिति लि०, मासर,

(३) सहकारी संघ लि०, द्रोनाचल,

(४) सहकारी समिति लि०, पाखुड़ा,

(५) उपभोक्ता भंडार हवालबाग,

(६) सहकारी समिति लि०, बसगुण,

(७) सहकारी समिति लि०, नरूवाघोल,

(८) सहकारी समिति लि०, सेटीभुरमुनी,

(९) सहकारी समिति लि०, चौसालपोखारी।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७२३ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक अधिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय छुट्टियां देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) अधिनियम,१९६१ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करक तदर्थ निश्चित करे।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "शिशिक्षु" का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान में प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसमें नियोजित व्यक्ति से है चाहे वह भाड़े पर हो या मजदूरी पर या अन्य रूप से ;

(ख) "दिन" का तात्पर्य अर्द्ध-रात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से है ;

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान में दक्ष, अदक्ष शारीरिक पर्यवेक्षी,प्राविधिक या लिपिक कार्य करने के लिये भाड़े या पारितोषिक पर नियोजित किसी व्यक्ति से है (जिसके अन्तर्गत शिशिक्षु भी है), चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या उपलक्षित,किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति नहीं आते :—

(१) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासकीय पद पर नियोजित हों, या

(२) जिनका कार्य मुख्यतः भ्रमणात्मक हो।

(घ) औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में प्रयुक्त "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है चाहे उसे किसी भी नाम स पुकारा जाय जिसका औद्योगिक अधिष्ठान के कार्यों पर सीधा नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत निम्निलिखित व्यक्ति भी होंगे:—

(१) जब कोई औद्योगिक अधिष्ठान, राज्य सरकार के किसी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा संचालित

हो या उसके प्रबन्ध में हो, तो तदर्थ उल्लिखित प्राधिकारी और जब कोई ऐसा प्राधिकारी उल्लिखित न हो तो उस विभाग का अध्यक्ष , और

(२) जब औद्योगिक अधिष्ठान,किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों या उसके द्वारा या उसकी ओर से संचालित हो या उसके प्रबन्ध में हों तो ऐसे अधिष्ठान का मुख्य कार्य पालक प्राधिकारी ।

(ङ) "राज्य सरकार"का तापर्त्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(च) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य —

(१) फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खण्ड (एम) में यथा पारिभाषित,फैक्ट्री या किसी ऐसे स्थान से है जिसे उक्त ऐक्ट को धारा ८५की उपधारा (२) के अधीन "फैक्ट्री" समझा जाय; और

(२) अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे ;

(छ) "निरीक्षक "का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से हैं;

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(झ) "राष्ट्रीय छट्टी"का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष की २६ जनवरी; १५ अगस्त तथा २ अक्तूबर से हैं;

(ञ) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है, जो यदि नियोजन की शर्तें चाहे वे अभिव्यक्त हों या उपलक्षित पूरी की जायें, तो कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के लिये देय हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

(१) ऐसे भत्ते ,जिनके अन्तर्गत मंहगाई भत्ता भी है, जिन्हें पाने का कर्मचारी तत्समय अधिकारी हो;

(२)किसी निवास-गृह की सुविधा का, अथवा बिजली, पानी के सम्भरण अथवा चिकित्सकीय उपचार या अन्य सुविधा का, अथवा किसी सेवा का, अथवा खाद्यान्नों या अन्य पदार्थों के रियायती दरों पर सम्भरण का मूल्य;

(३) कोई यात्रा संबंधी रियायत, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है —

(क) कोई बोनस,

(ख) तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन कर्मचारी के लाभार्थ अथवा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि (प्राविडेंट फन्ड) में नियोजक द्वारा दत्त या देय अंशदान;

(ग) सेवा की समाप्ति पर देय कोई उपदान ।

राष्ट्रीय छुट्टियों का दिया जाना

३—किसी अन्य विधि, संविदे, लेख्य, प्रथा या व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक कर्मचारी को राष्ट्रीय छुट्टी के दिन मजदूरी सहित छुट्टी पाने का अधिकार होगा और वह छुट्टी उसे दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि औद्योगिक अधिष्ठान के कारबार की आवश्यकता के कारण किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय छुट्टी के दिन काम करने की अपेक्षा की जाय और वह उस दिन काम करे तो नियोजक उसे एक दिन की मजदूरी की दुगुनी मजदूरी देगा, या यदि कर्मचारी चाहे तो, वह उसे एक दिन की मजदूरी तथा अगले कलेन्डर मास में उस दिन के बदले मजदूरी सहित एक छुट्टी, जो साप्ताहिक छुट्टी न हो, देगा ।

स्पष्टीकरण—जब कर्मचारी को दिन के हिसाब से या कार्यानुसार मजदूरी दी जाती हो तो इस धारा के अधीन उसे दी जाने वाली एक दिन की मजदूरी उसकी दैनिक औसत मजदूरी होगी, जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी।

निरीक्षकों की नियुक्ति

४—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को, जैसा वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकती है।

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(२) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक इंडियन पीनेल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) समझा जायगा।

निरीक्षकों के अधिकार

५—राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए निरीक्षक स्वयं या ऐसे सहायकों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे—

(क) किसी स्थान में, जो औद्योगिक आस्थान हो,या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह स्थान औद्योगिक आस्थान है, हर उचित समय पर प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है ।

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान के किसी भी रजिस्टर, अभिलेख और नोटिस का परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकता है जिनका साक्ष्य लेना वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे, और

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करन के लिये आवश्यक हों ।

दंड

६—इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करने वाला कोई भी व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो प्रथम अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक और प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये एक हजार रुपये तक हो सकता है।

छूट

७—(१)इस अधिनियम की कोई बात ऐसे औद्योगिक आस्थान पर प्रवृत न होगी जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया या कैन्टोनमेन्ट अधिकारी के अथवा ऐसे रेल प्रशासन के, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२०) में यथा पारिभाषित कोई रेलवे चलाता हो, नियंत्रणाधीन हो ।

(२) यदि राज्य सरकार किन्हीं विशिष्ट कारणों से ऐसा करना उचित समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दे सकती है कि ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह निर्दिष्ट करे, अधिनियम के उपबन्ध औद्योगिक अधिष्ठानों के ऐसे वर्ग पर प्रवृत्त न होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली संख्या से अधिक कर्मचारी नियोजित नहीं करते ।

इस अधिनियम के उपबन्ध विद्यमान लाभ के अतिरिक्त होंगे

८—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध, इस विषय की किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं को कम करने वाले न होकर उनके अतिरिक्त होंगे ।

(२) इस अधिनियम में दी हुई किसी बात से ऐसे किन्हीं अधिकारों या विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, जिनका अधिकारी कोई कर्मचारी, किसी अन्य विधि, संविदा, रीति या प्रथा के अधीन, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक पर हो ।

नियम बनाने का अधिकार

९—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा निष्प्रभाजनों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जिन्हें करने के लिये विधान मंडल के दोनों सदन सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निस्प्रभाजन संबंद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उद्देश्य तथा कारण

२६ जनवरी, १५ अगस्त तथा २ अक्तूबर के दिन बड़े राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन दिनों के लिये सवेतन छुट्टियां मांगना श्रमिकों के लिए स्वाभाविक है। इस समय इन अवसरों पर सवेतन छुट्टियां देने के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है। इस राज्य के शक्कर उद्योग पर लागू स्थायी आदेशों में इन दिनांकों की सवेतन राष्ट्रीय छुट्टियां दिये जाने की व्यवस्था है। कुछ उपक्रमों में, जैसे उत्तर प्रदेश में मार्टिन बर्न लि० द्वारा संचालित विद्युत उपक्रमों में ये तीनों छुट्टियां न्यायाधिकरणों के पंच-निर्णय द्वारा नियंत्रित होती हैं। कुछ औद्योगिक अधिष्ठानों में इन अवसरों पर छुट्टी दी जाती है परन्तु वह सवेतन नहीं होती।

इन दिवसों के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये सवेतन राष्ट्रीय छुट्टियों के लिये श्रमिकों की उक्त मांग एक न्यायसंगत मांग है और तदनुसार यह प्रस्ताव है कि राज्य के समस्त औद्योगिक अधिष्ठानों में तीन सवेतन राष्ट्रीय छुट्टियां दिये जाने की व्यवस्था की जाय। इस कार्यवाही से श्रमिकों की उचित मांग की पूर्ति होने के साथ ही साथ एकरूपता भी आ जायेगी। तदनुसार २६ जनवरी; १५ अगस्त तथा २ अक्तूबर की तीन राष्ट्रीय छुट्टियों की व्यवस्था किये जाने के लिये विधेयक का प्रालेख तैयार किया गया है।

उक्त विधेयक पहले-पहल उन समस्त औद्योगिक अधिष्ठानों पर लागू होगा जो फैक्टरीज ऐक्ट के अधीन दी गई "फैक्टरी" शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह विधेयक के उपबन्ध का प्रसार अधिष्ठानों के ऐसे अन्य वर्ग पर करे जिसे राज्य सरकार एक विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे। साधारणतया समस्त औद्योगिक अधिष्ठान इन दिनों बन्द रहेंगे परन्तु यदि कार्य की आवश्यकताओं के कारण किसी कर्मचारी को इन राष्ट्रीय छुट्टियों में कार्य करना पड़ता है तो उसको इसके लिये विधेयक में निर्धारित विधि से प्रतिकर दिया जायगा।

सुचेता कृपालानी,
श्रम मंत्री

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३ एल० ए०—१९६१—८४५।